[Shri Parvathaneni Upendra] According to the newspaper reports, the gas-affected people have neither got relief of any substantial nature nor have they been rehabilitated. According to the Madhya Pradesh Government, only 278 widows have been given a pension of Ks. 200/-. Out of the 2500 dead. the heirs of only 1409 have got Rs. 10,000/- each as compensation. Only 2500 families have been given assistance so far. This is the situation there. Even the medical treatment given to them is very inadequate as per the newspaper reports it is necessary that the Government of India should take greater interest in the matter to influence the company to immediately pay higher compensation to the victims. There is also a doubt whether it was judicious on our part, whether it was correct on our part to file the case in the American courts because this Com- | pany, being so powerful, is prepared to spend a lot of money to get a face-saving judgment. All these aspects have to be taken into consideration. My demand is that the factories and the establishments of this ' Company should be taken over forthwith and their bank accounts sh;uld be frozen.

THE INTERNATIONAL AIRPORTS AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 1985

THE MINISTER OF STATE IN . THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION (SHRI JAGDISH TYTLER): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Internatic* nal Airports Authority Act, 1971.

THE question was put and' the motion was adopted.

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, I introduce the Bill.

GOVERNMENT MOTION FOR CONSIDERATION OF THE REPORTS OF THE COMMISSIONER AND COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): We shall now take up further consideration of the Government Motion— Shri Chaturanan Mishra.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) उपसभाध्यक्ष महोदय, शैडयूल्ड कास्ट-शैडयूल्ड ट्राइब कमिश्नर की जिस रिपोर्ट पर हम विचार कर रहे हैं वह 74-75 से अब तक की है, सदन और सरकार को समय नहीं मिला कि इतनी गम्भीर समस्या पर विचार करें । '74 के बाद कई सरकारें आईं, जनता पार्टी की सरकार आई थी, कांग्रेस पार्टी की तो तीन बार सरकार बनी, एमरजेंसी भी आई थी। इतने पर भी हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं कर सके । यह अत्यन्त ही खेदजनक बात है और इस सदन को सोचना चाहिए कि संसद अपने कर्तव्य को क्यों पूरा नहीं कर पा रही है। सदन की जनता के प्रति जिम्मेदारी है, सबसे उपेक्षित समाज के प्रति जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है उसको यह सदन भी पूरा नहीं कर सका । यह अत्यन्त दुखद विषय है । इस पर पूरे सदन को और सभी पार्टियों को सबसे अधिक शासक पार्टी को विचार करना चाहिए । इसके अलावा जो शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब के माननीय सदस्य हैं उनको तो और भी गम्भीरता से इस सवाल पर विचार करना चाहिए कि ऐसी स्थिति रहेगी तो हम इस समस्या का निदान कैसे निकाल सकेंगे । मैं भाग्यवादी नहीं हूं, भाग्य पर मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है इस रिपोर्ट पर हुई चर्चा देखने से कि यह रिपोर्ट इन्तजार कर रही थी कि वर्तमान समाज कल्याण मंत्री महोदया राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी आएंगी तभी इस का उद्धार होगा, इस रिपोर्ट को उनके हाथों से निकलना था, तकदीर में शायद यही लिखा था । महोदया ऐसा लगता है कि इस कमीशन के दांत नहीं हैं । बिना दांत के कोई काम नहीं किया जा सकता।

एक माननीय सदस्य : नकली दांत लग सकते हैं ।

श्री चतुरानन मिश्र : नकली दांत सदन लगा सकता था, लेकिन सदन भी असमर्थ रहा । कमीशन को कोई अधिकार नहीं है कि कुछ कर सके। सांप भी दो

तरह के होते हैं। एक विषैला होता है और दूसरा सांप डोडहा सांप होता है, वह काटेगा तो भी विष नहीं होगा। यह कमिश्नर डोडहा सांप है, पहले तो काटने के लिए दांत नहीं हैं और काटे तो कुछ होने वाला नहीं है। सरकार ने इसको असहाय बना दिया है, इसके चेयरमैन का पद भी रिक्त रहता है। यह अत्यन्त दुखद स्थिति है। सदन और सरकार जो हरिजनों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने में असफल हो रहा है उससे देश में एक भयानक स्थिति पैदा हो रही है-- इतनी भयानक कि कल जब मैं यहां से गया था डेरे पर तो काफी हरिजन हरियाणा के वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्य मंत्री के सम्बन्धियों ने उनको उजाड़ दिया है, 18 घर तोड़ दिये हैं, एक महिला बहुत घायल होकर वहां से आई, उसको अस्पताल वालों ने दवा नहीं दी, पुलिस ने उसका केस दर्ज नहीं किया। मैंने मंत्री महोदया के यहां फोन किया, वह नहीं थीं, लेकिन बाद में उन्होंने तुरन्त फोन किया, केस को टेक अप किया, हरियाणा के मुख्य मंत्री से बात की। मुख्य मंत्री ने कहा कि हम उनको दूसरी जमीन दे रहे हैं। दूसरी जमीन में वे नहीं जा रहे हैं। तो मैंने माननीय मंत्री जी महोदया से कहा कि यह क्या सवाल है। मुख्य मंत्री कहते हैं कि वे अच्छी जमीन दे रहे हैं। मैंने उन से कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। उनके एक छोटे से जिले मधुबनी से आता हूं। अगर मास्को वाले कहें कि मास्को बहुत सुन्दर है इस लिये तुम वहां चले जाओ तो क्या यह कोई औचित्य है। मुख्य मंत्री को वह जमीन लेनी है। किस बात के लिये लेनी है यह दूसरी बात है लेकिन यह रहने वालों के राजीनामा के बाद ही लेनी चाहिये। यह नहीं कि उसकी औरतों के हाथ पैर तोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिये। अगर मुख्य मंत्री जी इस तरह से चलते हैं तो फिर हरिजनों का क्या कल्याण होगा। यही एक बड़ी समस्या है। हमारे राज्य में, बिहार में और भी भयंकर स्थिति हो गयी है। अगर हरिजनों का कोई कल्याण करना चाहें, भले ही वह कोई आई० ए० एस० अफसर ही हो तो उसका तबादला कर दिया जाता है। हमारे राज्य में अनेक प्राइवेट सेनायें बन गयी हैं। खानगी फौजे बन गयी हैं। शायद उन के बारे में मंत्री महोदया को मालूम होगा और सदन को जभी मालूम होगा कि वहां भूमि सेना, कुंवर सेना, ब्रह्मर्षि सेना, लोरिक सेना आदि बन गयी हैं और वे हरिजनों की हत्यायें करते हैं और रोज करते हैं। हरिजनों की कोई सुनने वाला नहीं है। उन की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सरकार में ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो उन सेनाओं की मदद करते हैं और इस लिये उन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा ऐसा खयाल हो रहा है कि हम लोग देश में और हमारी सरकार जातीय युद्ध की तरफ इस देश को ले जा रही है। अगर यही स्थिति रही तो हरिजनों के सामने दूसरा कोई चारा नहीं है सिवाय हथियार उठाने के। कभी कभी मैं सोचता था कि इस देश में एक और महात्मा गांधी की जरूरत है और एक और डा० अम्बेडकर की जरूरत है, लेकिन इस बार जो डा० अम्बेडकर आयेंगे उन को हथियारबन्द होना होगा। बिना आर्म्ड अम्बेडकर के इस समस्या का हल शायद नहीं हो सकता।

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश): और गांधी जी कैसे होंगे ?

श्री चतुरानन मिश्र: मैं उन के बारे में कुछ नहीं कहता। वह आ जायें तो कोई दूसरी बात होगी। वह मैं शासक पार्टी पर छोड़ता हूं कि वे कैसे होंगे, लेकिन मैंने यह कहा कि ...

एक माननीय सदस्य: अब तो गांधी ही गांधी हैं सब तरफ।

श्री चतुरानन मिश्र: अब नये गांधी की यह हिम्मत नहीं है कि इस का सामना कर सके। अभी देख लीजिये कि एक मुस्लिम महिला शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला दिया कि उस को मेन्टेनेन्स दिया जाय। कोई ऐसी बात नहीं थी। मैन्टेनेन्स सब को मिलता है। लेकिन कल मैंने अखबारों में पढ़ा कि हमारे नौजवान प्रधान मंत्री जी जो हैं, जो शादी को मार्डनाइज करना चाहते हैं, देश

[श्री चतुरानन मिश्र]

को 21वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं, तो उन की मशीन तो होगी 21वीं शताब्दी की और उन का मनुष्य होगा 6ठीं शताब्दी का। वह कह रहे हैं कि सरकार देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर्सनल ला के खिलाफ तो नहीं है। उस मामले पर वह फिर से विचार करेंगे। तो प्रधान मंत्री जी की यह हिम्मत कहां है? अगर इस देश के हिन्दू लोग खड़े हों और कहें कि ऋग वेद में लिखा है कि : ब्राह्मणो सी मुखमासी राजन्य बाहु कृत ब्राचेमण मुख से निकला है, राजपूत बांहो से निकला है और शूद्र पैर से निकला है तो शायद हमारी सरकार फिर उधर ही चली जायेगी और हम फिर से उस पर विचार करेंगे।

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश) : उस ओर ही चल रही है/चलने जा रही है।

श्री चतुरानन मिश्र : मनुस्मृति पर कोई आलोचना करने से पहले इस व्यवस्था पर तो आलोचना कर दीजिये क्योंकि अभी हमारे पास एक माडर्न कांस्टीटयूशन है और मैं इस को माडर्न कांस्टीटूयूशन इस अर्थ में कह रहा हूँ कि मनुस्मृति और पर्सनल ला के देश में यह संविधान आधुनिक है हमारे देश में और हर देश में दो तरह की परम्परा है। एक रावण की परंपरा है और दूसरी राम की परम्परा है। तो हमारी नयी पीढ़ी को देखना होगा कि रावण की परम्परा को मानें या राम की परम्परा को मानें, अपनायें। हम लोगों ने अपने संविधान को चुना यह सँविधान सिर्फ पालियामेंट में बहस के लिये, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस के लिये और एकेडैमिक कौंसिल्स में बहस के लिये है। यह कांस्टीट्यूशन हमारे जीवन को कार्यशैली नहीं बन पाया है, वे आफ लाइफ नहीं बन पाया है और ऐसा बनाने के
1 P.M. लिए सरकार तैयार नहीं है। अब जब राज मिल गया तो इसकी कोई चर्चा नहीं होती। अगर हमें इस संविधान को जीवन की कार्यशैली बनाएँ तभी हम इन समस्याओं का निदान कर सकते हैं। मनुस्मृति के संस्कारों से भी छुटकारा मिल सकता है और बारंबार जो हम बात करते हैं कि शरियत में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है इससे भी छुटकारा मिल जायेगा। हम जो बोनस देते हैं यह किसी इस्लाम के कानून में नहीं है, ग्रेचुअटी देते हैं यह किसी इस्लाम के कानून में नहीं है, स्टेंडिंग आर्डर देते हैं यह किसी इस्लामिक कानून में नहीं लिखा है। किसी हिन्दू कानून में नहीं है। नये-नये कानून बना रहे हैं, पब्लिक की राहत के लिए बना रहे हैं। अगर कोई कहता है कि रोज नमाज, पूजा पाठ पर हमारी ईद बकरीद पर हमला हो रहा है या हमारे ऊपर हमला हो रहा है तो निश्चित रूप से उसकी रक्षा की जानी चाहिए। हर हालत में हमारा संविधान भी रक्षा करता है। हम लोगों को भी रक्षा करनी चाहिए।

मैं यह कह रहा था कि हमारी सरकार में गट्स नहीं हैं इन बातों का मुकाबला करने के लिए। बल्कि उलटी बात है कि शासक पार्टी के मंत्रीगण खुद ऐसा काम करते हैं

श्री कल्पनाथ राय : आरिफ खान जी ने इसका समर्थन किया था तो हमें उनकी प्रशँसा करनी चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र : हम तो तारीफ करते हैं।

श्री कल्पनाथ राय : जनता पार्टी के शाहाबुद्दीन साहब जिस तरह से कम्युनल पिक्चर पेश करते हैं उसकी निन्दा करनी चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र : यह एजेंडा में नहीं है कि हम किस-किस की निन्दा करें और किस-किस की तारीफ करें। आपकी सरकार के बारे में कह रहा हूँ। उसको कोई दवा-दारू दीजिए, रोगन-बोगन लगाइये ताकि दम आए नहीं तो जैसे जवान होकर प्रधान मंत्री भागते हैं तो इससे देश का क्या होगा। यह नया गांधी है। यह वह गांधी नहीं है जो मन्दिर में जाने के लिए दांत तुड़वाता था, ठोकर खाता था और अँग्रेजो से लड़ता था। यह दूसरा

गांधी है जो प्रदर्शन करने वालों से ही घबरा गया। हमें इसका मुकाबला करना चाहिए। हरिजनों के सवाल पर मेरे लिहाज से तीन तरह की समस्याएं हैं जिन पर विचार करना चाहिए। एक तो पालिटिकल है जिसकी मैंने चर्चा की कि आपकी सरकार को पालिटिकल गट्स नहीं हैं, पालिटिकल डिटरमिनेशन नहीं है। जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं ये लज्जाजनक घटनाएं हैं। 37–38 वर्ष आजादी के बाद भी ये घटनाएँ हो रही हैं लज्जाजनक बात है। हम लोग जा कहां रहे हैं। क्या सरकार इंतजाम इसका सोच रही है या खालिस्तान और पूर्वीस्तान जैसे हरिजनस्तान की मांग हरिजन लोग करेंगे तब हम उनकी समस्या का निदान करेंगे? क्या इस पीढ़ी के अंदर इस समस्या का निदान नहीं होगा? जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं 36 वर्ष आजादी के बाद, 35 वर्ष के संविधान बनने के बाद अभी तक हम 6 परसेंट या 6 परसेंट से भी कम आदिवासियों, हरिजनों दोनों को मिलाकर क्लास वन श्रेणी में ले पाये हैं। इसका मतलब यह है कि 25 परसेंट का जो हमने रिजर्वेशन दिया है इसके लिए 105 साल और चाहिए। आप समझते हैं कि इतनी देर तक ये लोग इंतजार करेंगे? नहीं, निश्चित इंतजार नहीं करेंगे। अगर सदन में किसी को यह भ्रम होता है कि हरिजनों की हत्याएँ इस लिए हो रही हैं कि वे पहले की तरह हरिजन ही रहना चाहते हैं तो यह गलत बात है। हरिजन नई जिन्दगी चाहते हैं इसलिए टकराते हैं। वह मर जाते हैं और फिर उठ जाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। यह अच्छी बात है कि वह समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। वह इसके दूत बन कर आ रहे हैं। यह अच्छी बात है। इसको आप को नोट करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इसमें विलम्ब करते हैं तो मुझे भय है इस देश में सिविल वार को बुलावा दे रहे हैं। क्या हो रहा है गुजरात में। एन्टी रिजर्वेशन आन्दोलन चल रहा था, भयानक रूप धारण कर लिया था फिर हो रहा है। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि यह बेरोजगारी के सवाल को कितने दिन तक रोके रहेंगे। हम एम० पी० लोग हैं, मिनिस्टर हैं। सारा समाज तो ऐसा नहीं है। वह क्या खायेगा। उनके भी बेटे-बेटियां हैं। आपकी इकोनोमी पीछे हट रही है। इस गति से विकास नहीं हो रहा है कि तमाम लोगों के लिए रोजी-रोटी का इंतजाम हो सके। मैं निश्चित ही रिजर्वेशन के पक्ष में हूँ। इसलिए उनकी निन्दा करता हूँ जो एन्टी रिजर्वेशन आन्दोलन चलाते हैं। मैं जानता हूं कि रिजर्वेशन से बेरोजगारी की समस्या का निदान नहीं होने वाला है। मैं कहूँगा कि ऐसी आर्थिक प्रणाली को अपनाने की जरूरत है जो रोजगार की समस्या का निदान कर सके। इस देश में ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं सवर्ण हैं या दूसरे लोग यहां जन्मे हैं उनके बेटे-बेटियों को भी जीने का अधिकार है उनका भी इंतजाम सरकार को करना चाहिए और नहीं तो इसी तरह की घटनाएं घटेंगी जैसी घटनाएं आज गुजरात में घट रही हैं। मैं समझता हूँ अब ज्यादा वक्त नहीं है आप आर्थिक नीति में ऐसा परिवर्तन कीजिए कि तमाम लोगों की समस्याओं का निदान हो सके। नहीं तो देश को आप सिविल वार की तरफले जायेंगे।

श्री कल्पनाथ राय : आप कुछ तो बताइये।

श्री चतुरानन मिश्र : बताना किस को है। जो जागा हुआ सोने का बहाना किये हुए है उसको नहीं जगाया जा सकता। सोये को जगाया जाता है। आप तो खुद समाजवाद की बात जानते हैं, प्रस्तावों में पास करते हैं। अगर आप सोये रहते हैं तो हम आपको धक्का देकर उठा सकते हैं। जगा हुआ अगर बहाना बना कर सोया हुआ है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ज्ञानी हैं। इसलिए मैं शासक दल से यह कहना चाहता हूँ कि आप के चलते यह हालत उत्पन्न हुई है।

अब मैं कुछ चीजों की चर्चा करना चाहूंगा। भूमि के बटवारे के बारे में पिछले 37–38 वर्षों में आप कुछ नहीं कर पाये हैं। भूमि का ठीक प्रकार से वितरण नहीं हो पाया है। ऐसी हालत में अगर खून–खराबा नहीं होगा तो क्या होगा? आप रिपोर्ट को उठाकर देखिये तो आप को पता चलेगा कि हरिजनों की हत्या के जो भी मामले है वे जमीन के झगड़े से संबंध रखते है बिहार में अररिया टाउन पूर्णियां डिस्ट्रिक्ट

[श्री चतुरानन मिश्र]

में हैं। यहां सन 1973-74 से जमींदार पर भूमि हदबंदी का कैस लंबित था। एक अच्छी आई० ए० एस० आफिसर आया तो उसने जमींदारों के खिलाफ जजमेंट दे दिया। तुरन्त चीफ मिनिस्टर ने उसको ट्रांसफर कर दिया हटा दिया क्योंकि एक कैबिनैट मिनिस्टर का लैण्ड सीलिंग का भी मामला था। यह मैं अभी अभी हाल की बात कर रहा हूं। इसमें यह कमीशन बेचारा क्या करेगा? उसको आपने क्या पावर दे रखा है। आप उसको पावर्स दीजिये जिसमें वह आफिसरों को कह सके कि अगर ठीक काम नहीं करोगे तो फटा फट हटा दिया जाएगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी जातियां है जिन को अभी तक इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। हिन्दू मैहतर को तो ये सुविधाएं प्राप्त है, लेकिन मुसलमान मेहतर को ये सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं जब कि मुस्लिम मेहतर भी वही काम करता है जो हिन्दू मेहतर करता है। वैसा ही मुस्लिम धोबी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदया से यह अपील करूंगा कि उनकी समस्याओं को भी आप देखें। बिहार राज्य में कौन लोग है। अन्य राज्यों में वे शेडयूल्ड ट्राइब की श्रेणी में आते है, लेकिन बिहार में नहीं आते है। इसी प्रकार से कई जातियां बिहार में हरिजन की श्रेणी में आती हैं और दूसरे राज्यों में जाने पर इस श्रेणी में नहीं माना जाता है। मैं यह चाहता हूं कि एक राज्य में जो लोग हरिजन हैं अगर वे दूसरे राज्य में जाते है तो उनको भी आप प्रोटेक्शन दीजिये। मैंने यह अनुभव किया है कि सिखों में मजहबी सिख पंजाब में तो हरिजनों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जब बिहार में आते है तो उनको हरिजन नही माना जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मजहबी सिखों के बारे में भी विचार कीजिये।

यह प्रश्न कई माननीय सदस्यों ने उठाया है कि कमीशन के प्रश्नों का जवाब राज्य सरकार नहीं देती है। खुद मिनिस्ट्री भी उनका जवाब नहीं देती है। यह लज्जा जनक है। आदिवासियों के बारे में स्थिति यह है कि हमारे प्रदेश बिहार में आदिवासी हथियार उठा रहे हैं। देखने में यह आता है कि आदिवासियों की हत्या दूसरी जातियों के लोग नहीं करते है, बल्कि पुलिस करती है। पिछले पाच छः वर्षों में बिहार के अन्दर आदिवासियों की सारी हत्याएं पुलिस द्वारा हुई हैं। इस बीच में में जितनी हत्याएं हुई हैं शायद इतिहास में अंग्रेजों के जमाने में भी हत्याएं नहीं हुई थीं सिवाय अंग्रेजी राज कायम करते वक्त। इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि अगर संविधान में कुछ संशोधन करने की जरूरत हो तो वह भी किया जाना चाहिए। यह परिवर्तन उनके मन के अनुकूल किया जाना चाहिए। जिसमें वे प्रशासन में पार्टिसिपेट कर सकें। दूसरे राज्यों में आपने इसका शायद कुछ बन्दोबस्त किया है। बिहार में भी आपने एक डेवलपमेंट अथोरिटी छोटा नागपुर के लिए बना रखी है। लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं है। वह अथोरिटी कुछ नहीं कर सकती है। आसाम वगैरह में आपने कुछ इस तरह का परिवर्तन कर रखा है और इसको संविधान की पांचवीं अनुसूची में शामिल कर रखा है। त्रिपुरा में भी ट्राइबल डैवलपमेन्ट कौंसिल बनाई गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में कुछ सोचिये। अभी सुबह एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्रधान मंत्री जी आदिवासियों के घरों में गये लेकिन आदिवासियों को न्याय नहीं मिला। यह बड़ी दुःखद बात है। प्रधान मंत्री आदिवासियों के इलाकों में जाते है तो यह बहुत स्वागत योग्य बात है। वे गरीबों के घरों में जाये, उनकी बात सुनें और उनकी कठिनाईयों को अनुभव करें क्योंकि अब तक तो उन्होंने इसका अनुभव नहीं किया है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जरूरत इस बात की है कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंज किया जाना चाहिए प्रधान मंत्री जी कुछ लोगों को साड़ियां बांट देते हैं या दो चार को कपड़ा दे देते है इससे काम चलने वाला नहीं है मारवाड़ी लोग तो शोषण करते है और उसके बाद धर्मशाला खोल देते हैं और समझ लेते हैं कि कल्याण हो गया। इसलिए आप कोई ऐसा चैज लाइये जिसमें बुनियादी परिवर्तन हो सके। उनको अधिक और

सामाजिक स्थिति में सुधार हो। बिहार में एक कोलहाम इलाका है। वहां पर कोई भी सरकार नहीं है, आपका राज भी नहीं है वहां पर पुलिस भी नहीं जाती है और अन्य कोई भी नहीं जाता है।

श्री कल्पनाथ राय : क्यों ?

श्री चतुरानन मिश्र : बगावत किये हुए हैं लोग और क्यों आप वहां जाकर देखें फिर पता चल जायेगा ।

इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस समस्या का इसलिये मत इंतजार करते रहिये कि हरिजन स्थान और हरिजन आदिवासी स्थान की मांग करेंगें और फिर आप सुनेंगे । क्योंकि यह आपकी सरकार की आदत हो गई है कि जब कोई हिंसक आन्दोलन करते हैं तब बात मानी जाती है जैसे खालिस्तान का मसला उठाने पर पंजाब के सामने पर हुआ । जब वे हत्या करते हैं, प्रधान मंत्री की हत्या करते हैं फिर आप समझौता करते हैं और जो सीधे तरीके से आकर अपनी मांगों को रखते हैं उनको सुनते नहीं । इसके चलते देश के अन्दर एक हिंसा का वातावरण पैदा हो गया है । यह समझना भूल होगी कि ये आदिवासी और हरिजन बहुत दिनों तक चुप रहेंगे । ये अब हथियार उठायेंगे और ये अब हथियार उठा रहे हैं । मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस बार जो अम्बेडकर आयेंगे वे हथियार लेकर आयेंगे और तभी उनकी समस्या का निदान होगा । मैं चाहता हूं कि हमारे देश में इस तरह का गृह युद्ध न हो । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह गंभीरता पूर्वक इन तीनों पहलुओं, आर्थिक पहलू, सामाजिक पहलू और पोलिटिकल पहलू, इन तीनों पर विचार करें और संविधान की कंस्टिट्यूशन को वे आफ लाइफ बनाने के लिये यह जरूरी है उसमें अमेंटमैन्ट करें, संशोधन करें, जो कि आदिवासियों के अनुकूल हो, हरिजनों के अनुकूल हो । इसको हम करें और इसके बाद जैसा मैंने पहले भी एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था देश में कायम की जाय, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था कायम की जाय जिसमें सबों को पढ़ने का मौका मिले । वरना अभी तक 35–40 वर्ष कोई गई हैं, कब तक लोग इस तरह से रहेंगे । इसलिये लोगों का धैर्य टूट रहा है और जिकसा रिफलैक्शन एन्टी रिजर्वेशन एजीटेशन में हो रहा है जो निश्चय ही एक गलत आन्दोलन है । हमें इसके मूल कारण में जाना चाहिये और उसके आधार पर समस्या का निदान करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि वे सारी चीजों को सर्वांगीण रूप से देखें । वे कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी रही हैं और आप प्रधान मंत्री के काफी नजदीक हैं । इसलिये आप यह देखें, महलभराम पट्टी में अब काम होने वाला नहीं है । 30–40 वर्षों से महरम पट्टी होती रही है, अब आपरेशन की आवश्यकता है, सही ढंग से आपरेशन करने की आवश्यकता है ताकि हम लोग आगे बढ सकें । आप इक्कसवीं सदी में जाने की बात करते हैं लेकिन क्या ऐसी हालत में जब हरिजन रहेंगे, आदिवासी रहेंगे, तो कैसे आप उनके साथ इक्कसवीं सदी में जा सकते हैं । इसलिये इस पर गंभीरता के साथ विचार करें, इन शब्दों के साथ में अपने भाषण को समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री घूलेश्वर मीणा (राजस्थान) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मंत्री महोदया को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आपने हरिजन और आदिवासियों की रिपोर्ट को यहां बहस के लिये प्रस्तुत किया । हालांकि ये रिपोर्ट 1979–80 में पेश कर दी गई लेकिन सदन के सामने बहस के लिये आज सामने लाने का जो साहस किया है उसके लिये आप बधाई की पात्र हैं । इन रिपोर्टों पर बहस करते हुए बल से मैं अपने विपक्ष के भाइयों और ट्रेजरी बेंचेज के भाइयों की बातों को सुन रहा हूं और इन रिपोर्टों को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि क्यों कि ये रिपोर्ट 1981 और 1982 तक की हैं, लेकिन उस समय से अब जमाना काफी आगे बढ गया है । समय बहुत बदल गया गया है और काफी प्रगति हो सकी है और काफी चेंजेज आये हैं । इसलिये इन गई गुजरी बातों पर आज विचार करना उचित तो नहीं है लेकिन फिर भी मंत्री महोदया ने इसको बहस के लिये पेश किया

[श्री धूलेश्वर मीणा]

है, इसलिये इस पर अपने विचार प्रकट करना आवश्यक समझता हूं । श्रीमन्, मंत्री महोदया, ने शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स की कमैटी की एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें हमें इसपर बहस करने का मौका मिला था । उस समय मंत्री महोदया ने यह आश्वासन दिया था और जैसा कि कल हमारे भाई श्री हनुमनथप्पा बोल रहे थे कि हमें गई गुजरी बातों को छोड़ देना चाहिये और हमें आगे देखना चाहिये । आपको बहुत बहुत बधाई है जो आपके कंधों पर यह भार है, मनाज कल्याण विभाग का भार, वीमैन विभाग और साथ ही साथ शेडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों का भार भी आपके कंधों पर है और इतना बड़ा भार वहन करने के लिये आपके साथ गिरिधर जी भी हैं । हमारे विरोधी भाइयों ने कहा कि इस देश में आजादी के बाद शैड्यूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये कुछ नहीं किया गया , मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं । (व्यवधान) जैसे राव साहब बता रहे हैं बहुत कुछ हुआ है और हुआ इसलिये आज हम यहां इन पैरों पर इस सदन में खड़े हैं और अच्छी अच्छी पोस्टें पा चुके हैं । इसलिये आज देश का विकास हो रहा है बहुत कुछ हो रहा है लेकिन मैं आपका ध्यान अध्यक्ष जी की मारफत उस ओर दिलाना चाहता हूं । हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि हमें उस तरह का विकास करना है जिससे कि लोगों के अन्दर खुशहाली हो और खुश हो करके लोग बढ़ते रहें, खुशहाली में चलते रहे । देखा यह गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में जहां जहां वे गये थे बिहार में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में वे गये तो जहां पर उन्होंने विकास देखा वहां पर लोगों के चेहरे मुरझाए हुए थे और जहां वे इंटीरियर एरिया में गये जहां विकास का काम कुछ नहीं हुआ वहां लोग हंसते थे, खेलते थे, उनके चेहरों के ऊपर कुछ जागृति की नजर आ रही थी । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा क्यों ? मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि विकास होते हुए भी वे मायूस क्यों हैं ? इस मायूसी का कारण आपको देखना होगा । मैं आपका ध्यान उदाहरण दे कर के इस तरफ खींचना चाहता हूं । कारण यह है, आप एक उदाहरण ले लीजिये । आज खेतों में पानी पहुंचाने के लिये, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये लैंड को सुधा किया जाता है, तालाब बनाये जाते हैं इन तालाबों के बनने से वहां पर सिंचाई होगी वहां पर खेत हरे भरे होंगे उपज बढ़ेगी लोगों के आय के साधन बढ़ेंगे तो सभी प्रकार का विकास होगा तो फिर मायूसी क्यों है ? श्रीमन्, मैं एक ऐसे आदिवासी क्षेत्र से आता हूं जहां यह सभी बातें देखने को मिलती हैं । वहां पर मायूसी इसलिये है कि विकास के कारण पहले जहां पर पहले सभ्य लोग नहीं पहुंच पाते थे वहां आदिवासी अपने पुराने तरीकों से रहते थे, खाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आज बाहर का तबका जा कर के उनको दबाता है, कई प्रकार से परेशान करता है । इसलिये उन लोगों के लिये बड़ी बड़ी दिक्कतें हो गई हैं । एक तरफ बांध बांधा गया, पानी खेतों में गया लेकिन अब उन्हीं लोगों का पानी का बिल बढ़ गया है, पैनल्टी लग रही है, कई प्रकार की सरकारी अतापशनाप परेशानी बढ़ जाती है । दूसरी तरफ जहां बांध बांधा गया ऊपर का एरिया जो उसमें आ गया उसके बदले उनको रहने के लिये जगह नहीं दी गई, खाने के लिये कोई साधन नहीं दिया गया , इनकम को कोई सोर्स नहीं बचा । ऐसे लोगों के लिये परेशानी पैदा हो गई है । वह कहां रहेंगे ? आज मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं, मैं बिहार में, मध्य प्रदेश में गया था ऐसे उदाहरण सामने आये कि उन लोगों को रहने के लिये मकान नहीं दिया गया । जो उनकी जमीन थी वह भी ले ली गई इस लिये वे मारे मारे जंगलों में फिरते हैं उनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया । जंगलों में भी रहने के लिये अब जगह नहीं है । पहले वे जंगलों में रहते थे और वहां से उनको जितनी उपज होती थी वह उनको मिल जाती थी, लकड़ी काट करके घास बेच करके, अपना पेट पालते थे, अपने परिवार का पेट पालते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे लेकिन आज हमारी जंगलों की पालिसी भी ठीक तरह से सरकार ला नहीं कर पा रही है । रिजर्व फारेस

कौन से हैं, डिमार्केटेड लेंड कौन सी है, चारागाह कौन से हैं, खेती के लिये कौन सी जमीन है इन बातों को साफ नहीं किया गया । किसी भी स्टेट में पूरी तरह से इन समस्याओं को सुलझाया नहीं गया है । इसलिये क्या होता है कि यह लोग शिफ्ट हो कर अपने गांव से उजड़ जाते हैं तो उनको रहने के लिये कोई जमीन नहीं दी जाती । ऐसी हालत में उनके लिये और भी परेशानी हो जाती है । तो कुछ सुझाव जंगल के बारे में देना चाहता हूं। यह पहले स्टेट सबजैक्ट था अब केन्द्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। जंगल सारे कट चुके हैं लेकिन वह आदिवासियों को नहीं दी जाती है और जमीन दी जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें उसमें होती है। इसलिए जितने फोरेस्ट कट चुके हैं उनको अगले 10–15 साल तक किसी को काटने के लिए एलाउ न किया जाये, ठेकेदारों को ठेका न दिया जाये और वापस जंगल खड़े हो जायें तब इन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को इनकी सुविधा मिले ।

अब मैं आपका ध्यान पढ़ाई लिखाई की ओर खिचना चाहूंगा । गांव से जब एक बच्चा पढ़ लिखकर होशियार होकर निकलता है—पहले तो वे अपनी पढ़ाई प्राइमरी एजूकेशन के बाद ही छोड़ देते हैं लेकिन जब छोड़ देते हैं तो उस हालत में न तो घर का काम कर पाते हैं न इधर सरकारी नौकरी मिल पाती है । ऐसी हालत में जब आज बेकारी की या शिक्षित बेकारी की समस्या बढ़ रही है शहरों में भी और गांवों में भी तो जैसा कि हमारे युवा प्रधान मंत्री जी एक नयी शिक्षा प्रणाली लागू करने की कोशिश कर रहे हैं उसके तहत उन आदिवासियों, हरिजनों को शिक्षा के साथ साथ में कुछ इस प्रकार के काम सिखायें जायें (**समय की घंटी**) जिससे वे अपनी एजूकेशन खत्म करने के बाद अपनी रोटी रोजी का इंतजाम कर सकें । श्रीमन, मैं दो तीन मिनट और लूंगा ।

श्रीमान, मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन में रहने का अवसर मिला था। सिलेक्शन में क्या गड़बड़ियां होती हैं? सिलेक्शन में हम भी थे, सिलेक्शन करते थे, कैंडिडेटस से सवाल पूछे जाते थे लेकिन कैंडिडेट इज नाट अप टु द मार्क यह कह-कर उनका रिजेक्शन हो जाता था और कल हमारे बहुत से भाई बोल रहे थे कि इस प्रकार सिलेक्शन में कि कैंडिडेट इज नाट अप टु द मार्क यह तो एक जनरल बात सबके ऊपर है लेकिन आप टुद मार्क लाने के लिए सरकार ने जो कोशिश की है और टेक्निकल साइड में जाने के लिए कुछ कोचिंग इस्टीटयूट खोले हैं, आई एस एस और आई० पी० एस० के कोचिंग इस्टीटयूट खोले हैं उनमें भी ठीक तरह से सभी लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता है । तो ऐसा प्रयास किया जाये कि आपके अधिक से अधिक लोगों को वहां कोचिंग इंस्टीयूट में जाने का मौका मिले। मैं इस ओर आप का ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित करना चाहूंगा और कुछ शब्दों में अपने सुझाव देना चाहूंगा कि इस प्रकार की एक्शन कमेटियों में चाहे स्टेट लेविल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेविल पर चाहे ब्लाक लेविल पर हों, कोई भी विभाग हो चाहे बोर्ड हो मेरा एक आपसे आग्रह है कि इनमें चूंकि अब बहुत सारे आदिवासी हरिजन पढ़े लिखे होशियार हो गये हैं इसलिए एक न एक हरिजन या आदिवासी को उनकी सिलेक्शन कमेटी में जरूर रखिये। आपने लोक सभा में डिबेट की रिप्लाई देते हुए बताया था उसको मैंने पढ़ा है और मुझे खुशी है कि आपने हर लेविल पर कमेटी बनायी है लेकिन इन कमेटीज में कौन है ? वे ही लोग हैं, सवर्ण लोग हैं जो इन लोगों को बड़ी हो उस दृष्टि से देखते है जिससे उनके सिलेक्शन में बड़ी ही दिक्कतें आती हैं। इसलिए हर कमेटी में एक न एक शिडयूल्ड कास्ट या ट्राइब का आदमी होना चाहिए । अगर वह अवेलेबल नहीं है सर्विस क्लास पर में तो नान आफिसर्स में से चाहे एम० एल० ए० हो, एम० पी० हो या या छोटे लेविल पर प्रधान हों, सरपंच हों। प्राइमरी के टीचर्स का सिलेक्शन है जिला परिषद में कोई सिलेक्शन है तो शिडयूल्ड कास्ट या ट्राईब के नान आफिशियल्स भी कोई न कोई उस कमटी में जरूर होने चाहिए । अब सवाल यह है, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था वापस फिर यही निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार। आदिवासियों

[श्री धूलेश्वर मीणा]

और हरिजनों के उत्थान के लिए जो पैसा खर्च होता है तो उसको खर्च के लिए आपने उनकी देख रेख करने के लिए भी कमेटी बनाई है ? लेकिन खाली देख-रेख का ही सवाल नहीं, काम कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है उस पर भी कमेटी होनी चाहिए ताकि वह बराबर उसको देखती रहे समय-समय पर आपको इसकी रिपोर्ट मिलती रहे । इन सुझावों के साथ आगे भी बहुत सारी बातें हैं । . . . (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सन्तोष कुमार साहू): बहुत आदमी है अभी बोलने वाले ।

श्री धूलेश्वर मीणा : तो मैं इतना कह कर आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा खास कर गोमांगों साहब आप स्वयं भी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, इन सब बातों पर दिल खोल कर और साथ ही इस हाउस के मेंबरों से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे दिल खोलकर यहां तो आकरके बोल लेते हैं लेकिन आपने क्षेत्र में अपने आदिवासी और हरिजन भाइयों में जाकर वे कितने उनके दुख दर्द सुनते हैं इस पर भी विचार करके वे काम करेंगे तभी काम आगे बढ़ेगा। इस प्रकार यह जो आयोग की रिपोर्ट है उसको हम सपोर्ट करते हैं । धन्यवाद।

श्री राम नरेश कुशवाहा : माननीय उपसभाध्यक्ष जी हम लोग अनुसूचित जाति के आयोग की रिपोर्ट के बारे में बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और करीब-करीब इस पूरे सदन के जितने लोगों ने कुछ कहा है, एक राय है कि हरिजनों का उत्थान जैसा होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ ? इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए हमारी नीति ठीक होनी चाहिए। नेता ठीक होना चाहिए और साथ ही साथ हमारी नीयत भी ठीक होनी चाहिए पर यह काम कि कौन ठीक और कौन नहीं ठीक है सत्तारूढ़ दल के लोगों पर ही छोड़ रहा हूं क्योंकि कहीं तो कुछ गड़बड़ है और उसी गड़बड़ के चलते हरिजनों का उत्थान नहीं हुआ । मान्यवर, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कसौटी थी विकास की और वह कसौटी देश का अंतिम व्यक्ति था, प्रथम व्यक्ति नहीं था पंडित जवाहर लाल नेहरू बीच में खड़े थे। लेकिन जब से गांधियों का राज हुआ। तब से वह बिल्कुल एबाउट टर्न हो गया, पीछे हो गया और अब अंतिम व्यक्ति विकास का पैमाना नहीं है अब प्रथम व्यक्ति विकास का पैमाना बन गया है। जब कोई भी काम होता है तो तब पहले वह दिल्ली में होगा उसके बाद प्रदेश की राजधानियों में होगा। उसके बाद जिलों की राजधानियों में होगा उसके बाद बड़े कसबों में होगा । उसके बाद छोटे गांव में होगा और अंत में जाते-जाते हरिजन बस्ती में जायेगा । दिल्ली में एक आने की सड़क एक जाने की सड़क और फिर पैदल चलने की सड़क भी है। चार सड़कें है। बीच में पौधे आदि भी लगे है जब दिल्ली से बाहर निकलेंगे तो एक चौड़ी सड़क मिल जायेगी जो कि राजधानियों को जोड़ देगी । जब जिलों की राजधानियों को जोड़ता होता है तो वह पतली हो जाती है कस्बों को जोड़ना होता है तो और पतली हो जाती है गांव को जोड़ने के लिए सड़क कच्ची हो जाती है जब वह हरिजन बस्ती को जाती है तो वह पगडंडी भी बंद कर दी जाती है। यह विकास का क्रम है मैं यह बात कह रहा हूं कि दिल्ली में और राजधानियों में बिजली 24 घंटे रहती है लेकिन जिलों में बिजली की कटौती चलती है । वहां अगर दो घंटे की कटौती चलती है तो छोटे कस्बों में 6 घंटे की और गांव में 18 घंटे की चलती है। गांव में बिजली का खंभा लग जाता है हरिजनों के नाम पर लेकिन फायदा दूसरे लोग उठाते हैं और हरिजन बस्ती में बल्ब परमानेंट गायब रहता है यह रोना क्यों अगर उसी तरह से सारे विभागों का काम चलता है और अगर हरिजन विभाग का काम नहीं चलता है तो इससे देश का क्या बिगड़ता है ?

1981 से अगर कोई आयुक्त नहीं है तो क्या कोई आसमान फट रहा है? नहीं फट रहा है हां, अगर बड़े लोगों का मामला होता तो एक दिन में आसमान फट जाता इतना ही नहीं है, मान्यवर, यह तो ऐसे है, जैसे हाथी के दांत खाने के दूसरे और दिखाने के दूसरे है, हुकूमत की हाथी का दू दांत होला, खाए के दोसर देखावे के दोसर

मान्यवर, यह आयोग क्या है अगर इसको सांविधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, अगर जांच अधिनियम 1952 के अंतर्गत कोई अधिकार नहीं है . . . (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष कुमार साहू): कुशवाहा जी, आप चार पांच मिनिट के बाद खतम कर लें, तो इसके बाद लंच के लिये ब्रेक करेंगे।

श्री रामनरेश कुशवाहा : मान्यवर, कैसे खतम कर दूं, आप स्वयं बता दें अगर लंच के बाद ही आप मौका दे दें, तो क्या बात है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): All right. The House stands adjourned till 2-30 p.m.

The Housg then adjourned for lunch at thirty-one minutes past one the clock.

The House reassembled after lunch at thirty two minutes past two of the clock, the Vice-Chairman, Dr. (Shrimati Saro-jini Mahishi) in the Ch'air.

श्री राम नरेश कुशवाहा : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं कह रहा था कि जब इस आयोग को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत कोई अधिकार नहीं है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के लिए योजना बनाने में इसकी कोई भागीदारी नहीं है विकास योजनाओं के कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन में कोई स्थान नहीं है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी मामलों में इससे कोई परामर्श नहीं लिया जाता तो फिर यह आयोग है किसलिए ? जब किसी मामले को लम्बा करना होता है तो एक आयोग बना दिया जाता है और वह वर्षों तक अपनी रिपोर्ट देता रहता है और मामला खत्म हो जाता है। यानि मंत्रालय की यह इज्जत है इस सरकार की निगाह में कि 37 मंत्रालयों में से 3 मंत्रालयों ने सूचना देने का कष्ट किया और मंत्रालय तो अलग, गृह मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय जो इसके लिए जिम्मेदार है, इसके मालिक है, दोनों ने उसको रिपोर्ट नहीं दी। आज लगभग 40 वर्ष हो गए हरिजनों का प्रथम श्रेणी की नौकरियों में 5.68 हिस्सा है उनको 22.5 प्रतिशत हिस्सा कितने वर्षों में मिलेगा सरकार की नियत कितनी साफ है यह इसी से जाहिर है कि 81 की रिपोर्ट पर पांच वर्ष के बाद अब विचार हो रहा है।

मान्यवर, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी सूची में भी सुधार करने की जरूरत है; धोबी जाति हर जगह कपड़ा धोने का काम करती है लेकिन आधे से अधिक राज्यों में उसको अनुसूचित जातियों में नहीं रखा गया है। गुजरात, महराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, पांडिचेरी, दादरा और नागर हवेली तथा गोवा, दमन और दीव में इस को अनुसूचित जाति में नहीं रखा गया है। इसको भी शामिल करना चाहिए। कुछ ऐसी भी जातियां हैं जिन को अंग्रेजी और हिन्दी के झगड़े में पीसा जा रहा है। जैसे तुरहा एक जाति है। अंग्रेजी में तुरहा और तुरैहा की स्पेलिंग एक है लेकिन वह हिन्दी में तुरहा है। जो अपने प्रार्थना पत्र में तुरहा लिख देते हैं उन को कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। यह अंग्रेजी की गुलामी के कारण है और बहुत सी जातियां हैं जिन को इस कारण से यह सुविधा नहीं मिल रही है।

जहां तक आरक्षण का प्रश्न है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुविधा प्राप्त वर्ग है वही आरक्षण का विरोध कर रहा है और हम को तो आश्चर्य होता है कि प्रधान मंत्री जी ने भी बयान दे दिया आरक्षण के मसले पर कि आम सहमति होनी चाहिए। यह आम सहमति किस की होगी। क्या 85 प्रतिशत वह लोग होंगे इस में कि जो गांवों में रहते हैं? क्या 22 प्रतिशत हरिजनों और आदिवासियों की आम सहमति ली जायगी कि उन के बारे में क्या किया जाए। आम सहमति तो उन से आप लेंगे कि जो . 90 प्रतिशत बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सुविधा प्राप्त वर्ग है। आप उन से ही राय लेंगे। जो नेता हैं उन से राय लेंगे और नेताओं में भी कौन हैं और कौन

स्वच्छंद मन के हैं जो राय देंगे । आम राय का नारा एक दम धोखा है । आरक्षण इस लिये नहीं चाहिए कि उन को धन बटोरना है, आरक्षण इस लिये नहीं चाहिए कि उससे बेरोजगारी मिट जाएगा। आरक्षण इस लिये चाहिए कि न्याय देने का प्रश्न है । कानून का अपना कोई अर्थ नहीं होता । कानून का अर्थ जो लगाता है वह जो कुर्सी पर बैठा होता है। उसके मन के मुताबिक कानून अर्थ देता है । वही आई पी सी और सी आर पी सी की धारायें हैं जिन के मुताबिक आप की सरकार हम को जेल भेजा करती थी और अब भी भेजती है । लेकिन 1977 और 1980 के बीच में उसी कानून के अर्थ बदल गये और उस के मुताबिक ही इंदिरा जी को जेल भेजा गया । अगर आप गद्दी पर हैं तो हम जेल जाते हैं और जब हम गद्दी पर हैं तो आप जेल जाते हैं । तो आरक्षण इस लिये भी आवश्यक है कि कानून का अर्थ उन लोगों के मन के मुताबिक लगाया जाए जो दबे हैं, जो पिछड़े हैं, जो शोषित हैं और आरक्षण इस लिये भी आवश्यक है कि आप देखिये कि आज रिक्रूटमेंट करने वाले कौन लोग है? कौन लोग भर्ती करते हैं ? कौन–कौन को–पोस्ट्स पर पडे हुए हैं। वही सुविधा प्राप्त वर्ग के लोग हैं और जब किसी पोस्ट के लिये एडवर्टाइजमेंट होता है तो कह देते हैं कि उन में योग्यता नहीं है । जिस उम्मीदवार को भर्ती करनी होती है या जब अपने लोगों की भर्ती करनी होती है तो उन में जो भी योग्यता है उस के मुताबिक ही एड-वर्टाइजमेंट किया जाता है ताकि हरिजनों को पूरा मौका न मिले पिछड़े वर्ग को मौका न मिलें । तो यह सारी चालबाजियां की जाती हैं और मैं क्या कहूं । हरिजनों के लिये इस सरकार की छाती फटती है । यह 5 प्रतिशत की अंकों में जो सुविधा दी गयी थी हरिजनों को प्रतियोगी परिक्षाओं में, उस को क्यों वापस ले लिया गया ? क्या उन का कोटा पूरा हो गया आरक्षण में ? उन की सुविधा वापस ले ली गयी ? क्यों ले ली गयी ? राज्यों में भी इस तरह का षडयंत्र किया जा रहा है । मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस से काम नहीं चलेगा । आप ने सदियों से जिन लोगों पर अत्याचार किया है उन लोगों को न्याय देने के लिये वक्ती तौर पर, क्षणिक तौर पर तो कुछ लोगों के साथ अन्याय करना पड़ेगा और उन को भी चाहिए कि चौड़ी छाती कर के उस को बर्दाश्त करें । (**समय की घंटी**) मैंने लंच के पहले शुरू ही किया था कि लंच हो गया । इस लिये आप मुझे थोड़ा समय तो और दें । मैं उस समय दो ही मिनट बोल पाया था । अत्याचारों की जहां तक बात है, सौ वर्ष पहले किसी हरिजन पर अत्याचार की रिपोर्ट किसी थाने में नहीं मिलेगी तो क्या मान लिया जाएगा कि सौ साल पहले हरिजनों पर अत्याचार नहीं होते थे । अत्याचार होते थे और आज से ज्यादा होते थे लेकिन उस समय उन में चेतना नहीं थी । उस को अहसास नहीं था । वह यह मान कर चलता था कि हम तो लात खाने के लिये, मार खाने के लिये ही पैदा हुए हैं । अब शिक्षा के साथ, स्वतंत्रता के साथ, राजनीतिक जागरण के साथ उन में अहसास पैदा हो रहा है कि यह अन्याय है और उन को अपने साथ हो रहे अन्याय का अहसास हो रहा है तो उस के प्रतिकार के लिये वह खड़े हुए और जब खड़े हुए तो जितनी सारी आसुरी शक्तियां चाहे वह गुंडे हों या पुलिस लोग हों या राज नेता हों, वे भी उन में शामिल हैं,, सब मिल कर उन को दबाना चाहते हैं और जब गरीब के लड़के उसके खिलाफ सीना तान कर खड़े होते हैं तो उन को नक्सलाईट कह कर मार दिया जाता है । उसको अवांछनीय तत्व कह कर मार दिया जाता है, आतंकवादी कह कर मार दिया जाता है । उत्तर प्रदेश में 5 हजार लोगों को मार दिया गया है । नक्सलाइट्स कौन लोग है, किनको नक्सलाइट्स कह कर मारते हैं? मार देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा । आज देश में आपका करनी से हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं । दो ही तरीके से इसका समाधान

हो सकता है इस अत्याचार का समाधान हो सकता है या तो गांधी की तरह अपनी जान हथेली पर लेकर निकले और आतंकवादियों से सामना करें और कहें कि चाहे मार दो लेकिन जो सत्य है मैं उसे कहूंगा । नहीं तो फिर हथियार का बदला हथियार से होना चाहिए । कुछ को आप ने हथियार दे रखे हैं इससे कुछ नहीं होने वाला है । मैं तो कहता हूं कि दोनों को बराबरी पर ला दीजिए । लाइसेंस हथियार का किसको मिलता है जो सुविधा प्राप्त वर्ग होता है, उसको । अवैध हथियार भी उसी के पास है । आज कल गुण्डा अच्छे से अच्छा हथियार ले कर चल रहा है, बम लेकर चल रहा है, राइफल लेकर चल रहा है, मशीन-गन ले कर चल रहा है। लेकिन जो गांव के लोग है सब्जी काटने का चाकू होता है, सांप मारने वाला भाला भी वह नहीं रख सकता है । क्या ये हरिजन लोग गांव के लोग इन गुंडों का मुकाबला कर सकते है ? मैं दावे के साथ कहता हूं कि रत्ती भर भी सरकार में ईमानदारी है तो छोड़ दीजिये लाइसेंस की बात और गांव में जो हथियार बनते है उसको फ्री कर दीजिये । मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब आप यह फ्री कर देंगे तो ये अत्याचार अपने आप खत्म हो जायेंगे । और अगर नहीं होंगे तो मैं राज्य सभा से इस्तीफा दे दूंगा । आज जो गुंडा चलता है वह जानकर चलता है कि मैं ही हथियार लिये हुए हूं बाकी सब निहत्थे हैं । जिनको चाहो मार डालो और जब आप हथियार फ्री कर देंगे तो उसको डर लगेगा मैं इधर से मार रहा हूं पीछे से कोई मुझ को न मार डाले । इसलिये किसी गुंडे की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि चौराहे पर खड़ा हो कर किसी को गोली मार दे, डकैतों की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि गांव के लोगों की, हरिजन लोगों की जान ले, आप गांव के लोगों को, हरिजन लोगों को हथियार दे दीजिये और कह दीजिये कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम भी उस पर हमला करो । उनको छठी का दूध याद आ जायेगा । मैं आप से कहना चाहता हूं कि आपने गांव का संतुलन बिगाड़ कर रख दिया है और जहां तक आदिवासियों का प्रश्न है हमारी सरकार के जो अधिकारी हैं, दुर्भाग्य यह है कि हम राजनीतिक लोग भी उन्हीं की आंखों से देखते हैं हम अगर बाजार में जूता खरीदने जाते हैं और हमारे नम्बर का जूता नहीं मिलता तो क्या हम अपना पैर काट जूता के बराबर कर लेंगे । यह कोई अक्लमंदी का काम नहीं है । आदिवासियों के अपने नियम हैं सामाजिक कानून हैं, जंगल में उनका अपना काम चलता है, अपने नियम चलते हैं । अरुणाचल प्रदेश में मुझे जाने का मौका मिला । वहां के लोगों का कहना था कि सरकार तो केवल ईटा नगर में है बाकी में तो आदिवासी लोग अपना सब कुछ कर लेते हैं इसलिए वहां न चोरी होती है, न डकैती होती है, न बेइमानी होती है । हमने उनके कानूनों को नष्ट कर दिया है । हमने उनकी परम्पराओं को चौपट किया है । उनकी रोजी-रोटी को चोपट किया है । मैं आपसे कहूंगा कि पता नहीं कब तक वे धीरज रखेंगे । रेनकूट में मिरजापुर जिले में बहुत से नये कारखाने हैं, वहां काम करते हैं और वहीं रहते हैं लेकिन एक-एक आदिवासी को तीन-तीन बार उजाड़ा गया, निकाला गया । क्या सरकार इतना भी नहीं कर सकती कि उनको संरक्षण प्रदान कर सके । क्या यह भी नहीं कर सकती कि उनकी जिन्दगी से खिलवाड़ न किया जाए । लगता है आपको उनसे कोई मुहब्बत है । अगर वोट की बात नहीं होती तो शायद आप यह क्लास भी नहीं मानते, मैं आपसे कहता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ न कुछ प्रक्रिया को बदलने की कोशिश करिए । 21वीं सदी में जाने की बात हो रही है ।

उपसभाध्यक्ष [डा० (श्रीमती) सरोजिनी] महिषी : अब आप खत्म करिये ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : मैं खत्म कर रहा हूं । हम 21 वीं सदी की बात कर रहे हैं । काफी हमारे साथ जो लोग हैं, नेताओं के साथ जो रह रहे हैं, बल्कि उनमें कुछ नेता भी है वह 15 वीं सदी में रहना चाहते हैं और 15 वीं सदी का समाज बनाना चाहते हैं । लाठी, डंडा और गोली की सरकार बनाना चाहते हैं । लाठी, डंडा वाली बोली गांव वालों से बुलवाते हैं, उनको समझाते हैं ।

[श्री रामनरेश कुशवाह]

और बेशर्मी के साथ उनका साथ देते हैं, उनकी मदद करते हैं । राजनैतिक अनिवार्यता आदि अनेक बातें कहते हैं । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने इस खतरे को नहीं समझा तो आप देश को ज्वालामुखी पर खड़ा कर देंगे । आप इस बात को याद रखिये कि चम्बल का पूरा का पूरा इलाका डाकुओं से भरा हुआ है । वहां उनका ही राज चलता है । बिहार के 12 जिलों में नक्सलपंथियों का राज्य है । कहीं कोई सेना काम करती है तो कहीं कोई दूसरी सेना काम करती है । सारे देश में आग सुलग रही है । पूर्वी प्रान्तों में जो आग है वह तो है ही । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर एक भी आदमी ऐसा पैदा हो जो इन सारे विद्रोहियों को जोड़ दे तो इस देश में एक जबर्दस्त खतरा पैदा हो जाएगा । आप लोग जबर्दस्ती इस देश को गृह युद्ध की आग में झोंक रहे हैं । आरक्षण विरोधी, हरिजन विरोधी पिछड़े वर्ग विरोधी आन्दोलन चला कर इस देश को आप लोग गृह युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं । इसी लिए यह सारा का सारा ताण्डव नृत्य हो रहा है । अगर सरकार समय रहते नहीं चेती तो धीरज होकर धीरज भागा वाली बात चरितार्थ हो जाएगी । कब तक लोग इन चीजों को बर्दाश्त करेंगे ? अति संघर्ष करै जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई । आप कितने भी शांतिपूर्ण हैं कितने भी अहिंसक हैं कितने भी धर्मभीरु हैं, धीरज की एक सीमा होती है । इस सीमा के बाहर जाने पर हिंसा की आग भड़केगी । दुर्भाग्य की बात यह है कि बिना हिंसा के सरकार कोई बात मानती नहीं है । भाषावार प्रान्तों का गठन हिंसा के कारण हुआ । बम्बई और गुजरात राज्यों का निर्माण हिंसा होने के बाद हुआ । पंजाब का बंटवारा हिंसा होने के बाद हुआ । जब हम लोग आनन्दपुर साहब रिजोल्यूशन के बारे में कहते थे तो विपक्ष को देशद्रोही माना जाता था । आज आपने उसको मान लिया, आप देशभक्त हो गये । इतनी हिंसा के बाद आपने उसको माना है । इसलिए पिछड़े और हरिजन वर्ग की जायज मांगों को भी आप हिंसा होने के बाद मानेंगे ? एक खतरनाक परम्परा इस देश में चलाई जा रही है । मैं चाहूंगा कि सरकार चेते और भले लोगों की जायज मांगों को माने । हिंसा और खून-खराबा होने से देश को बचाये । गरीब लोगों को राहत दे ताकि हिंसा का वातावरण देश से दूर हो । इन शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं ।

श्री रोशन लाल (हिमाचल प्रदेश) : मोहतरिमा वाइस चेयरमैन साहिबा, आज इस हाउस में आठ साल पुरानी रिपोर्टें यानी 23वीं, 24वीं, 27वीं और 28वीं रिपोर्ट सन् 1975 से 1981–82 तक की शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की पेश हुई हैं । इस मौके पर मुझे एक शेर याद आया है—

जमाना बड़े गौर से सुन रहा था,
हमीं सो गये दास्तां कहते कहते ।

26 जनवरी, 1950 को जब हमारा संविधान, आईन मरतब होकर कौम के सामने आया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो हमारे काबिले फक्र और काबिले एहतराम लीडर थे उन्होंने उस वक्त एक अहदी पैगाम कौम के सामने रखा । उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी कौम की बुनियाद रखने चले हैं जो कास्टलैस और क्लासलैस होगी जिसकी बुनियाद सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को कोआपरेटिव बेसिस पर होगी । बिना लिहाज मजहब, मिल्लत, अकीदा और ख्यालात, जात-पात और रंगो नस्ल, हरफरदो-बशर को एकसां हकूक होगा । जब हम इस चीज को देखते हैं और 38 साल की बात याद करते हैं तो पता चलता है कि ये अल्फाज कितने कीमती थे । कौन-सा वह पैमाना है जिसमें हम क्लासलैस और कास्टलैस सोसाइटी बना सकते हैं । हम यह देखते हैं कि आज जितने भी इलेक्शन लड़े जाते हैं वे सब कास्ट के नाम पर लड़े जाते हैं । हमारे अपोजीशन के दोस्त मोहतरिमा इन्दिरा गांधी जी के मुतल्लिक कुछ नुक्ता चीनी कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी की भी नुक्ताचीनी कर रहे थे । मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता हूं । उन्होंने कहा कि यह एक स्टन्ट है । लगू और शरंगेज बात पर मबनी है । यह उनके ख्याल हैं, उनकी विचारधारा है । मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता हूं । जहां तक इस कौम की जो पशेमांदा जातियों और पशेमांदा कौमों से जो लोग ताल्लुक रखते हैं अगर यह कहा जाय कि उनके लिये कुछ नहीं हुआ ठीक नहीं । बहुत कुछ हुआ, इन्होंने बहुत तरक्की की । लेकिन जो कुछ होना

चाहिए था उसके मुताबिक नहीं हुआ और यह इसलिये कि अस्लो-गारद का बाजार पहले से ज्यादा गर्म हुआ । जो रिपोर्ट यहां पेश हुई हैं, 1978 और 79 की रिपोर्ट उसमें अदादो शुमार दिया गया है और कमीशन की रिपोर्ट में है मर्डर्स, व इलेंस और रेप उनकी तादाद जहां 1978 में 10589 थी वहां 1979 में 14053 हो गयी । अगर ये रिपोर्ट वक्त के ऊपर डिसकस होती, हाउस के अंदर और गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती, जो रेकमडेशंस कमीशन की थी, उनके ऊपर कोई अमल दरामद करती तो ये अट्रोसिटीज, ये जुल्म, और तशद्दुद, ये रेप और मर्डर के जितने केसेज हैं वे शायद इतने न होते । उसमें कमी होती । लेकिन मुझे दुख होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से नीमदिली या सुस्तरवि से काम नहीं किया गया । यह बावर करने का काफी वजूहात मौजूद हैं जिसकी वजह से ये रिपोर्ट आज तक पेश नहीं हुई और ये डिसकस नहीं हुई । इसी तरह से स्टेट्स भी इस मामले को नहीं कर सकीं । जहां तक प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स का ताल्लुक है उसमें ये सारे हकूक आते हैं, उसमें अनटचेबिलिटी भी आती है, मर्डर भी आते हैं और रेप के सारे केसेज आते हैं। मैं शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमेटी का मेम्बर हूं और मैंने अभी हाल ही में कई स्टेटों का दौरा किया और चार स्टेटों को एक्जामिन किया । वहां मुझे अट्रोसिटीज, मर्डर, रेप और छुआछात के केस मिले हैं । जब मैंने स्टेट के होम सेक्रेटरी से पूछा, अभी एक-डेढ़ महीने हुए, हमने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, दूसरे हैड आफ डिपार्टमेन्ट्स, आई०जी० और डी० आई०जी० पुलिस भी वहां बैठे थे, तो वहां अट्रोसिटीज, मर्डर, रेप और दूसरे अनटचेबिलिटी के केसेज जितने भी थे, जब हमने उनसे यह दरियाफ्त किया तो उन्होंने उनकी तादाद बताई और उसके बाद यह बताया कि ये केसेज विद-ड्रा और कम्प्रोमाइज हो गये हैं । हमने उनसे सवाल किया जब प्रोसीक्यूशन के प्राइमा-फेसी एवीडेन्स के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया था, चालान किया था तो यह स्टेट केस था और जो कंपलेनेन्ट था वह भी एवीडेंस में पेश हुआ था तो आपने किन वजूहात की बिना के ऊपर यह कम्प्रोमाइज किया, इसका मतलब है कि खुद गवर्नमेन्ट ईमानदारी से नहीं चाहती कि काम किया जाय या उन्हें इंसाफ दिया जाय । इस कौम के लिये माजी में भी गवर्नमेंट के पास जवाब नहीं था । यही हमने यू०पी० गवर्नमेंट से पूछा और जब होम सेक्रेटरी जवाब नहीं दे पाये, आई०जी० पुलिस जवाब नहीं दे पाये तो वहां के चीफ सेक्रेटरी बीच में बैठे थे और उन्होंने कहा कि आपने टैक्नीकल और लीगल सवाल उठाया है, मैं इसको एक्जामिन करूंगा और उसके बाद आपको इत्तिला दूंगा । इसी तरह से राजस्थान में भी केसेज हमारे सामने आये। वहां भी हमें इसी किस्म का जवाब मिला। मेरे कहने का मकसद यह है कि जब यह रिपोर्ट आपके सामने आती है तो इसको आप टेबल में रखते हैं और इसके ऊपर तवज्जह नहीं देते । अट्रोसिटीज बढ़ती जा रही हैं, जुल्म होते जा रहे हैं, तशद्दुद होते जा रहे हैं और इनको ये कौमें बर्दाश्त करती चली आ रही हैं । आखिर कब तक यह सिलसिला रहेगा । हमने देश में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की बुनियाद डाली है और इस पर चलने की बात कहते हैं । क्या यही निशानी हैं सेकुलरिज्म की ? क्या यह डेमोक्रेसी पर एक बदनुमा धब्बा नहीं है ? क्या यह कांस्टिट्यूशन में जो अनटचेबिलिटी के बारे में कहा है, जो सिविल राइट्स की बात है, क्या उसके ऊपर यह बदनुमा धब्बा नहीं है। हमको यह देखना चाहिए कि इन पर अमल क्यों नहीं होता । मैं अपनी मोहतरिम लेट प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा गांधी को मुबारकबाद देता हूं और खराजे हकीदत पेश करता हूं कि उन्होंने इन बदकिस्मत जातियों को ऊपर उठाने के लिये बीस नुकाती प्रोग्राम कौम के सामने रखा और उस पर अमल-दरामद होना शुरू हुआ । लेकिन उसमें भी बदकिस्मती से अभी तक वही लोग जो. . . (समय की घंटी)

यह मामला बड़ा अहम है । इसको हमने पिछले सेशन में पोस्टपोन करवाया था । हमको बोलने दीजिए । हम कभी कभी बोलते हैं । हम ने उस वक्त सवाल किया था कि इस देश में अभी तक गुदकिरानूसी, गुतलकुलनान और रुजतपसंद लोगों का गल्बा बाकी है और माजी में उन्होंने इन जातों को

[श्री रोशन लाल]

अखलाकी, मुआशी, समाजी, केन्द्रों से महरूम रखा। लेकिन जब आजादी मिली तो यह लोग अपने हकूक को समझने लग गये और समझने की वजह से उनके ऊपर आज ज्यादतियां हो रही हैं। यह तशद्दुद हो रहा है जिसका मैंने जिक्र किया है। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले जमाने के दकियानूसी मतलकुलनान और रफायमंद लोग मौजूद हैं समाज के अन्दर जिनके हाथ में पहले से ताकत है, वही मुन्सिफ वही वकील हैं और वही गवाह हैं। किस को मुन्सिफ समझूं, किस को वकील कहूं और किसको गवाह। चूंकि जट, मुहासिल, बाणिया, हातिम, बामण, शाह, यह जहां तानों कौमें इकट्ठी हैं, वहां कहरे खुदा है, वह इन लोगों को कभी इन्साफ नहीं मिल सकता है। तो इन्साफ के लिए लोग किस कौम के पास जाएं, किस के पास जाएं। पहले बारबेरिक सिस्टम था, फोर्स्ड लेबर सिस्टम होता था, बांडेड लेबर सिस्टम होता था। आज वो लोग अपने हकूक को समझने लगे हैं। आज न तो कोई बांडेड लेबर बनने के लिए तैयार है, न कोई फोर्स्ड लेबर बनने के लिए तैयार, न उनके पास कोई बंटाई में या बंगार में काम करना चाहता है जिसका नतीजा यह है कि इनको जिन्दा जला दिया जाता है, इनकी बहु-बेटियों को बेइज्जत किया जाता है और इनके घरों का साजो-सामान फूंक दिया जाता है। तो इस मसले को हमें जजबाती तौर पर हल नहीं करना है। इसको दूसरे मुनासिब से आंकने की जरूरत है। हमें इस मसले को कौमी सतह पर रख कर इस को बार फुटिंग पर हल करना चाहिये। यह कौम का मसला बड़ा अहम मसला है।

मैं अभी 20 प्वाइंट प्रोग्राम का जिक्र कर रहा था। 20 प्वाइंट प्रोग्राम में जो कुछ भी हुआ गवर्नमेंट ने बड़ी सिदाकदिली से किया ताकि लोगों के हालात बेहतर हो सके। लेकिन इन लोगों को मिलता कुछ नहीं है क्योंकि जो प्रोग्राम बनाए हैं उस में 15 या 20 परसेंट सही लोगों को पैसा जाता है और बाकी लेफ्ट राइट में रहने वाले अफसरों के नीयरेस्ट और डीयरेस्ट्स को मिलेगा या पोलिटिकल आदमियों के आदमी बेनिफिट उठा जाते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आने जाने में खा जाते हैं, इन में से कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी के नूरे-नजर हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है लेकिन वो इस मदद के मुस्तहिक नहीं हैं। तो लिहाजा उसको अभी तक बेनिफिट नहीं पहुचा है। एक प्रोजेक्ट के अन्दर 600 आदमी आते हैं, 600 आदमियों की आइडेंटीफिकेशन होती है उनको 3 सौ रुपये से ले कर तीन हजार रुपये तक मिलते हैं। एक साल के बीत जाने के बाद यह रिपोर्ट आती है कि इतने आदमी गरीबी की सतह से ऊपर उठ गये हैं। यह बड़ी नामुमकिन सी बात है। एक साल के अन्दर अगर किसी आदमी को तीन हजार रुपये एक भैंस खरीदने के लिए दे दिये गये और उस तीन हजार रुपये की भैंस से 6 महीने दूध बेचने के बाद वह गरीबी की सतह से ऊपर आ गया तो यह बहुत नामुमकिन बात है। यह जो आपकी स्टेटेस्टिकल फिगर्ज आती हैं यह गलत हैं, यह बिलकुल आंख मिचौनी का काम है, धोखा देने वाली बात है। आपने एक कम्पोनेंट प्लान बनाया, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाया, यह बिलकुल धोखा है। जो रुपया यहां से स्टेट्स को जाता है वह रुपया डाइवर्ट हो जाता है। जो रुपया यहां से जाता है वह आप जाकर के देखिये स्टेट्स में मुख्तलिफ मदों में चला जाता है और हरिजन आदिवासी लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। जो रिपोर्ट आती हैं उसमें मैनेजमेंट डेज लिखा रहता है कि इतना लेबर के लिए दे दिया गया। यह लेबर कहां से आती है। मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं और वहां पर जो लेबर आती है वह राजस्थान से आती है, नेपाल से आती है वहां पर उस लेबर को फायदा पहुंचता है। लेकिन लोकल लोगों को इससे क्या फायदा पहुंचता है। इसी तरह से गुजरात या कहीं दूसरी

जगहों से लेबर काम करने के लिए आता है। मैं इस कम्पोनेंट प्लान के लिए सुझाव देना चाहता हूं। ये अनुसूचित जाति और जनजाति के इक्तसादी और समाजी मसले हैं इनके लिए बेसिक चीज यह है कि तालीम का मयार ऊंचा किया जाए। तालीम का मयार ऊंचा किया जाएगा तो कुछ अपने हकूक को यह लोग समझेंगे, कुछ अपने भाईचारे के लोगों के लिए बेहतरी का काम करेंगे अदरवाइज नहीं। मेरी तजवीज यह है कि अगर गवर्नमेंट कम्पोनेंट प्लान में जो पैसा खर्च कर रही है अगर वह पैसा एजूकेशन का तरफ खर्च कर दे जितने शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दें, उनको फ्री यूनीफोर्म दें, उनको फ्री बुक्स दें और जो बच्चे हायर क्लासेज में पढ़ते हैं उनका डिस्ट्रिक्ट लेबल पर सिलेक्शन किया जाए और डिस्ट्रिक्ट लेबल पर एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जाए जिसका मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी या हिन्दी हो या दोनों हों वहां यह बच्चे जाएं ताकि वह यह बच्चे आगे चल कर आई०ए०एस०, आई०पी०एस० या दूसरी क्लास-1 सर्विसेज में जा सकें। हमारी कमेटी जब बाहर जाती थी बाहर सर्विसेज में बैकलाग देखा जाता था तो लोग यह कहते थे कि अवेलेबल नहीं, इलीजिबल नहीं और फिट नहीं, मिला नहीं। जब यह चीजें खत्म होंगी तब उनका मयार बुलंद होगा वह अपने हकूक को समझेंगे और दूसरों को आगे ले जाएंगे आज जो शार्ट-फाल सर्विसेज में हो रहा है वह तभी दूर होगा। जब इनको तालीमी तौर पर ठीक करेंगे, समाजी तौर पर इनमें इन्कलाब आयेगा तब ये जो झगड़े कौम के सामने पैदा हो रहे हैं ये दूर होंगे। इसलिए इन मसलों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है तभी यह मामला कौमी सतह पर हल होगा।

3.00 p. M.

PROF. B. RAMACHANDRA RAO (Andhra Pradesh): Madam Vice-Chairman, I would like, first of all, to take up this subject pointing out that for the first time, after several years, perhaps we are taking up for consideration a large number of these reports both of the Commissioner as well as of the Commission. This could have been done yearly so that we could have had yearly review or at least a biennial review. I would like to suggest that instead of taking up these reports together, if we take up a smaller of reports, we will be able to have a detailed discussion. In fact, we hardly had anytime to go through all these reports. This is only a small suggestion.

Before I proceed to give, in brief, my own observations, I would like to make a brief reference to the Mandal Commission, not that the Mandal Commission had given many great suggestions which any Government could implement. But there is one important suggestion given by the Mandal Commission, which we have to examine, at the earliest. One of these is that, there are some communities which are so backward, sa downtrodden, perhaps, on the same level as Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if not worse, which have to be brought into this group. There are some communities like, for example,—a couple of Members have mentioned this—washermen, fishermen and a few others who are living in abject poverty and all these cases must be taken up by the Government as early as possible in order to have accelerated development of these communities.

The second point which I would like to mention is about minimum wages and land reforms. I think, a lot of statistics has been given in these reports. But all these reports show that many of the Chief Ministers have not even responded to the queries from the Central Government to implement these as per th<» national guidelines laid down at the Chief Ministers' Conference held on July 23, 1982, and it is more than a decade now. The question is, how can land reforms be implemented unless the State Governments respond promptly and tpke effective steps? Th§ statistics are revealing that only 69 per cent of the surplus area been taken possession of and distributed and the

[Prof. B. Ramachandra Rao] .rest of it is lying in spite of the fact that the decision was taken more than thirteen years ago. The Central Government should take a special note of this fact.

My third point is about economic development. In th$_e$ matter of borrowings by the Scheduled Caste community, for industry, for development, fo$_r$ marketing, for trade, etc., you will find that the r.atio is 1:3 to 1 : 4 between the Scheduled Caste community and the rest of the communities. This shows that these people are unable to absorb the facilities that are already available. What arn the causes? These should be examined. Actually even in the case of the special component plan, tribal^ development plan, the allocations made by the Centre to the State Governments have not been properly and fully utilised, they have not been able to implement the programmes. 1 do not blame the Government. This is due to the inability of the people to absorb, But what are the causes fo$_r$ this; lack of education, lack of training, lack of, what you may call, supporting organisations which give them the benefit of guidance. I Wave a feeling in this respect that Government can use the voluntary organisations, take help from these organisations. This would go a lon^ way. I think, instead of the Government trying . to implement these programmes through the bureaucracy, well-established and well-oriented voluntary organisations would be able to do a lot more good to these communities.

The last but one point I would like to make is regarding education. If you look at the education field. I think all of you will agree with nie that education is the kev to development of any country. If you do not give education to the people any amount of money would be a waste. It will either go to the middleman Or he will'squander it away On drinking and the various ill effects that -will follow. So in the field of education, any analysis from Scheduled castes and Scheduled Tribes has shown that 50 per cent of the dropouts is at the fifth class level. The percentage of educated people in the higher education is very very marginal. In fact I can give the figures which are already there: 14.7 per cent are educated among the Scheduled Castes and among the women the percentage is 8.44 which is a deplorably low percentage. I think somethink drastic has to be done in the field of education and I hope in the new Indira Gandhi National Open University something will be done to reach these people who are far away not only from the cities but also from the villages. They are cut off from the main villages. So if this Open University can at least reach them and give them the benefit of education, I do hope that they will be able to come up.

I would like to mention another factor here. In -the case of the Reports of Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, a lot of statistics was given about how many clerks were appointed, how many officers were appointed and what percentage has been implemented and so on. But very few are aware of the fact that in 1976-77 the University Grant? Commission had introduced reservation in the higher education field at the entry point—namely, at the Lecturers' level. It is now nearly 9 years since this was done and in two Plains this has been implemented, but no analysis has been- made as to whether this decision has been implemented and what the effects is of that in the matter of recruitment of teaching staff. I was a member of the University Grants Commission as its Vice-Chairman. At that time we had drawn up the plans in 1976-77, but to this day i do not find any analysis of this beneficial resolution of the University Grants Commission communicated to all the universties and colleges. My own information is that these have not been implemented, have rather been ignored and the UGC has no machinery for monitoring! these recommendations.

plemented, have rather been ignored and the UGC has no machinery for monitoring thes$_e$ recommendations.

I would also like to mention one other important factor. I think at the time when Prof. Nurul Hasan was the Education Minister, it was pointed out to the Education Ministry that in the Institutes of Technology and the Regional Engineering Colleges there was reservation but hardly 2 to 3 per cent ca te up to the level of these institutions. A Special Committee was appointed to bring them up to that level. Certain r5ecomm<endatiom were made by $_a$ committee of which I was the Chair; nan, but they were all put m •fold storage.

Th$_e$ two major defects in the matter of education of Scheduled Castes are the following; One is that they are weak in English language with the result that they are not able to get through any interview. This is because you have the single teacher schools and municipal schools where the knowledge of English is very very poor. The second is that they are poor in science and technology. In most of the science colleges you find that even if you introduce reiser vfation, there are no candidates-fo$_r$ that. This is important since this also helps them to come up industrially. My suggestion would be that in the matter of education, especially with reference to Scheduled Castes and Tribes, we must tak$_e$ care of tnese factors so that overall development of this community can take place.

The last point which might be considered very controversial but which 1 would like to mention is, at the time when we have introduced reservation perhaps for the last so many Plans and when some people from th$_e$ Scheduled Castes and Scheduled Tribes hav$_e$ come up above the poverty line, when they hav$_e$ reached the level of the third or fourth generation, when many people have become officers—IAS officers and other— ig it necessary to give further support by way of reservation to even this Scheduled Caste community after they have gone through two or three stages of reservation, whe$_n$ they have co ne above the poverty level, when they are quite rich when they are able to send their children to what we call public schools and when they are able to compete equally with the rest of the community? I would like to pose this question whether the Government cannot take a decision that the reservation may extend only over two or three generations till they come up above the poverty line so that their unfortunate brethern at the lowe$_r$ level can get th$_e$ benefit. Today you are in a position in which among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes you have a neo-rich class, and they are the people who are enjoying these benefits, and these are the things which are leading to agitations like those in Gujarat. I would like to sound a note of warning to all the people concerned that this reservation issue must be examined from that point of view within the afnbit of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. There must be an economic criterion, the criterion of the level to which we have come. How it has to be implemented is a matter of managerial techniques that we should follow. 1 would like to suggest that unless this is done, the real Scheduled Castes people who are down-trodden, who have come up th$_e$ hard way, will never be able to get a chance. This is the warning I would like to give, that the country will face unnecessarily other agitations unless we examine this in great depth.

I am closing in one minute. Shri Rajiv Gandhi has taken very keen interest in our down-trodden people. He has visited a number of tribal areas, and he is continuing to visit many. He wants to take th$_e$ country forward into the 21st century using all modem technology and the benefits that accrue of the development. But I am afraid, a country which has got 50 per cent below the poverty level would not be able to go into the 21st century unless the basic things

[Prof. B. Ramachandra Rao]

are solved. Eradication of poverty, education fo$_r$ all people shouid get the hlgheist priority iu our country, and the east$_e$ distinctions should be gradually eradicated from this coun- : fcry. No country can progress with such large caste distinctions existing. That is why, I would like to suggest | in the end, while concluding, 1hat i our ultimate aim should be to abolish these caste barriers$_i$ the reservations, by the time we reach the 21st con-tury.

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh); Madam Vice-Chairman, the '• fact that (he Government thought it j fit to pla:e as many as 11 reports pertaining to the period 1974-75 to 1981-82 for the consideration of this House is a testimony to the lack of interest \ihich is being shown by the Government in the well-being of the Scheduled Castes, the Scheduled Tri- j bes and other backward classes. I

Not onijj that. The Constitution thought it At to have an officer, known as Special Officer for monitoring the work on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. In pursuance of it the Commissioner for 'Scheduled j Castes and Scheduled Tribes was appointed. Until 1981 the Commissioner who is having constitu:ional authority, wis having at least some powers to evaluate, to monitor and to comment upon the programme as they ; are being implemented all over the country. It is indeed unfortunate that since 1981 onwards there has been no Commissioner, What is more interesting is that a Commissioner was appointed in the year f984 on February 25 I am happy to state that J a good friend of mine, Dr. B. D. Sharma, has beer! appointed, who happens to be the Vice-CharreUor of the North-Eastern Hill Uniersity. But he is not able to join because the Education Ministry did not think it fit to appoint a successor to him. That is what I understand. This is the seriousness with which we are dealing with the problems of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

On the top of it, in the year 1978, without amending article 338 of the Constitution we have also appointed the Commission. The Commission wai in force for about four or five years. We had four chairmen of the Commissions. The last one was in position till the beginning of this year; and she retired on becoming Minister. In the meanwhile, three members of the Commission also ceased to be in existence with the result that—if I understand properly there is only one member of the Commission in position today. That means the two organisations one which is Constitutional and another which has been created with the purpose of overseeing things, is functioning without the Commissioner and at least four members of the Commission. This shows the seriousness with which we are trying to tackle the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I see no reason why the Government felt— whatever may be the thinking of the Government—that if there has to be a broad-based Commission they did not make attempts to amend the Constitution first and then make the Scheduled Castes Commission as the Constitutional Body. That has not been done. On the other hand, the Commission has not been revived. It is true that a single Commissionsr who is a Constitutional authority, perhaps, will not be able to deal with the problems of a country as wide and big as is ours. Therefore, I suggest that a via media can be followed. After all, the Commissioners position as per the Constitution is only as a Special Officer. Therefore, the Commissioner's post may be upgraded to that of the Chief Commissioner and three or four Commissioners may be appointed under him. who can deal with the problems in the four corners of the country effectively. If that is done. I am confident that a Constitutional authority like that of the Chief Commissioner can have adequate powers, rights and privileges to effectively monitor the various programmes that are supposed to have been started for the well-being of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Having stated the need for looking at this problem from this point of view, I would like to go inio the problems of *the* Scheduled Castes and Schedule'! Tribes. The problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as rightly pointed out by some hon. Members, could be looked at from social, economic and political point of view. The fathers of the Constitution thought it fit that unless a political foundation is afforded for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes population to be the effective in in the decision-making process of the country, the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will not receive the due attention. Therefore, the policy of reservation in terms of seats in the Assemblies and the Parliament has been done.

Then, they also thought it fit that unless the Scheduled Castes and Scheduled Tribes overcome certain handicaps from which they are suffering— taking the analogy of the race—the Scheduled Castes and Scheduled Tribes would not be able to compete with the rest of the country in ters of employment, etc. Therefore, there had been reservations in educational institutions and in employment.

Now, the question arises that there had been reservation policy in force for 35 years. If the reservation policy had been in vogue for 35 years, there had been no commensurate development in education or in employment for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Is it the fault of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes? Therefore, is there any justification for starting the types of agitation which have been started in Gujarat? This is a thing which all of us have to very seriously think about it. As it is made out earlier, even today the share of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes population in class I services is not more than 6 per cent. It is 4.8 per cent and 1.18 per cent respectively for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is the position and in spite of the fact that there has been reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Assemblies and Parliament, I would like to ask one simple question. If perchance, the resen ation has to be taken away.

the Scheduled Castes and Set Tiibes candidates would be success-through general constituencies if, really, they have been raised to a level where they can be competing with the other communities. I know of instances with regard to one or two cases where the Scheduled Caste and Scheduled Tribe persons ventured to con-through general seats and were badly defeated. We have had instances of that nature. . When one or two leaders, as pointed out by Professor Ra-machandra Rao that have taken ad-Vantage of situation, one should not be within the fold of the reservation policy. Therefore, he should go to a general seat. This was the noble aim with which Late Shri D. Sanjivay-ya moving away from the reserved constituency, contested a general con-fcueney, only to be defeated and thereby making us loose an eminent administrator, an eminent educationist . and an eminent statesman on the floor of the House. Therefore, we have to very dispassionately, and objectively consider whether politically speaking, we have reached a stage where the Scheduled Caste and Scheduled Tribe population is in a position to compete with the rest o,f the community for the political positions and the decision making bodies. When we come to Education Commission *i.e.* the last Commission, there is the Fourth Report which says:

> "the deplorable position in which the Scheduled Caste and Scheduled Tribe population, generally, women among Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are today in the illiteracy bracket. The position is very deplorable."

Even after 37 years of avowed efforts by the entire society which is groaning and which is grudging today that they have been getting all the benefits, what is the net result? The education and literacy among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes men

[Prof. C. Lakshmanna]

and women is far below Hie general, average in the country. Therefore, this also needs a careful look on the part of the whole country, the whole society, when we talk about the problems of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Secondly, Madam, when we talk about the other aspects I had occasions to conduct the studies into the Schedules Castes. I had at least, three major studies. Two of them are of importance for us. One was the educational problems of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes students. It was a national study. I was Director in Andhra Pradesh and something which has been revealed through these investigations is an eye-opener for the society as a whole. In one of the village schools where the study was carried, the investigator came back to me and said, "Sir, unless you come and talk to the students, the boys of 9th and 10th classes, you will not be able to have our survey and the questionnaire filled by them." I happened to go to the village school. A boy gave a very interesting and revealing story as to why he was opposed to, reservation. Madam, this is not tne general public, who is opposed to reservation. This was a scheduled caste boy of 9th class, who was opposed to reservation. The reason given by him was very interesting. He said that there was a time, a few days back when his sister was ill. His parents, who, had gone for work, they had not come back with the result, that he had to ccmstantly look after his sister and he was not in a position to do the home work that was given to him. So, he could not do the home work in the night. Next day, when he went to school, the teacher asked the first one boy, what about your home work? He happened to be the son of the Sar-panch. He said, Sir, yesterday, there were some guests in the house, therefore, I co.uld not do the home work. The teacher said, okayi I can understand when guests come, ho-w can you do the home work. Naturally, you have to be with them and all that. Then another tooy was asked. He gave another explanation and it was satisfactory to the school teacher. Then the turn came of this boy. He was asked, "Have you done the homework?" He said, "No, Sir, I could not do it because my younger sister is not doing well. My father and mother have gone for work and they have not returned. Therefore, I did not have time to di it." And what was the reaction of,the teacher? He said, "You fools! You are a dead-weight on the society. The Government is doing so much for you. The society is doing so much for you. We have given you reservations. And you do not improve yourselves. You do not want to study; you do not -want to do anything." The boy says, "My only fault is that I belong to the Scheduled Castes. My other fault is that I happen to be in that bracket which is supposed to have reservations, fsi which I have to undergo all that. Suppose I had not been having these reservations, at least I could have tolai him 'You have no business to say that, I had some work.' But if I now say the same thing, I will be singled out as if I am trying to eat away the money that the society is providing for me." So this is the state of affairs in which the whole policy of reservations has landed itself. Therefore, the entire society today has to sit up and dispassionately consider whether it is possible to really do something for these unfortunate brothers and sisters st that at least in the society of tomorrow, in the society of the 21st century, about which all of us are dreaming ss beautifully, their dreams will also be beautiful, if not fully beautiful a1 least somewhere near beautiful.

Then coming to the third problem, namely the economic problem, as has been pointed out by Members on both sides of the House, the society is still having almost 50 per cent of the people living below the poverty-line and it is needless to emphasise that the bulk of these people who are below the poverty-line are constituted by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes, which means that, as far as can be imagined, the majority of the Scheduled Castes

and Scheduled Tribes people today are suffering below the poverty-line. Even the third report of the Commission, the fourth report of the Commission and so on and so forth, have very clearly stated as to how the whole question of land ceilings and land distribution has not been attended to properly. In this context, I would like to suggest one more thing. That is, you will not be able to solve economically the problem of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes unless right now the Government takes a decision to go in for small-scale industries in the villages on a massive scale and to make those who belong to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes real partners in those industrial programmes. That means, unless we create employment opportunities which can give them a new confidence that they are not merely workers, that they are not merely workers who are working for the production and productivity of the country but they also have a share in what they are working for, I assure you, those people will not be able to get out of their problems.

Therefore, look frorri any angle. I am not even saying that there is a bloody revolution round the corner. It is for the entire society to critically look into the problems, analyse the problems and see whether there is any scope, whether there is any undercurrent which is really creating conditions for a bloody revolution. It is for the entire society to think about it. But even without that, even without saying that there is a bloody revolution round the corner, one thing is certain, that you cannot have hungry men and women, illiterate men and women, people who have nothing to protect themselves from inclemencies of the weather, who have no roof over their heads, for long. Therefore, since all the people or the majority of the people who are denied of the.,e opportunities incidentally happen to belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes, there is every possibility of such people raising their heads. Don't say when they raffle their heads that they are raising their ugly heads. Now that for the first time there is a Minister for Welfare as a whole. I would request the Government to correct some of the things which are there anci which are responsible for this state of affairs, to see that the agency which is supposed to monitor is in full swing and is provided with the necessary teeth to deal with the situation. Secondly, you should ensure that the Scheduled Castes and Scheduled Tiioes people continue to be in the reservation amibit so long as they form the bulk of the groups which are living in such backward conditions. Otherwise, one may even go for the antyodaya, as suggested by Prof. B.. Bamachandra Eao; I have no objection to that. You may give facilities for the neo-rich who form the top crust but so long as there are people of these groups who are far, far, below the comparable average of the country you will have to think in terms of reservations for them, you will have to think in terms cf making an all-out effort to free them from the social disabilities they are suffering from, you will have to create conditions of employment, of work, so that these people have enough to work, enough . for employment and in the process they reach the minimum average of the country. Thank you.

श्री सुखदेव प्रसाद (उत्तर प्रदेश) : मेडम वाइस चेयरमैन, शेड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट 1974 से 1981 तक की, सदन में प्रस्तुत हैं और उन पर विचार चल रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे सुझाव जो उस कमीशन के रहे आज उनका कोई मतलब नहीं रह गया है। कोई दस साल का अर्सा गुजर गया और दस साल के बाद उस रिपोर्ट पर जो विचार हो रहा है, मैं समझता हूं कि इसका क्या मतलब है यह तो भगवान जाने, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको इस रिपोर्ट से परे हटकर हमको सोचनी और समझनी है और उन पर अपने विचारों को प्रकट करना है।

सबसे पहले मैं उन गड़बड़ियों पर जाऊंगा और जिस तरह से कहा गया है

[श्री सुखदेव प्रसाद]

कि हरिजनों के लिये इन 38 सालों में कुछ हुआ ही नहीं, हरिजनों की जमीनें छीनी जा रही हैं, हरिजनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, मैं इन बातों से डिफर करता हूं। मैं खुद एक हरिजन हूं और वह भी नेपाल की सीमा के पास एक ऐसे गांव का रहने वाला हूं जहां एजुकेशन क्या सड़क भी आज तक नहीं पहुंच पाई है। तो जो हालत है वह मैं जानता हूं। जो लोग गांव के दक्षिण में बसे हैं उनको क्या मिला है यह हम जानते हैं। जब वे उस नीची जमीन से उठकर कुछ ऊपर आ गये हैं और अब वे समाज में एक स्थान रखने के काबिल हो गये हैं। यह हमारे इस रिजर्वेशन की देन कहिये, चाहे स्वतंत्रता की देन कहिये और चाहे हमारे नेताओं की देन कहिये लेकिन इन लोगों की बदौलत हम ऊपर उठे हैं और इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। जहां तक हमारी जमीन और जायदाद के झगड़े हैं, अभी हमारी बहिन जी कह रही थी कि त्रिपुरा में यह तय किया गया है कि वहां पर शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीन कोई नहीं खरीद सकता, पहले सब खरीद लिया करते थे। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह बतलाना चाहता हूं कि बहुत पहले ही इस बारे में कानून गवर्नमेंट ने पास किया था कि कोई भी शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीन नहीं खरीद सकता। इसलिये इसका अब प्रश्न ही नहीं है। अब जाकर हरिजनों के बारे में यह कानून पास हुआ है कि जो हरिजनों की जमीन है सिवाय हरिजन के दूसरा कोई उसको खरीद नहीं सकता। तो मैं बतलाऊं किस तरह से हमारे संरक्षण को जो बात कही गई है उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे लिए सुविधा की व्यवस्था की गई है। कुछ चीजें रिजर्व हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे लड़के पढ़ने लिखने में तेज भी हैं कमजोर भी हैं कुछ अपनी योग्यता के बल पर, कुछ अपने रिजर्वेशन के बल पर आएं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा रिजर्वेशन केवल 22.5 प्रतिशत है जो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का है। हम 78 परसेंट जो डिरिजर्व जगहें हैं उनके बारे में कोई दखल नहीं देते हैं लेकिन अगर उसके अन्दर एक आदमी का प्रोमोशन रिजर्वेशन के अन्दर हो गया तो पूरे डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में यह शोर मच जाता है कि एक नालायक आदमी को प्रोमोट कर के ऊंची जगह बैठा दिया गया है। मैं यह कहता हूं कि आपके 78 परसेंट को हम कोई छूने नहीं जाते हैं। हम केवल 22 परसेंट लेते हैं उसमें भी आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं आपकी नीयत का क्या कहूं? जो संरक्षण के बारे में अभी हमारे एक भाई साहब कह रहे थे मैं उन से निवेदन करता हूं कि वे जरा हरिजन बन कर के हरिजन बस्ती में जाकर देखें कि उन पर क्या गुजर रही है। दूसरी चीज, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक पोस्ट के सिलेक्शन का सवाल है उसमें एक प्रावधान है कि हरिजनों का जो होगा जो नान टेक्नीकल पोस्ट है वह सेपरेट सिलेक्शन होगा और उसका 20 पाइंट रोस्टर प्रोग्राम फालो होगा लेकिन यह कहां फालो हो रहा है, कौन कर रहा है? फिर उसके बाद उसमें भी है कि बैस्ट अमंग शैड्यूल्ड कास्ट लिया जाए वह भी नहीं हो रहा है। जनरल तरीके से हो रहा है। तीसरी चीज, उसमें एक और आती है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में 10 जगह खाली हुई तो चार को एक बार एडवरटाइज करेंगे तीन को एक बार एडवरटाइज करेंगे ताकि न पांच जगह होंगी और न उसमें शैड्यूल्ड कास्ट कोई आएगा। इसलिए चार-चार, तीन-तीन करके अलग-अलग कर देंगे ताकि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन न हो। इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। एक दो नहीं बल्कि मैंने बहुत सारी जगह जाकर के देखा कि जहां पर स्वीपर को एस्कवेंजर की पोस्ट है वह भी रिजर्वेशन से परे है। वह फोर्थ ग्रेड में नहीं होती। स्वीपर और एस्कवेंजर की पोस्ट स्पेशल केटेगरी में आती है। वह रिजर्वेशन में नहीं है लेकिन फोर्थ ग्रेड का रिजर्वेशन का प्रश्न आएगा। उसको भी जोड़ कर कहेंगे कि आपका 19 परसेंट हो गया। जिसमें फिजिकल लेबर का प्रश्न है उसको कहां तक पूरा

करते हैं । वह भी नहीं करते हैं। भाई साहब अभी कह रहे थे कि उनमें योग्यता नहीं है। योग्यता तो हम में है लेकिन हमें अवसर तो दीजिए। मैं भी शैड्यूल्ड कास्ट शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमेटी का मैम्बर था। एक जगह मैं स्टील प्लांट को विजिट करने के लिए गया था। वहां जा कर मैंने देखा कि स्वीपर की जगह पर एक दूसरा हाई कास्ट का आदमी काम कर रहा है। उसको भी रिजर्वेशन लिये जा रहे हैं तो क्या करेंगे ? यह तामाशा हो रहा है उसको भी हम को और आपको देखना है। एक बात यह कही जाती रही साहब एम० एल० ए०, एम०पी०, मिनिस्टर हैं इन लोगों को रिजर्वेशन से परे कर दिया जाये। गवर्नमेंट ने यह प्रावधान कर दिया है कि जो एक हजार रुपए मासिक पाने वाले कोई कर्मचारी हो व्यापारी हो या खेतिहार हो उनके लड़कों को रिजर्वेशन की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो प्रावधान तो है ही पहले से। उसके बारे में आप क्या बतला रहे हैं ? यह प्रावधान खुद गवर्नमेंट ने कर दिया उनको फीस भी देनी पड़ती है, वजीफा भी नहीं मिलता है। लेकिन एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारी बातें जो चला करती है वह एक सामाजिक बात को लेकर चलती हैं। आर्थिक असमानता को लेकर चलती है उस सामाजिक बात के एक चीज और मैं निवेदन करना चाहता हूं। अट्रोसिटीज के बारे में हमारे बहुत से साथियों ने कहा, मैं यह बतलाऊं (समय की घंटी) हरिजन, हमारे लड़के जो पढ़ लिख कर तैयार हो रहे हैं वे अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे और ऐसे लोग जो उनको बराबर दबाकर रखना चाहते रहे हैं वे उनको दबाकर रखने की कोशिश करते हैं, ये ऊपर उठना चाहते हैं और वे उनको नीचे दबाना चाहते हैं, एक प्वाइंट पर आकर झगड़ा हो रहा है, उसी प्वाइंट पर कत्ल होते हैं, फौजदारी होती है ये सब जो होता है वह हो रहा है मैं समझता हूं कि बावजूद इसके कि दुनिया भर की खामियां हैं हमारे हरिजन बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं और वह दिन दूर नहीं है जब वे अपने अधिकार को पूरी तरह से पाकर रहेंगे और समाज में बराबरी का स्थान पाएंगे।

एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं जैसे हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि विभिन्न जातियां भारत में हैं। कुछ दिन पहले तक तो 65 जातियां थीं शैड्यूल्ड कास्ट में अब तो और बढ़ गयी हैं लेकिन उनमें कुछ ऐसी हैं कि उत्तर प्रदेश में बैकवार्ड हैं तो कहीं जाकर हरिजनों में हैं, कहीं हाई कास्ट हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं कुछ हैं, लेकिन हैं यहीं। इसलिए इनमें डिसपैरिटी नहीं होनी चाहिए इनमें एकता होनी चाहिए, जो भी रिजर्वेशन हो वह सबको बराबर होना चाहिए और इसके अलावा एक बात मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि समाज में केवल शेड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स जो एक तरीके से चलते हैं केवल उन्हीं को न देखा जाये बल्कि हमारे मुसलमानों में भी जो मेहतर भाई हैं उनकी हालत शहरों गांवों में जाकर देखें कोई हमसे स्थिति सुधरी नहीं है इसलिए उनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे भी समाज में ऊपर उठ सकें, अपना स्थान पा सकें, उनके बच्चे पढ़ लिखकर तैयार हों।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन बातों के होते हुए भी मैं अपनी समाज कल्याण मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने इतनी तत्परता के साथ इस सदन में इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इसको प्रस्तुत किया है (समय की घंटी) एक आखिरी बात कहकर अपनी बात बन्द कर दूंगा वह यह कि हम में निराशा की भावना नहीं है, हम जागरूक हैं अपने अधिकारों के बारे में और गवर्नमेंट जो कुछ भी अधिकार दे रही है, सहूलियतें दे रही है इसके कारण गवर्नमेंट की नीति में कोई कमी नहीं है, चाहे वह स्पेशल कम्पोनेंट प्लान हो, चाहे वह आई०आर०डी०पी० हो, गवर्नमेंट की नीति में कमी नहीं है वह खुले दिल से हमारी मदद कर रही है लेकिन ब्यूरोक्रेट्स कहीं न कहीं हमको धोखा दे रहे हैं गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीनकर

[श्री सुखदेव प्रसाद]

खा जा रहे हैं हमको इन्हें ठीक करना है, गवर्नमेंट की नीति पर शुबहा नहीं करना है इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आपका मैं हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के प्रस्तुत अवदानों पर विचार करने का अवसर प्रदान किया है । मैं इन अवदानों में उल्लिखित अनुशंसाओं के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं ।

अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन, हरिजनों एवं आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से, उनकी परिस्थितियों, उनके रहन सहन, उनके पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन कर के उनके जीवन स्तर में सुधार हेतु सुझाव अथवा अनुशंसाएं सरकार के समक्ष उपस्थित करने के उद्देश्य से किया गया था । विडम्बना है कि जो सरकार के विभाग हैं वे इतने महत्व के इस आयोग से परामर्श तक नहीं करते और कमजोर वर्गों की उन्नति का जिन पर दायित्व है ऐसे विभाग भी जो हैं वे इससे किसी प्रकार का परामर्श नहीं करते, मश्विरा नहीं करते । आयोग के द्वारा जो आंकड़े वगैरह विभागों से मांगे जाते हैं उनको भी उपलब्ध कराने का कष्ट नहीं करते । इसके अतिरिक्त इस आयोग के पास कोई ऐसे अधिकार भी नहीं है जिनके माध्यम से किसी विभाग की किसी पत्रावली को मंगाया जा सके और किसी प्रकार से उसकी जांच की जा सके । जांच आयोग अधिनियम 1982 के अंतर्गत इस आयोग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और न इसका संवैधानिक स्तर ही है ।

अतः यह आयोग सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है । यहां तक कि इसमें अध्यक्ष, विशेष अधिकारी और इसके सदस्य के जो पद हैं वे भी रिक्त हैं जिन्हें शीघ्र भरा जाना चाहिये । आयोग को संवैधानिक स्तर प्रदान करने के लिए मेरे विचार से सरकार द्वारा आवश्यक संशोधन विधेयक लाना चाहिये । बड़े खेद की बात है कि आजादी के 38 वर्ष बाद भी आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार व सुरक्षा हम नहीं दिला सके । इस तथ्य को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा । भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व० श्रीमती इंदिरा गांधी के हृदय में गरीब के लिए तड़प थी । उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक और आर्थिक स्तर दिए जाने का सपना देखा था । समस्या की पहचान उन्होंने की थी । समाज के 80 प्रतिशत कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और उनकी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने बीस सूत्रीय कार्यक्रम दिया था । जिसे हमारे युवा प्रधान मंत्री माननीय श्री राजीव गांधी जी ने भी तेजी से लागू किये जाने के निदेश दिए हैं । कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं । आई आर डी पी, एन आर ई पी ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की स्थिति में कायापलट हो सकती है । पांचवीं, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में काफी धन की व्यवस्था के बाद भी उसका पूरा लाभ अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को नहीं मिला है । इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि उनको पूरा लाभ जब तक नहीं मिलेगा तब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं आ सकता है । जब हम सरकार की योजनाओं को देखते हैं तो लगता है कि सरकार का इरादा बड़ा ही नेक है । हमेशा उसने उनके प्रति ध्यान दिया है । लेकिन जब हम गंभीरता से विचार करते हैं कि सरकार की योजनाओं से अनुसूचित जाति के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है तो हम पाते हैं उन योजनाओं में कहीं कोई कमी अवश्य है । हम आसानी से इस तथ्य की ओर जाते हैं कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को जिसकी वजह से लाभ नहीं मिल पाता है वह है उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भावना और उनके संकुचित दृष्टिकोण जिसके कारण उनको सही रूप से लाभ नहीं मिल पाता । उनकी धारणा और उनके हृदय की भावना में मूलभूत परिवर्तन की

आवश्यकता है । यदि हम सच्चे मन से चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के जीवन में वस्तुतः प्रगति हो, उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके तो हमें कुछ बिन्दुओं को और विशेष ध्यान देना पड़ेगा । उनकी आर्थिक स्थिति के लिये, आर्थिक प्रगति के लिये आई आर डी पी, एन आर ई पी योजनाओं का पूरा लाभ अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को सुनिश्चित किया जाना चाहिये जिसके लिये योजनाओं का समुचित कार्यान्वयन आवश्यक है । प्रत्येक जिले में इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये इनका सही मूल्यांकन करने के लिये जनप्रतिनिधियों की कोई कमेटी बनाने के लिये मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य सरकारों को इस दिशा में आवश्यक अनुदेश जारी करें । हमारे प्रधान मंत्री माननीय श्री राजीव गांधी जी ने हरिजनों और आदिवासियों की दशा को काफी गंभीरता से देखा और सोचा । उनके मन में इसका अहसास हुआ । उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया ताकि व्यक्तिगत रूप से जानकारी उनके संबंध में उन्हें प्राप्त हो । किसी अधिकारी की रिपोर्ट पर उन्हें विश्वास नहीं पड़ा जिससे कि उनकी योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि वह निश्चय ही कुछ प्रभावी कदम इस दिशा में उठायेंगे । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये जहां योजनाओं के कार्यान्वयन की आवश्यकता है वहीं उनको विकास के लिये तैयार करना भी उतना ही आवश्यक है । जब हम योजनाओं का लाभ उन्हें पहुंचाना चाहते हैं तो वे स्वयं उसके लिये तैयार नहीं हो पाते और उन योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है । इसलिये इस दिशा में उन लोगों को तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें । इसके लिये उनको शिक्षा के समान सुलभ अवसर सुनिश्चित किये जाने चाहिये । प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक छात्रवृत्ति अनिवार्य की जानी चाहिये । और समय से उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिये जाने चाहिये । शिक्षण-संस्थायें पूरे मन से काम नहीं करती और कभी कभी छात्रवृत्ति की पूरी रकम तक डकार जाती हैं । माननीय महोदया, मैं आप के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस दिशा में माननीय मंत्री महोदया, मुझे पूरा विश्वास है कि वे काफी कड़े कदम उठायेंगी और अनुसूचित जाति के लोगों के लिये जो शिक्षण संस्थाओं में दिक्कतें पैदा होती हैं उनको गंभीरता से देखेंगी । आयोग की रिपोर्ट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लड़कों के लिये जो आवासीय विद्यालयों का प्रस्ताव है उसे बड़ाई से लागू किया जाना चाहिये । . . . (समय की घंटी) . . .

माननीया, दो तीन मिनिट और चाहूंगा। इसके अतिरिक्त हमारे जो कानून बने हुए हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी । निश्चित ही हम इसको स्वीकार करेंगे कि आज जो सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित हैं, वह नहीं मिल पा रही हैं । इसके पीछे भी भावना और दृष्टिकोण ही आड़े आता हैं , चाहे भूमि सुधार के कानून हों, चाहे भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने की बात हो, हम बहुत ज्यादा स्वयं जानते हैं और माननीय सदस्यों के सामने भी इस तरह के उदाहरण आये होंगे कि भूमि के नाम पर, हरिजनों और आदिवासियों को केवल कागज के टुकड़े दे दिये गये हैं , उन्हें कोई भूमि नहीं दी गई हैं और न उन्हें कब्जे ही मिले हैं, जिसे निश्चित रूप से, सुनिश्चित करना पड़ेगा ।

माननीय महोदया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का मुद्दा भी बहुत ही महत्व का हैं । उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकारी सेवाओं में 22.5 प्रतिशत के आरक्षण की संविधान में व्यवस्था हैं । किन्तु किसी भी सरकारी विभाग में अभी तक यह आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो सका, जिसके समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिये । साथ ही नौकरियों में पदोन्नति की सुविधा तब तक जारी रहनी चाहिये, जब तक आरक्षण

[श्री आनन्द प्रकाश गौतम]

का कोटा पूरा नहीं हो जाता । जिस प्रकार सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है, उसी प्रकार अर्ध-सरकारी उपक्रमों, विशेषकर निगमों और निजी प्रतिष्ठानों में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण की सुविधा को पूरा करने के लिये कदम उठाये जाने की आवश्यकता है । इस संबंध में आयोग के प्रतिवेदन में उल्लिखित सुझाव अनुशंसाओं को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिये और जो अधिकारी आरक्षण का कोटा पूरा करने में विभाग में उदासीन हों, उनके प्रति कड़े दण्ड का विधान होना चाहिये और जो इस दिशा में अपने कार्य का, अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हों, उन्हें पारितोषित मिलना चाहिये, उन्हें प्रशंसापत्र मिलने चाहिये । मैं चाहता हूं कि इस संबंध में भी किसी प्रकार का कोई एक सरकारी विधेयक लाकर इन कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये । सरकारी सेवाओं में भरती के लिये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिये शैक्षिक योग्यता में जो रियायत अभी तक थी अभी शीघ्र में ही उसको समाप्त कर दिया गया है, उसे भी बनाये रखने की आवश्यकता है ।

आरक्षण के संबंध में आर्थिक आधार लिये जाने की भी चर्चा की जा रही है। महोदया, हमारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों वर्षों से आर्थिक विषमता और सामाजिक शोषण के तहत जो अछूत कहे जाने वाले लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन्हें जाति के आधार पर आरक्षण इसलिये सुनिश्चित किया गया था ताकि उसका लाभ अन्य लोग न उठा सकें । किन्तु इसके बावजूद भी अनेक अनियमितताएं प्रकाश में आयी है, जिससे पता चलता है कि जाति तक लोगों ने बदल कर गलत प्रमाण पत्र प्राप्त करके लाभ उठाया है । यदि आरक्षण का आधार महोदया, आर्थिक हो गया, तो निश्चित ही इसमें 80 प्रतिशत अनियमितताओं की आशंका है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कानून के बावजूद भी कोई लाभ नहीं मिलेगा । अतएव, जब तक देश में सामाजिक समानता नहीं आती, जातियां समाप्त नहीं होती, तब तक आरक्षण जाति के आधार पर ही निश्चित किया जाना चाहिये । मेरा पूरा विश्वास है कि इंदिरा गांधी जी का जो सपना था, उसे पूरा करने के लिये देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी पूरी तरह से, हृदय से, हृदय की पूरी भावना से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और यदि हम सरकार पर या राजीव जी पर यह जिम्मेदारी डाल दें, कि कमजोर वर्ग के उठाने का जिम्मा अकेले वह लें तो यह तो ज्यादा उचित बात नहीं है । हमारे देश और समाज के लोगों को, विशेष रूप से इस के लिये आगे आना चाहिये और यह संकल्प लेना चाहिये कि हमें समाज में जो विशेष रूप से शोषण का शिकार रहे लोग हैं उन को आगे लाने के लिये अवसर प्रदान करना चाहिये । इस के लिये मैं विशेष तौर से अपनी नौजवान पीढ़ी को आमंत्रित करता हूं । वे आगे आयें, और इस में सक्रिय रूप से भाग लें । मैं चाहता हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे बुजुर्गों के मार्गदर्शन में लोगों का मन बदलेगा और उन के हृदय की भावना परिवर्तित होगी और तभी हमारे हरिजनों को पूरा लाभ होगा । मैं इन शब्दों के साथ इस प्रतिवेदन का समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि प्रतिवेदन में जो सुझाव है, और उन की जो संस्तुतियां हैं उन को कानूनी रूप में लागू करने का प्रयत्न किया जायें । जब तक लोगों के हृदयों में परिवर्तन नहीं आयेगा, लोगों के मन नहीं बदलेंगे तब तक इन योजनाओं से या कानूनों से अनुसूचित जाति के लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है । इसलिये मैं संकल्प के रूप में अन्त में आप के सामने इंदिरा गांधी का जो संकल्प था, जो उन का सपना था उसे अपने युवकों के सामने रखना चाहता हूं और उस के लिये उन को हर प्रकार से काम करना चाहिये । इस के लिये मैं दो, तीन लाइनें पढ़ना चाहता हूं :

नौजवानों को नया संबल मिला है,
देश का राजीव जनमन में खिला है,

स्वप्न हम साकार सब तेरे करेंगे,
शोषितों को फिर से नवजीवन भरेंगे
धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) : सदस्यों से प्रार्थना है कि बहुत से सदस्य अभी बोलना चाहते हैं इसलिये कम समय में वे जल्दी से अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करें।

SHRI S.W. DHABE (Maharashtra) ; Madam Vice-Chairman, we shall take only the time which is allotted to our group. We do not want to take more time. The quantum of the time allotted is already mentioned there. But *I* will be very brief, as directed by you.

Madam, first of all it is not clear as to why the reports of 1980-81 of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being discussed in 1985. Why were the reports given late and if not, why they were not. placed before the House for discussion earlier? This I would like the Minister lo explain. The second point which I want to raise about this is that in connection with the Seventh Five-Year Plan a statement was made in this House and it was stated that the Government of India is going to review the policy about the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If that is so, what is the thinking of the Government in tin- Seventh Five-Year Plan when the final document is made and what is the approach to the problem and are they going to review the lists 111 view of the large number of agitations going In the country, anti-reservation and others ? basic melady in our country is that in spite of all our tall talk for the poor and by iden in two spheres we are a total failure, one is education and the other is employment. If there was free-edui to all, the incidents would not have happened in Gujarat and the problem of reservation of <e:\ts would not have arisen. We could not even fully comply with primary education. Therefore, free education is a must and should lie considered as a fundamental right of every citizen in this land and the Government should create conditions for the same. Secondly, I come to unemployment. The more the population, wider is the' gap of unemployed people to employed and even-though we are talking of expansion of industries, actual employment is sh inking and has 4.' P.M. been eroded. For employment, labour intensive programmes as has been suggested like, ruad construction, work connected with national river grid etc., have not been taken up on a larg" seal-. Coming from Maharashtra, I would like to point out that the number of agricultural labour is the highest, 53 per cent, in Yeotmal district ot Maharashtra, in the whole country. This is because there is no employment and they have been uprooted from their lands by the peasantry. This is a phenomenon which we have to face. As it is usually said, we are on the top of a volcane. If the unemployment problem is not going to be solved, then, all these plans will have no meaning and there will be no meaningful progress in our country.

So far as these reports are concerned, I would like to quote from the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, for the year 1979-80 and 1980-81; in Chapter 3, para 3.4, the Commissioner has said :

> "Though we have not made much headway quantitatively ...

The finding of the Commissioner is that they have not been able to even fill up the posts. He says further :

> "..whatever has been achieved has not percolated down to the weakest among the weak. In service matters, the benefit of reservation could not be distributed evenby amongst various castes and various tribes for various reasons particularly due to the very low level of education among the weaker of the scheduled communities. The present state of their condition deserves greater attention than given earlier so that they also are made capable to compete along with others for a meaningful place in the mainstream. Their level of education will have to be raised with special care."

Therefore, the real culprit in not giving benefits or social justice to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is the Government and its policy on eudcation. If these people are not given proper education, if public schools are not opened in tribal and other areas, where they are needed, how can their level of education be improved and how can they compete with those who have already achieved higher standards of education? Therefore, this problem of social and economic backwardness cannot be solved merely by making some ad-hoc arrangements. There should be a change, a radical change, in the policy, so that education is provided at the lowest level.

Secondly, as regards the services and recruitment, including the question of promotion, I would like to know whether any study has been made on the backlog in the matter of services, in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I would like to know whether there is programme in the Seventh Plan to remove the backlog. If we are not able to take any action in this regard, this will go on increasing

every year and this will become a permanent feature, we will be only talking in this House and nothing will be done. Therefore I would like to know from the hon. Minister whether there is any plan, whether there is any target, to remove this backlog in the matter of employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. At this juncture, I would like to remind the House, particularly my friends on the other side, about the Mandal Commission's recommendations. The recommendations are far-reaching and important. Socially backward communities are not the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes only. There are also other communities which are backward in regard to whom comprehensive recommendations have been made by the Mandal Commission. But unfortunately, the Central Government has taken an ostrich-like stand saying that they have sent it to the State Governments for implementation. In fact, the Central Government owes a responsibility to all the backward communities. They should evolve a comprehensive policy and implement it. They themselves should come forward and implement the Mandal Commission's recommendations. My Party is committed to this; we have passed resolutions to the effect that the recommendations of the Mandal Commission should be implemented forthwith. The reports of the Commissioner for Schedule Castes and Scheduled Tribes are closely linked with the recommendations of the Mandal Commission. I would like the Minister to clarify, what is the stand of the Government on this matter ?

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदया, मैं सर्वप्रथम श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अनुसूचित जन-जातियों के संबंध में जो रिपोर्ट थी उसको संसद में विचार के लिए प्रस्तुत किया है । गांधी जी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी । उस आजादी की लड़ाई के दौरान अछूतोद्धार का कार्यक्रम अपनाया गया था और हरिजनों को विशेष दर्जा दिया गया था । हरिजनोद्धार के आधार पर समाज को विकसित किया जाय, इसका हमने आजादी की लड़ाई में संकल्प लिया । हमने कहा था कि आजाद हिन्दुस्तान में पिछड़े वर्गों और शेड्यूल्ड सेक्शन को विशेष अवसर दिया जाय । उसी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सेनानियों ने भारत का संविधान बनाया । भारत का संविधान तत्कालीन कानून मंत्री श्री अम्बेदकर जी की देखरेख और अध्यक्षता में बना । पिछले 38 वर्षों में हमारे देश में जन-जातियों और ट्राइबल लोगों और हरिजनों का जितना विकास हुआ है उसकी हम प्रशंसा करते हैं । भारत के संविधान में कहा गया है—

We, the People of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic and to secure to all its citizens :

Justice, social, economic and political;

Liberty of thought, expression, belief, faith and worship;

Equality of status and of opportunity; and to promote among them all

Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation.

हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, बालिग मताधिकार का अधिकार भारत के संविधान में रखा । इस समय हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट में या ऐसेम्बलीज में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनमें हरिजन भाई भी हैं । इन प्रतिनिधियों को चुनने में हमारे करोड़ों लोगों का हाथ है । आज सब को वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है । आप सन् 1947 से पहले के हिन्दुस्तान और उसके बाद के हिन्दुस्तान की कल्पना कीजिये । आज हिन्दुस्तान में लोकशाही है । अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं । हमने यह कहा है कि विधान सभाओं और लोक सभा की राय से हम अपना विकास करेंगे । हिन्दुस्तान में हर हिन्दुस्तानी को वोट देने का अधिकार होगा । चाहे बिरला हो या भारत के प्रधानमंत्री हों या गांव का रहने वाला जन-जाति का कोई व्यक्ति हो, उसको एक वोट देने का अधिकार होगा । इतना बड़ा अधिकार भारत के संविधान निर्माताओं ने हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक को दिया है । आप सभी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी गई । कांग्रेस के नेतृत्व में जमींदारी प्रथा टूटी । जन-जातियों पर जो अत्याचार होते थे उनको हमने तोड़ा ।

हमारी नीतियों के कारण ही हमारे देश के अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लोगों के दिलों में आशा का चिराग जला । बालिग मताधिकार का हक सब को मिला । जिनको अछूत समझा जाता था उनको भारत की पार्लियामेंट में और लखनऊ की पंचायत में स्थान मिला । उनको जिलों की पंचायत में और गांवों की पंचायत में स्थान मिला। इस बात को इस देश के करोड़ों-करोड़ हरिजन स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि पिछले 38 सालों में लगातार हिन्दुस्तान के हरिजनों का कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार को पूरा समर्थन मिलता रहा है। विरोधी लोग लाखों अरण्य रोदन करते रह लेकिन हिन्दुस्तान का हरिजन हमेशा कांग्रेस पार्टी के पीछे खड़ा रहा है और तिरंगे झंडे और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उसको बहुत कुछ मिला है । हम यह नहीं कहते कि जितना होना चाहिए उतना हुआ और गांधी जी के जो अरमान थे कि इतना होना चाहिए उतना हो गया लेकिन जो कुछ हुआ वह केवल इसी के माध्यम से हुआ, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की हुकूमत और हमारी सरकार के द्वारा । श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो 20–सूत्री कार्यक्रम, आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न को समाप्त की दिशा में चलाया, इससे पहले इससे बड़ा कोई कदम देश के इतिहास में नहीं उठा । दिल्ली की हुकूमत पर बैठने वाले हुक्मरान हमेशा आम जनता से अलग-अलग रहे । 12 मार्च, 1976 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने परवान जारी किया कि हिन्दुस्तान का जो करोड़ों-करोड़ सर्वहारा वर्ग है, उसको हिन्दुस्तान की मिल्कियत में हिस्सेदारी होगी । 12 मार्च, 1976 से पहले हिन्दुस्तान के करोड़-करोड़ सर्वहारा हिन्दुस्तान की मिल्कियत में हिस्सेदारी नहीं रखते थे । तीन हजार, चार हजार वर्ष के इतिहास में सर्वप्रथम श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि बिना घर वालों को जमीन दो और उस जमीन पर मकान बनाने के लिये 3 हजार रुपये भी दो और उस जमीन के मालिकान हक भी उनको दो । आप उनके दिल से पूछिये जिनको वे मालिकाना हक मिले । जिनको घर बनाने के लिये जमीन मिली उनके दिल से पूछिये, जिनके पास हजारों हजार वर्षों से मकान नहीं थे, रहने के लिये कहीं एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा नहीं था, उनको इससे कितनी राहत, कितना बड़ा सकून मिला । पहली बार 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया बीस–सूत्री कार्यक्रम सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न को समाप्त करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है । इसलिये यह हमारा धर्म है, सभी दलों का धर्म है कि हिन्दुस्तान के सामाजिक और आर्थिक जीवन में वे क्रान्ति लायें । यह सभी राजनैतिक दलों के सदस्यों का धर्म है कि वे अपने गांवों में, अपनी अपनी तहसीलों में, अपने अपने ब्लाकों में बीस-सूत्री प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का काम करें क्योंकि हर मेम्बर आफ पार्लियामेंट और मेम्बर आफ असेम्बली ब्लाक कमेटी का मेम्बर है । अगर हम काम नहीं करेंगे तो क्या कोई जादू चलेगा या कोई छड़ी चलेगी और सब चीजें इम्प्लीमेंट हो जायेंगी । यह कैसे होगा इस पर हम सब को सोचना है । गांधी जी ने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में एक जन जागरण का काम किया और पूरे मुल्क की जनता के दिल में कानूनन आजादी की बात बिठाई और वह आजादी का कानून हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों के मन में बन गया और उस पर ब्रिटिश हुकूमत को अपनी मुहर लगानी पड़ी और हमारा देश आजाद हुआ । गांधी जी ने इस देश में लोकशाही को स्वीकार किया । क्या कारण है कि गांधी जी ने आजादी के बाद के भारत का एक सपना देखा कि जब हिन्दुस्तान आजाद होगा तो यहां पर लोकतंत्र स्थापित होगा, यहां पर लोकशाही होगी । दुनिया के बहुत से देशों में जब साम्राज्यवाद खत्म हुआ, उपनिवेशवाद खत्म हुआ तो वहां पर लोकशाही कायम नहीं हुई । हिन्दुस्तान में लोकशाही कायम करने के पीछे गांधी जी की दृष्टि थी । बार बार हिन्दुस्तान विदेशी हमलावरों के सामने परास्त हुआ । इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि कुछ मुट्ठी भर लोग हिन्दुस्तान के मालिक थे। मुट्ठी भर राजा और रजवाड़े, जमींदार ही इस मुल्क के राजा थे और वे इस देश

[श्री कृष्णनाथ राव]

की जनता से कोई मतलब नहीं रखते थे। जनता को इस चीज से कोई मतलब नहीं था कि कौन राजा है, कौन नहीं है और जब जब विदेशियों ने हिन्दुस्तान पर हमला किया तो उन विदेशों के हमलावरों के सामने भारत की जनता उदासीन रही और उन्होंने कभी राजाओं का साथ नहीं दिया और हमेशा हिन्दुस्तान हारता रहा। अब 1947 के बाद हिन्दुस्तान के राज-काज में जनता की हिस्सेदारी है, हिन्दुस्तान की मिल्कियत में हिस्सेदारी है, हिन्दुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सेदारी है और हिन्दुस्तान के आर्थिक जीवन में उनकी हिस्सेदारी है और इन सारे सिद्धांतों को हमने स्वीकार किया है। आज जब देश पर कोई संकट आता है तो कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक सब एक हो जाते हैं और चट्टान की तरह देश के लिए खड़े हो जाते हैं। यह ठीक है कि अभी तक हम हिन्दुस्तान में गरीबी को दूर नहीं कर सके लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 1947 के पहले का जो चिथड़ों से लिपटा हुआ हिन्दुस्तान था, जो अछूतों वाला हिन्दुस्तान था, 47 के पहले जो हरिजन जाति थी, आज यह वही हिन्दुस्तान है जहां राजा को भी यदि चुनाव लड़ना हो, बड़े से बड़े नेता को चुनाव लड़ना हो तो उसको हरिजन बस्ती में जा कर हाथ जोड़ कर कहना पड़ता है कि चौधरी इज्जत हमारी तुम्हारे हाथ में है। क्या यह हमारे लोकतन्त्र और लोकशाही की कामयाबी नहीं है। शैड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए बनाए गए प्रोग्राम इम्पलीमेंट होने चाहिये इस बात से हम सहमत हैं लक्ष्मन्ना जी लेकिन यह कौन करेगा ? आप करेंगे। आपकी तेलगू देशम की सरकार भी है आप इम्प्लीमेंट कीजिए आपको कौन रोक रहा है ? शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की बहस चल रही है पार्लियामेंट के अन्दर एक भी विरोधी दल का नेता नहीं है जो यहां पर मौजूद हो। यह हर काम पोलिटिकल एंगल से करते हैं हर भाषण पोलिटिकल एंगल से करेंगे, हर बात पोलिटिकल एंगल से करेंगे। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि यहां शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स पर बहस हो और एक भी मान्यता प्राप्त विरोधी दल का नेता यहां मौजूद न हो। जब आप एयर कंडीशंड कमरे में बैठकर हरिजनों के सम्बन्ध में विचार करने को तैयार नहीं हैं तो करोड़ों लोग जो जंगलों में रहते हैं लाखों लोग जो गावों में रहते हैं उनके पास आप कैसे जाएंगे क्या आप उनके लिए काम करने वाले बन सकते हैं ? यह क्या दृष्टि है। किस बात की दृष्टि है, आपका परस्पेक्टिव क्या है ? हर बात में आलोचना करना। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई का दौर चलाया तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में आजादी की लड़ाई को खत्म करने के लिए एक अलग पार्टी बनवा दी। आप जानते हैं सन 1947 से पहले जब देश की आजादी की लड़ाई का दौर तेज हुआ तो अंग्रेजों ने उस लड़ाई को खंडित करने के लिए एक पार्टी साउथ इंडिया में बना दी, इधर जिन्हा को खड़ा कर दिया हिन्दुस्तान का बंटवारा करने के लिए और यहां अम्बेडकर साहब को उभारने की कोशिश की लेकिन महात्मा गांधी विश्ववन्धु महात्मा गांधी के नेतृत्व के कारण उनकी महानता के कारण जो एक महान विश्व मानव थे उनके नेतृत्व के कारण भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और देश में उनके नेतृत्व में अपनी आजादी को हासिल किया लेकिन सवाल उठता है कि अगर यह प्रोग्राम इम्पलीमेंट नहीं होते हैं तो किस का दोष है। क्या हिन्दुस्तान के हजारों मैम्बर आफ पार्लियामेंट और असेम्बली के मैम्बर्ज, ग्राम सभाओं के प्रधान, सरपंच, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी है या नहीं है कि हम इन प्रोग्रामों के लिए गांवों में सभाएं करें, इनको इम्पलीमेंट करवाएं, हर मैम्बर पार्लियामेंट अपने ब्लाक में अपनी कमेटी का मैम्बर है जो बीस सूत्री कार्यक्रम को इम्पलीमेंट कराने के लिए बनी है। आपको प्रोग्राम इम्पलीमेंट कराने के लिए कौन रोक रहा है, आपकी पोलिटिकल विल पावर होनी चाहिये। मैं कहना चाहता हूं राष्ट्रीय मतैक्य के आधार पर जितना इस मुल्क का हरिजन मजबूत होगा उतना ही यह देश मजबूत होगा। इस देश की रीढ़ मजबूत होगी। गांधी जी ने इसलिए हरिजन उद्धार, चरखा महासंघ स्थापित किया, कहा कि हरिजनों का विकास करो क्योंकि हिन्दुस्तान का यह बहुत बड़ा वर्ग उपेक्षित वर्ग था, पददलित था, पीड़ित था हम अपनी आजादी

को नहीं बचा सकते थे अगर हम इतने बड़े मुल्क में राजकाज में हिस्सेदारी दौलत में हिस्सेदारी नहीं देंगे समाज उत्पीड़न को समाप्त नहीं करेंगे, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं देंगे, कोर्ट कचहरियों में हिस्सेदारी नहीं देंगे। दुनिया में बहुत से देशों में क्रान्ति हुई है इकोनोमिक रेवोल्यूशन हुआ मिस्टर लक्ष्मन्ना। रेवोल्यूशन का हमारी आजादी की लड़ाई के सेनानियों ने स्वीकार किया हरिजनों को राजकाज में हिस्सेदारी दी केन्द्रीय केबीनेट से ले कर गांव सभाओं तक पोलिटिकल पावर दी। बिना पोलिटिकल पावर के कोई इकोनामिक रेवोल्यूशन नहीं हो सकता है यह हमारे राष्ट्र की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं का परस्पेक्टिव था। रूस में और चीन में क्रान्ति हुई नेग्लेक्टेड वीकर सेक्संस को पोलिटिकल पावर में हिस्सेदारी नहीं मिली। माइनार्टीज को हिस्सेदारी नहीं मिली। यह आप जान लीजिए आप बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर हैं लक्ष्मन्ना जी। आजादी की लड़ाई का दिमाग में रख कर नये हिन्दुस्तान को बनाने का सपना दिखाया गया। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस सरकार कर रही है और जितना आजादी की लड़ाई का उद्देश्य था वही हमने एचीव नहीं किया है जितना एचीव करना चाहिये था उतना नहीं किया है लेकिन जो कुछ किया है वह हमने किया है, आपने नहीं किया है।

आपको मौका मिला तीन साल हकूमत में आने का तो आपने सब से पहले रिजर्वेशन को खत्म करने का काम शुरु किया। श्रीमती इन्दिरा गांधी जब आईं तो पहले एक्ट बनवाया और रिजर्वेशन को 10 साल और बढ़ाया गया। आप तो खत्म करने पर तुले हुए थे। क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव के पहले, असेम्बलीज के चुनाव के पहले 1977 में ही रिजर्वेशन को खत्म करने का आपने फैसला कर दिया था। 1977-78-79 में आपका सर्वनाश हो गया उसके बाद भी 1980 में इन्दिरा जी सत्ता में आने के बाद राजीव गांधी ने सब से पहले एंटी-डिफैक्शन बिल पास करवाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 10 वर्ष का रिजर्वेशन हरिजनों के लिए बढ़ाया। सन् 80 में आने के बाद उनका पहला एक्ट इसी संसद के अंदर उन्होंने पास करवाया। यह बात सही है। सोचिए इतनी बड़ी रिपोर्ट पर बहस हो रही है आपका कोई नेता मौजूद नहीं है। इस तरह के लोग, गैर जिम्मेदार लोग आते हैं और देश में करोड़ों करोड़ हरिजनों के उत्थान की बात करते हैं, इनके विकास की बात करते हैं। आदरणीय राजेन्द्र कुमारी जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मंत्री होने के बाद शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की इस रिपोर्ट को सदन में पेश किया। मैं आपसे एक दूसरा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब कमिश्नर का एपाइंटमेंट 24 घंटे के अंदर करायें। यह सही बात नहीं है कि इतने दिन तक इतने बड़े वलनरेबुल सेक्शन के लिए कोई चेयरमेन नहीं, उनके संबंध में विचार करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर तीन दिन के अंदर, एक सप्ताह के अंदर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के चेयरमेन और उनकी कमेटी को तुरंत रीकांस्टीट्यूट करें ताकि हिन्दुस्तान के हरिजन, गिरिजन, आदिवासी पिछले लोगों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके (**समय की घंटी**) मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े, हिंदुस्तान की मिलिटरी में, ब्यूराक्रेसी में बढ़े। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के 80 परसेंट जनजाति, ट्राइबल, हरिजन गिरिजन आदिवासी जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए लैंड रिफार्म्स हों। सन 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किसान रैली को सम्बोधित करते हुए कहा था लैंड टू द टिलर, जो खेत को जोते बोए वही खेत का मालिक है। हिंदुस्तान की दौलत को बढ़ाने के लिए, उसमें इजाफा करने के लिए लैंड रिफार्म्स को हिंदुस्तान में लागू किया जाना चाहिए ताकि हिन्दुस्तान के मेहनतकश जो हजारों वर्षों से खून पसीना बहाते आ रहे हैं लैंड रिफार्म्स के

[श्री कल्पनाथ राय]

माध्यम से जो सरप्लस या बंजर जमीन है या जो सीलिंग से बची, निकली हुई जमीन है उस में दौलत पैदा करें ताकि हिंदुस्तान न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हो सके बल्कि सारे एशिया को अन्न दे सके इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री महोदया को बधाई देता हूं कि लम्बी अवधि के बाद जो यह प्रश्न था उसका निपटारा करने की दिशा में उन्होंने एक कदम लिया। भारत के संविधान ने एक बात यह कही थी कि देश की जनता की सही अर्थ में सामाजिक न्याय की दिशा में उपलब्धियां बढ़ाई जावेंगी। आज प्रश्न देश में बहुजन समाज का है, कानून के अंतर्गत और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत उसका आर्थिक स्तर बढ़ाने की बात कही गयी है। प्लानिंग हुई है, ट्राइबल सब प्लान बने हैं, कम्पोनेंट प्लान बना है और करोड़ों अरबों रुपया इनके आर्थिक उत्थान के लिए खर्च किया जा रहा है। जहां तक आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब जातियों का संबंध है उनको सामाजिक दर्जा दिलाने की बात है, सामाजिक समानता की बात है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज उनका सामाजिक गौरव और सामाजिक स्थान कुछ निचली कक्षाओं पर है। कोई राजनीतिक ढंग से इस प्रश्न को न सोचा जाए बड़ी ही संवेदनशील बात है। राष्ट्र के संविधान ने जिसको स्वीकार किया है इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह फर्ज बन जाता है कि देश के बहुजन समाज को सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में अपनी सम्पूर्ण ताकत के साथ सर्वदिशाओं में प्रयत्न करें। आज कई प्रश्न उठाये जा रहे हैं उनको राजनीतिक ढंग से देखने की जो चेष्टा की जा रही है यह बड़ी दुखद चेष्टा है। मेरे कुछ विपक्षी दल के मित्रों ने इस बात को कुछ और ढंग से कहने का प्रयत्न किया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको हमें एक संवेदनशील प्रश्न समझकर इसके निपटारे के लिए सर्वदिशाओं से प्रयत्न करने हैं। दो-तीन प्रश्न महत्व के उठते हैं। जहां तक उनको एक सामाजिक दर्जा दिलाने की बात है तो संविधान ने यह कहा था कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि जिनकी वजह से उनको एक सामाजिक दर्जा दिलाने की दिशा में थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए। इसके बाद आरक्षण की बात जब संविधान ने कहीं आरक्षण की जो बात थी वह कोई एक संपूर्ण बात नहीं थी वह एक अंतरिम बात थी जिसको ले करके उनको उस दर्जे तक पहुंचाया जाए। जहां तक देश के दूसरे नागरिक की जो स्वतंत्रता है उसका जो सामाजिक ओहदा है उस तक उसे पहुंचना चाहिए। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। माननीय सदन के सामने इस बात को प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस देश में दो कमीशन बने है और उन्होंने अपनी राय भी दी है। यहां कुछ बातें उठाई जा रही है रिजर्वेशन के मामले में जहां तक मेरी पार्टी और नेताओं का संबंध है उसकी पालिसी खुली है। चाहे उस ओर से इस बात की आलोचना की जाए लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब-जब भी समय आया है चाहे पंडित जवाहर लाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी और चाहे राजीव गांधी हों नीति साफ है, यह बड़ी दुखद घटना है जब देश के एक कोने में अत्याचार हुए और देश की एक समर्थ नेता इंदिरा गांधी अगर उनकी खबर पूछने जाए और उसको भी आलोचना का विषय बनाया जाए और कहा जाए कि यह एक राजनीतिक स्टंट है तो उससे अधिक दुखद घटना और कोई नहीं हो सकती है। मंडल कमीशन बना था। मंडल कमीशन के अनुसार भारत में विद्यमान जातियों की ऊंच-नीच श्रेणी के कारण नीच जातियों को अधिक सहन करना पड़ा और ये जातियां सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन की भोग बनीं। नीच जाति बनाम पिछड़ापन ऐसा समीकरण भारत के लिए एक सत्य बन

[The Vice Chairman (Shri Santosh Kumar Shau) *in the Chair*]

गया। इसी बातों को लेकर पंच ने भी स्वीकृति दी है। संविधान ने सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की बात कही है आर्थिक पिछड़ेपन की बात इसमें विद्यमान नहीं है और यह एक सूचक की बात है। यदि आर्थिक पिछड़े पन को ध्यान में रखे तो आरक्षण के मामले में

इसका प्रतिशत 70 से 80 हो जायगा और आरक्षण का ख्याल है। उसमें निरर्थक हो सकता है। व्यवसाय एवं आय के घटक अस्थिर हैं। एक ही कुनबे के दो व्यक्ति अगर विभिन्न व्यवसाय करके विभिन्न आय स्तर बना सकते हैं तो क्या एक को हम पिछड़ा कहेंगे और दूसरे को हम सम्पन्न कहेंगे? इसलिये पिछड़ेपन को साबित करने के लिये एक मापदंड निरर्थक साबित होगा कर्नाटक के हवानी कमीशन जो बना था मैं समझता हूं कि उसकी भी यही राय थी शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षित स्थान रखने का उद्देश्य गरीबी निवारण का नहीं यह काम आर्थिक आयोजन से हमें करना है। ऐतिहासिक स्थिति के कारण समाज में असमानता जो है उसको घटाने का उद्देश्य मात्र आरक्षण है। जाति प्रथा के कारण भारत को अधिक गरीब जनसंख्या वाले जातियों पर जीवन के तमाम क्षेत्रों में अन्याय हो रहा है और न्याय का चित्र स्पष्ट होता जा रहा है। मुझे माफ करें लेकिन एक सत्य बात है उसको हमें स्वीकार करना होगा। भारत में वरण व्यवस्था के आधार पर जो बातें चलाई जा रही हैं और उसके आधार पर आज भी जो विद्यमान चित्र है, जैन सागर में आज इसका एनैलेसिस लिखा है इंडियन मैनेजर्स...हिज सोशल ओरिजिन एण्ड कैरियर, वी0 सुब्रह्मण्यम का जो "सोशल बैकग्राउन्ड आफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्ज" उसने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। जातियों का जहां तक संबंध है अगर मैनेजीरियल जो पोस्ट हैं उसमें देखा जाए तो एनेलेसिस में बताया गया है कि ब्राह्मण जाति का मैनेजर के कैडलर में 41.4 प्रतिशत है, व्यापारिक जो जातियां हैं बनिया, अरोड़ा क्षत्रिय और किसान वगैरह उनका प्रतिशत 43.1 प्रतिशत है। दूसरी जो पिछड़ी जातियां हैं उनका प्रतिशत 0.1 है और जिनको हम अनटचएबल कहते हैं, हरिजन कहते हैं उनका मात्र सिर्फ 0.4 प्रतिशत है। आई० ए० एस०, आई० एफ० एस०, आई० पी० एस० के जो आंकड़े देखेंगे तो मालूम होगा कि 1947 से 1956 तक 94 प्रतिशत उन उच्च कक्षा के लोगों को थी, 81 प्रतिशत यह आई0 ए0 एस0 की थी। 1947 से 56 में 34 परसेंट, 1957–63 में 36 परसेंट, आई० एफ० एस० में 82%, 89%, 22%, और 22%, यह जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनका स्थिति है। इसी प्रकार आई०पी०एस० में 1947 से 1956 तक 81%, 1957 से 1963 तक 77%, ब्राह्मण 1947 से 56 तक 31% और 1957 से 63 तक 21% थे और यह प्रतिशत हम बना रहे हैं कि असमानता का आधार कितना है?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सदियों से जिन जातियों को लघुता-भाव में रहना पड़ा है, ऐसे अछूत आदिवासियों की समता आज भी उच्च वर्ग में नहीं है और इसी वजह से आरक्षण प्रोत्साहन के रूप में मिला है। आर्थिक आयोजन से पिछड़ी जातियों ज लोगों के पास कुछ पैसा देखा है, कुछ न आयकर देना भी प्रारम्भ किया है और कुछ लोग पैसे वाले भी बने हैं। क्या इससे अन्तर माता-पिता प्रतिकूल कौटुम्बिक वातावरण और सामाजिक लघुता जैसी लघुताएं जो हैं, वह दूर हो सकेगी और इसलिये आवश्यकता है कि उन्हें उच्च सामाजिक स्थान देने के लिये धक्का लगायें और उन को ऊंचे ओहदों पर बैठाना होगा। प्रोफैसर घनश्याम शाह ने एक एनालायसिस करके बताया कि उच्च वर्ग के कुछ लोगों को छोड़ बहुत संख्यक पिछड़ी जाति के लोग मजदूर तथा किसान हैं और उसमें भी बहुत कम लोगों के पास पांच एकड़ से अधिक जमीन है जबकि उच्च वर्ग में 50 से 75 प्रतिशत लोगों के पास पांच एकड़ से अधिक जमीन है और इसके साथ ही सिंचाई की व्यवस्था भी है। पिछड़ी जातियों में निरक्षरता काफी है, हरिजनों में हर 100 में से 6 व्यक्ति उच्च शिक्षा पाते हैं और इसलिये डाक्टरी इंजीनियरी व्यवस्था में नीचे हैं। इसलिये प्रोत्साहन का स्वरूप मेरीट नहीं पिछड़ापन है और इसी कारण आरक्षण बैठक इस शिक्षा में लगायी गयी है। पिछड़ी जाति के डाक्टर, इंजीनियर या नेता को अन्य जाति के लोगों के साथ अगर दृष्टिपात किया जाय तो क्या उनको आज समाज में यह दर्जा प्राप्त है? क्या आर्थिक रूप से समृद्ध हरिजन

[श्री मीर्जा इर्शादबेग]

और आदिवासी लोगों में अधिकारियों या नेता की सामाजिक स्तर पर पिछड़ेपन मात्रा कम हो पायी है? इसलिए सामाजिक पिछड़ेपन के सारे विभागों में से कुछ दृष्टांत के आधार पर यह नियम अलग करना मेरी समझ में उचित नहीं है । सर्वोच्च न्यायालय ने जो अनसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूची में रखे गए वर्ण कहा है, उनको क्लासेस कहा है, जाति के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है जो क्लासेज रखे हैं, उनके आधार पर आरक्षण किया है । कितने मित्र आज कह रहे हैं कि 30 वर्ष हो गए हैं आरक्षण को, यह तीस से अधिक वर्ष हो गए हैं, अब उसे खतम करना चाहिए । मैं पूछना चाहता हूं कि इतना आरक्षण देने के बाद भी क्या वे सामाजिक दर्जे तक पहुंच पाये हैं । मैं आपको एक ही बात की तरफ दृष्टिपात करने के लिए कह रहा हूं और वह यह है, जैसा कि एक और एनलियासिस बताया गया है, उस पर दृष्टिपात करें धनतेरी का, कि जो जगह रखी गयी थीं, 1982–83 में आरक्षित थीं 643 और उसमें 270 के करीब भर पायीं, 1983–84 में 680 थीं, उनमें 320 भर पायीं, 1984-85 में 439 थीं और सिर्फ 250 भर पायीं, डाक्टरी व्यवस्था में आप देखेंगे 183 जगह थीं, उसमें सिर्फ 100 भर पायीं और जो 165 जगह थीं, उनमें भी सिर्फ 100 भर पायीं, 1984–85 में 175 थीं, उनमें सिर्फ 69 भर पायीं । क्या यह सामाजिक व्यवस्था है कि आज भी हम उनको उस जगह नहीं पहुंचा सके हैं, तो कम से कम उनको ऐसा दर्जा दिया जाय, जो सामाजिक स्तर उनका है, उसको वे बढ़ा पायें । आज प्रश्न यह है, मान्यवर, जैसा कि एक केस में चला था और यह केस आरक्षण के बारे में था और सामने शांतिभूषण जी वकील थे और उन्होंने जो एक बात कही थी कोर्ट में, मैं उसको यहां कोट करना चाहता हूं । एडवोकेट शान्तिभूषण ने इस केस में यह कहा था कि जो बढ़ती का वातावरण है जन्म को अकस्मात के कारण हरिजन और गिरीजनों में अगर बढ़ती जायगी तो एक प्रकार का वर्ग-विग्रह होगा और जो हमारी श्रेणियां हैं और जो हमारे स्टेट्स हैं उन में युद्ध हो रहा हो ऐसा उस का परिणाम आयेगा । मैं समझता हूं कि यह जिस पार्टी के सदस्य हैं उन को और देश को मालूम है कि वे वे यहां बोलते कुछ हैं और गुजरात की धरती पर कुछ और बोलते हैं और बिहार में कुछ और उत्तर प्रदेश में कुछ और बोलते हैं । मेरे मित्र यहां मौजूद नहीं है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आरक्षण के मामले में, रोस्टर के मामले में गुजरात में कौन लोग थे जिन्होंने उस को बढ़ावा दिया और कौन हैं जो आज भी गलियों में उसका सामना करने के लिए तैयार हैं । एक तरफ कांग्रेस की सरकार है जिस की प्रोग्रेसिव नीतियां हैं । जो कहना चाहती है कि उन को कुछ दर्जा दो । लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो उस का प्रतिरोध किया जाता है । ऐसा क्यों होता है यह मैं जानना चाहता हूं । हमारी जुडिशियरी इस मामले में साफ है । उसने, जस्टिस एय्यर ने शांति भूषण जी को जो जवाब दिया था वह यह कि इस देश में टोलाशाही जो पागलपन करेगी उस के भय से या धमकी से कोर्ट अपनी जिम्मेदारियों से विचलित नहीं हो सकता । संविधान और उस की भावना की तरफ कोर्ट की अपनी जिम्मेदारी है । मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आज देश जिस ओर जा रहा है और राजीव गांधी जो जिन नीतियों को ले कर चल रहे हैं क्या यह इस का दृष्टांत नहीं है कि आज इतने वर्ष के बाद भी उन के आर्थिक स्तर को उठाने में, उस के लिए प्रयत्नशील माननीय मंत्री जी हमारे आमने-सामने प्रस्तुत हैं । लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हम सब को मिल कर देश के किसी कोने के पिछड़े हुए इंसान को जिस का आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं है, जिस को सामाजिक न्याय नहीं मिला है, उसकी सहा

यता करनी चाहिए, उसे उठाने का प्रयत्न करना चाहिये । क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उस को हम सामाजिक न्याय दिलायें । इस दिशा में हम प्रयत्नशील हों । और इन्हीं बातों को ले कर लोगों को भड़काया जा रहा है । कहा जा रहा है कि वर्ग विग्रह हो जाएगा । कहीं कहा जा रहा है कि हम हावी हो जायेंगे । हमें आशा और विश्वास है कि इन बातों को ले कर हम उन को और अधिक संवेदनशील न बनायें । आज भी हमारी हजारों झोपड़ियों को जलाया जाता है । उन को जिन्दा मारा जाता है । एक नागरिक और एक भारतीय की हैसियत से क्या यह हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उस की सहायता करें और सरकार जिस बात को ले कर आयी है उस का समर्थन करें और उन लोगों के आर्थिक स्तर को उठाने की बात करें आज देश का दलित वर्ग, पीड़ित वर्ग खराब दशा में जी रहा है । मैं कहना चाहता हूं और उस की बाधा को इन चन्द शब्दों में प्रस्तुत करना चाहता हूं :

किसी की हसरतें अरमां कुचल के पैरों से,
वही लहू से मेंहदी रचाये बैठे हैं,
सुबह न हो अहले कत्ल का,
वो शाद यूं मेरी मैय्यत सजाये बैठे हैं ।

आज मैं कहना चाहता हूं कि आओ, और जिस बात को ले कर देश आगे बढ़ना चाहता है उस में अपने कदम और सुर और ताल को सम्बद्ध करो ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं । आदाब ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU) : Yes, Mr. Ghulam Rasool Matto.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir) *1* Mr. Vice-Chairman, Sir, it is exactly thirty-five years ago that we, the people of India, gave to ourselves a Constitution and this Constitution, under articles 15, 16, 17, 18, 23, 25, 29, 35, 38, *46* 164, 244, 244A, 275, 32oA, 33i, 332. 334, 335, 33S, 339, 34°, 34', 342, 37'A, 371B aid 371G, gave provisions for the Castes and the Scheduled Tribes. I have given [his long list only to impress upon the Government that the founding fathers of our Constitution had kept in view the standard of our Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Now, what is the situation today ? In the first instance, I would like to draw the attention of the honourable Minister to the fact that the Twenty-third, Twenty-fourth, Twenty-fifth, Twenty-sixth and Twenty-seventh Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and the First, Second, Third and Fourth Reports of the Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being presented here and discussed, all at once. Under the Resolution of the Government of India, under which the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was set up, this Commission is required to submit to the President a report of the activities annually. Now, we are here discussing a Report which pertains to the year 1974-75. I would request, Sir, that if this discussion has to be meaningful, it should be presented in time so that we really know the situation.

Mr. Vice-Chairman, Sir, coming to the Third Report pertaining to April 1980-March 1981, the situation is that so far as the beneficiaries of land distribution are concerned, —I am giving one instance— in Andhra Pradesh where, I think the Congress was in power in those days, out of a total of 20.08 per cent, the beneficiaries of and allotment only 1.03 lakhs were the Scheduled Castes and 0.30 lakh Scheduled Tribes. This is a very sad situation.

Second point that I have to bring to the notice of the hon. Minister according to this Report is with regard to consolidation of holdings. Now, unless this is done, the weaker sections are not going to be benefited. Now, what is the position ? According to this Report it has been reported that the implementation of the programme of consolidation has seen extremely patchy and sporadic. Only about 45 million hectares of land, that is, about one-fourth of the consolidable land, has been consolidated all over the country. Now, if this is the situation how will this benefit will accrue to these, people ?

Also, this Commission had recommended that the administrative machinery may be strengthened in States like Bihar, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu and West Bengal, for taking early possession of surplus land. Now, action is not taken. For that purpose, if need be, the Report had stated that special courts may be set up in selected States to enforce the revised ceiling laws. This has not been one, with the result that the lots of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes remains the same.

(Shri Ghulam Rasool Matto)

Then, since the lists of 'Schedul< and Scheduled Tribes appearing in various orders are not fully rational and contains anomalies, the Commission recommends that the Government of India may bring forward suitable legislation for revision Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists to remove the existing anomalies, Now, what has. been done in this connection no body is aware of.

Now, with regard to the surplus land, the ..'t clearly stipulates that it is noted that 86-67 lakh acres of land taken into possession, 18-4 lakh acres have been distributed so far and 8- *26* lakh acres of land is still available for distribution. The (mrnission attach great importance to the distribution of ?urplus land and strict endor-cement of land celling laws. The Commission recommends that effective arrangemen t for quick distribution of land may be made with regard to the economic development, tin-Commission has recommended :

"It is understood that even after obtaining 70% to 80% of the required amount from the financial institutions, and applicant is required to manage amounts ranging between Rs. 50,000 to Rs. 80,000 to put the licle on (he road and many a time this is beyond the capacity of S cheduled Castes I Scheduled Tribes persons."

Obviously, it is impossible for a person of the weaker section to get Rs. 50,000 to Rs. 80,000 to ^'et the benefit out of this.

With regard to educational development, the report has stated :

"It has been noted that the extent of variation between the litracy rate of Scheduled Castes and Scheduled Tribe imunities in various States is such that calls for remedial measures. The Commi-ssion suggests that special schemes shoud be evolved for attracting the children of those Scheduled Castes and Scheduled Tribe communities whose literacy rate is less than , of the State's average for these comnra-ties. In the case of Scheduled Castes, lesidential schools, wherever necessary, mid be opened and in case of Scheduled Tribe communities, 50% of the seats in the Ashram schools in the various States should reserved for the children belonging to the imunities."

Has tills been done ? If this has not been done, how is it expected that the condition of weaker sections will be all right ?

With regard to reservation for Scheduled Cartes and Scheduled Tribes in service, the Commission has recommended :

"It is desirable that anomalies regarding reservation in promotion posts from feeder cadres in central Government establish-ments located in various regions are re moved by prescribing the same percentage in piomotious as are applicable at the time of direct recruitment."

Obviously, this also is not done. This re quires consideration by the Government. Unless such remedial measures as the Gomsu ssion suggests are taken urgently, nothing can be done in this connection.

"With regard to atrocities, the Commission states :

"It is hoped that the States and the U.Ts-will take steps to implement the recommenra dations of the Ministry of Home Affairs iof < right earnest to check the preparation d atrocities on the members of Schedule Castes and Scheduled Tribes."

This too is not being done.

Sir. I have these few suggestions *to* make and will request the hon. Minister that every year a report should be placed on the Table of the House and it must be discussed the same year according to the resolution of the Government of India. It should not be the case that we discuss the reports after 10 years.

The second point is that the rcommend a-tions of the Commission for various yerars should be implemented in letter and spi it. Sir, it is not being done. Unless there are remedial measures in this direction nd unless steps ar taken either by the State Governments or by the Central Government, thing cannot change. I, therefore, suggest that lie reports as submitted should not lie considered as a scrap of paper, but should actually re implemented so that the lot of the weaker sections of the people is ameliorated. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU) : I have been in formed by the Parliamentary Affairs Minister that the Government will make a statement on the gas leak in Delhi today at 5-30 P.M. This is for the information of the hon. Members of the House.

Shri Thangabaalu—not here. Shri Satya Pal Malik.

श्री सत्य पाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बहस में बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही गयी हैं । मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इस महत्वपर्ण मुद्दे पर बहस यहां पर चलाई है । आजादी के बाद और आजादी की लड़ाई के दौरान इस सिलसिले में बहुत कुछ कहा गया है और इस मुल्क में बहुत बहस हुई है । आजादी की लड़ाई के

हो गया है। जमींदारी अबोलीशन आसान तमाम नेताओं ने, गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए पिछले 50 सालों में वह काम किया है जो हजार साल में भी नहीं हुआ था। हम उनके साथ और इतिहास के साथ ज्यादती करते हैं कि आजादी की लड़ाई के बदौलत जैसा कि हमारे साथी कल्पनाथ जी ने कहा कि आजादी के बाद यह मुमाकिन हुआ कि चुनाव के दिन ननुआ तेली और महाराजा जयपुर की औकात में कोई फर्क नहीं है और दोनों बराबर हैं। ननुआ तेली को अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिये बड़े से बड़े आदमी को उसके दरवाजे पर जाना पड़ता है हरिजनों के घर पर जाना पड़ता है और आज भी जाना पड़ता है। यह इंदिरा जी के रहते मुमकिन हुआ कि सब से गरीब आदमी को अगर कोई बड़ा से बड़ा आदमी धमका पे और वह रिपोर्ट कर दे और उसकी रिपोर्ट की कोई सुनवाई न हो तो सिर्फ 1—सफदरजंग रोड पर अर्जी देने भर से यह हो जाता है कि बड़े से बड़े आदमी के वारंट हो जाते हैं। इसकी कल्पना पहले नहीं की जा सकती थी। यह कैसे हुआ हालांकि हमारी आजादी के बाद दो-ढाई साल का दौर ऐसा आया और इसको मैं एक अप्राकृतिक घटना मानता हूं, एक बाढ़ आती है, एक जल जला आता है जो कि थोड़ी देर के लिये आता है, अगर वह ज्यादा देर के लिये आ जायेगा तो सर्वनाश कर जायेगा तो अप्राकृतिक काम थोड़ी देर के लिये होता है और फिर वापस हो जाता है तो इन दो-ढाई सालों में देश के कमजोर तबकों के नुमाइन्दों को यह कहना पड़ा कि हमें इन सामइल को लेकर यू०एन०ओ० में जाना पड़ेगा, खैर मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट बहुत बढ़िया रिपोर्ट है। लेकिन इसको रोशनी में जो हमको करना है उसको कैसे कर पायेंगे इस सिलसिले में मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं। महोदय, जो हमारा समाज है इसकी रचना बहुत विचित्र और टेढ़ी है। यह इतनी टेढ़ी है कि इस समाज के लिये कार्ल मार्क्स को लिखना पड़ा कि हिन्दुस्तान में जाकर इस्लाम जो कि सारी दुनिया में बराबरी का प्रतीक है, हिन्दुस्तान में जाने के बाद उसमें भी बिरादरी आ जाती है और सिर्फ नमाज साथ पढ़ी जाती है और जब वे बाहर निकलते हैं तो वे बिरादरी में बंट जाते हैं। यही नहीं गुन्नार मिरडाल ने कहा है कि भारतीय समाज की संरचना इतनी टेढ़ी है कि उसके चलते पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट जरूर है लेकिन उसमें जातियां आज भी उसी तरह से हैं और यह इस्लामिक स्टेट भी उसी तरह से बिरादरियों में बंटा हुआ है जैसे कि हिन्दुस्तान बंटा हुआ है। यही हालत सिखों की है। उसमें भी शैड्यूल्ड कास्ट मौजूद है। यही ईसाइयों में भी है। जो गरीब आदमी ईसाई बन गये हैं उसको भी अपने हकों के लिये लड़ना पड़ रहा है। यह हमारे समाज की कमजोरी है और इससे हमें लड़ना होगा। इसी के चलते हिन्दुस्तान गुलाम हुआ है जैसा कि अभी और प्रबुद्ध साथियों ने यहां पर कहा है कि इस देश को अंग्रेजों ने कभी नहीं हराया, कोई ऐसी फौज अंग्रेज नहीं ले गये जहां पर सौ सैकड़ा अंग्रेज रहे हों। हिन्दुस्तान में अंग्रेज बहुत कम तादाद में थे। हम ही एक दूसरे से हारे थे। हिन्दुस्तान कभी भी इसलिये नहीं हारा कि वे बहादुर नहीं थे या वे लड़ने की तकनीक नहीं जानते थे बल्कि वह इसलिये हारे क्योंकि हमारा समाज हारने के लिये तैयार बैठा था, अपनी टूटन के कारण। आज भी करीब करीब वही स्थिति है समाज के स्तर पर। नैशनल इन्टैग्रेशन जैसी किसी बात का कोई मतलब नहीं है जब कि सोशल इन्टीग्रेशन चारों धर्म, चारों सम्प्रदाय नहीं करते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनैतिक और सरकारी मशीनरी से अलग इस देश में सामाजिक नेतृत्व खत्म हो रहा है। आज इन चीजों से लड़ने की जरूरत है। गांधी जी राष्ट्र का जब नेतृत्व कर रहे थे। तो वे समाज का भी नेतृत्व करते थे। आज जरूरत

[श्री सत्य पाल मलिक]

है राजनीति से ऊपर समाज में ऐसे लोगों की जो इन लोगों को आगे ला सकें। समाज में ऐसे लोग पैदा हों, ऊंची जातियों में से ऐसे लोग पैदा हों जो अपने आप को पीछे करके कमजोर आदमियों को खड़ा करें। हुआ तो बहुत है लेकिन कुछ खतरनाक चीजे भी हो गई हैं। आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी और उनकी पीढ़ी के लोगों ने कुछ अलिखित करार किये थे, वायदे किये थे और जो प्रोटेक्टिव डिसक्रिमेशन की बात चली थी गरीबों को बचाने के लिये, आज उसके सामने भी एक प्रश्न चिन्ह लाने वाली ताकतें मुल्क में खड़ी हो गई हैं और इस पर बहस चला रहे हैं, यह बदकिस्मती की बात है। गांधी जी ने मुल्क को टूटने से बचाया और गांधी जी ने मुल्क के गरीब आदमी को अपनी ताकत से खड़ा किया और अपने साथ उसको इन्वाल्व किया और देश को आजाद कराया लेकिन उनके न रहने के बाद आज 45 साल में, 50 साल में ऐसी ताकतें खड़ी हो गई हैं जो आजादी की लड़ाई के दौरान किये गये वायदों के सामने सवाल करती है। हमको यह देखना पड़ेगा और उन ताकतों की पहचान करके उनके खिलाफ लाना होगा। क्योंकि जब देश में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो जो ताकतवर है वह तेजी से जाता है और गरीब को पीछे धक्का मार कर एक तरफ करता है। इसलिये हमको समझदारी के साथ सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व देना होगा और उन ताकतों के खिलाफ गरीब आदमी को नेतृत्व देना होगा। बहुत खतरनाक बहस इधर चली है कि गरीब आदमी, शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी इनएफिशियेंट हैं। इनएफिशियेंसी की बात अगर आप दफ्तर की करते हैं तो आप उसकी इनएफिशियेंसी की बात क्यों नहीं बोलते जिसके पास 5 हजार बीघा जमीन है और एक हजार वह जोतता है और 4 हजार छोड़ देता है। उसकी इनएफिशियेंसी आपने कभी नहीं देखी। आप उसकी इनएफिशियेंसी को देखें। एक हरामखोर जो बड़ा है और सारे समाज का पैसा ले जाकर फैक्टरी को घाटे में चलाता है, उसकी इनएफिशियेंसी नहीं देखी जाती। जो ताकतवर आदमी है उसकी इनफिशियेंसी नहीं देखी जाती हैं, जो महलों के मालिक हैं जिनकी पुताई भी नहीं हो रही है, मरम्मत नहीं हो रही है, उनकी इनएफिशियेंसी नही देखी जाती है लेकिन गरीब आदमी अगर किसी कुर्सी पर बैठ गया है तो उसकी इनएफिशियेंसी की बहस चलाई जा रही है। समाज में, यह बहस देश की प्रगति में बाधक है। इसलिए सामाजिक और आर्थिक नेतृत्व से इस बात को फेस करना होगा। कई हजार साल का सताया हुआ आदमी जिसको जमीन पर बैठने नहीं देते थे, पशुओं के पास बैठाते थे, गोबर के पास बैठाते थे, गंदगी ढुलवाते थे आज उससे उम्मीद करते हैं कि उसको 10–15 साल आरक्षण दे देने से वह आपके बराबर आ जाएगा। यह बात बेईमानी की होगी। इसलिए इस बात के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद जो एक बहुत बड़ा काम हो गया वह है जमींदारी का अबोलीशन। यह एक बड़ी भारी चीज थी। लेकिन यह हो गया। यह इसलिए हो गया कि लाहौर कांग्रेस से लेकर सारे कांग्रेस नेतृत्व ने, किसी सम्मेलन में नहीं भूलते थे जवाहरलाल जी कि जमींदारी का अबोलीशन करेंगे, सारी आजादी की लड़ाई का यह बहुत बड़ा प्लेंक था, इसीलिए आजादी मिलने के बाद जमींदारी का अबोलीशन सब से पहले किया गया क्योंकि आजादी की लड़ाई में भी यही वायदा किया गया था इसलिए इस वायदे को पूरा कर दिया गया। लेकिन गलती करेंगे अगर एक बात को नहीं समझेंगे। यह इसलिए सम्भव हो गया कि जमींदार आईसोलेटर थे, समाज में वे संगठित नहीं थे, राजनीतिक ताकत में वे हिस्सेदार नहीं थे। जवाहरलाल जी जिन्दा थे सरदार पटेल जी जिन्दा थे हर सूबे में तमाम तरह के मामूली घरों के लोग मुख्य मन्त्रियों के पद पर थे इसलिए यह काम हो गया। लेकिन आज अगर गरीब आदमी जिनसे हक मांगता है वह सारे लोग कौन है। हमारे पास राजनीतिक ताकत है, आर्थिक ताकत, है, प्रशासन की ताकत है आज बड़ा आदमी संगठित है इसलिए अब इनको हिस्सेदारी मिलने में कठिनाई आ रही है, आज कमजोर आदमी की हिफाजत करना ज्यादा मुश्किल काम

काम था। लेकिन अब गरीब आदमी को बचाना मुश्किल काम है। जो ताकतें उसके खिलाफ थीं वह अब समाज में ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक ताकत आज उनके हाथ में चली गई है। आप सरप्लस जमीन के बंटवारे को ही ले लीजिए। पश्चिमी बंगाल जैसे सूबे में खेतिहर मजदूरों की तादाद बढ़ रही है, जो बड़े आकार की काश्त है वह बढ़ रही है, गुजरात में सरप्लस लैंड का बंटवारा नहीं हुआ है चाहे कांग्रेसी सरकार रही हो या गैर कांग्रेसी सरकार रही हो। कुल मिला कर जो होना चाहिये था वह उस तरह का नहीं हो पाया। तो हमको एक और खतरनाक बात इसमें समझनी चाहिये कि अभी तक संघर्ष इस गरीब आदमी के साथ रहता था लेकिन हमारी जो बीच के दर्जे की जातियां थीं उनको हरित क्रान्ति के बाद ताकत मिली, उनको राज में ताकत मिली, नौकरियों में ताकत मिली, तो जो पिछड़े वर्ग थे उसके साथ भी इनका झगड़ा हुआ। ऐसा सामाजिक, राजनीतिक नेतृत्व इस देश में विकसित करना होगा जो पिछड़े वर्गों में से हो, बड़ी जातियों में से हो, सारे तबकों में से हो, खड़ा होकर यह कहे कि हम संघर्ष नहीं होने देंगे।

पिछड़ी जातियों के लोग, मेरे जैसे किसान जाति के लोग यह संकल्प करें। माननीय बंसीलाल जी बैठे हैं, हमारे इलाके में हजारों गांवों की पंचायत होती थी। बाबर के जमाने से लेकर बहादुरशाह जफर के जमाने तक हमारे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गांवों की पंचायतें होती थीं उस पंचायत के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। पांच आदमी की पंचायत होती थी। उन पंचों को मंजूरी मिलती थी दिल्ली के दरबार से। कागजात में लिखा हुआ है कि उन पांच में से एक भंगी, हरिजन जरूर होता था। यह बाबर से लेकर बहादुरशाह जफर के जमाने में होता था। हमारे गांवों में इस तरह का वर्ग विग्रह कभी नहीं होता था। हमारे इलाके में जातियों का इतना जबरदस्त मामला नहीं था कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं थी जैसे कि कबायली इतिहास मिलता है उसमें भाट गाते हैं यह कहते हैं कि विदेशी आततायियों के खिलाफ हरिजन, किसान, बालमीकि साथ साथ लड़े। लेकिन आजादी मिलने के बाद आपाधापी मची राजनीतिक ताकत की, आपाधापी मची आर्थिक ताकत की, आपाधापी मची पावर को शेअर करने की। उस वक्त से हमारा सम्बन्ध सब जगह बिगड़ रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सब तबकों में से एक ऐसा सामाजिक नेतृत्व निकालना होगा जो इस सबसे कमजोर आदमी के साथ खड़ा हो और उसका साथ दे। सबसे गरीबों आदमी की बात चलती है, देश की पादर्टी लाइन की बात है उसमें सबसे ज्यादा यह आते हैं हालांकि दीगर कौमों के लोग भी उनमें आते हैं। आपको जानकर खुशी होगी, सबको खुशी है, मैं कोई नयी बात नहीं बता रहा हूं।

हमारे नये प्रधानमन्त्री ने पहली बार इस बात का अहसास किया कि उस गरीब आदमी के लिए हम जो कर रहे हैं वह गरीब आदमी के पास जा रहा है या नहीं इसकी जानकारी की जाए। उसके सामने कोई मजबूरी नहीं थी। राजीव गांधी के पास 402 एम०पी० थे। जवाहरलाल जी के वे दोहते हैं और इन्दिराजी के लड़के हैं, एंटी डिफेक्शन बिल पास है, पांच साल आराम से काट सकते थे उनको कोई जरूरत नहीं थी। इतने दूर-दराज इलाकों में जा करके अपनी बीवी को ले जा करके खदाहमखाह अपने पैर पकड़वाने की जगह जगह गलियों में घूमने की कांटे लगवाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उस आदमी की नेकनीयती की 5.00 P.M. तारीफ करनी होगी कि वह देश के सुदूर अंचल में गया, गरीब से गरीब आदमी के यहां गया जिसके यहां खटने को दरवाजा नहीं था, उसकी झोंपड़ी में सीधे वह घुसा और उससे पूछा कि तुम्हारी बकरी दूध दे रही है कि नहीं दे रही है, कर्जा मिला कि नहीं मिला और बी०डी०ओ० ने पैसा तो नहीं मांगा बैंक वाले ने रिश्वत तो नहीं ली थी, ऋणों की अदायगी हुई है या नहीं। कोशिश की है जानने की कि इस सबसे गरीब आदमी को कुछ मिला है या नहीं मिला है। लेकिन एक आदमी की नेकनीयती से सारा काम नहीं चलता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो रास्ता दिखाया है तो जो रुपया हमारी योजनाओं में सबसे गरीब आदमी को खड़ा करने के लिए है उसके बारे में नये सिरे से सोचिए और सातवीं योजना में इसको बढ़ाइये, बढ़ाने की कोशिश करिये। मैं बिना किसी खौफ के कहना चाहता हूं और शास्त्री खुद कह रहे हैं कि 50 सैकड़ा जा रहा है अफसर और ठेकेदारों की जेब में

[श्री सत्य पाल मलिक]

जो समाज का टिनोपाल वाला वर्ग हर गांव में खड़ा हो गया है उस राजनीतिक दलाल की जेब में जा रहा है कमजोर आदमी की जेब में नहीं जा रहा है कोशिश करिये कि इस रुपये का सही तरीके से इस्तेमाल हो क्योंकि सिर्फ रुपया बांटने से कोई मुल्क मालदार नहीं होता है, रुपया जहांगीर भी बांटते थे, हर शनिवार को कई हजार लोगों को अशर्फियां बांटते थे। इससे हिन्दुस्तान मजबूत नहीं होगा। हिन्दुस्तान तब मजबूत होगा जब सबसे कमजोर लोग हैं उनको इस तरीके से रुपया दें कि वह रुपया उत्पादन में जाये, वह रुपया उनको सही तरीके से मिले और उस रुपये से उनको आगे पैदा करने की ताकत हासिल हो। यह कोशिश हमको करनी होगी तभी हम इनका कोई फायदा कर पायेंगे।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी यह भी बहस बेइमानी है कि मामला सिर्फ आर्थिक है। मामला सिर्फ आर्थिक तरक्की का नहीं है। आप कितना ही रुपया गरीब आदमी को दें, उसको मालदार कर दें उसको ताकतवर और कर दें लेकिन अगर उसको सामाजिक हैसियत बराबर की नहीं मिलती है अगर उसको राजनैतिक या प्रशासनिक ताकत या सामाजिक पहचान नहीं मिलती है और यह सिर्फ हिन्दुस्तान के संदर्भ में नहीं है। मैं यह पढ़ रहा था, इसी रिपोर्ट में लिखा है, जापान में एक कुराकूमिन करके जाति है उसके ऊपर अरबों रुपया खर्च करती है जापान की सरकार, वह खाली जाती है लेकिन सामाजिक तौर पर ये पिछड़े हुए हैं। यह जापान जैसे तरक्कीशुदा मुल्क में है जिससे टेक्नालाजी मांगने अभी हम लोग गये थे उस मुल्क में भी इस जाति के साथ आज भी वही व्यवहार होता है, पैसा और अन्य मामलों में तरक्की के बावजद भी, जैसा हमारे यहां हरिजनों के साथ होता है। तो यह सोचना होगा कि सिर्फ रुपया देने से सिर्फ इनको मालदार कर देने से सिर्फ पावर्टी लाइन के ऊपर कर देने से काम चलेगा, ऐसा होने वाला नहीं है जब तक इनको सामाजिक पहचान और प्रतिष्ठा नहीं देंगे तब तक वही बात होगी जैसी मीनाक्षीपुरम में धर्मपरिवर्तन हो गया। मीनाक्षीपुरम के हरिजन जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया आर्थिक तौर पर वे हमारे इलाकों के या देश के दीगर इलाकों के हरिजनों से बहुत बेहतर हैं लेकिन सामाजिक संघष की तीव्रता में जो उनका अपमान होता है, सामाजिक तौर पर उसके रिएक्शन में जाकर धर्म परिवर्तन करते हैं बारबार सुप्रीम-कोर्ट की रूलिंग और हमारी आजादी की लड़ाई के नेतृत्व में संविधान में जो चीज लिखी गयी है और जिसको अदालतों ने बारबार कहा है कि पिछड़ेपन सामाजिक और शिक्षा के आधार पर तय होगा इसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए यह मेरा निवेदन है। इसकी परिभाषा बदलने की कोई कोशिश हमको मंजूर नहीं करनी चाहिए यह मैं कहना चाहता हूं।

दूसरे मैं कहना चाहता हूं जो मौजूदा अदालतें हैं, इसी रिपोर्ट में लिखा है कि गुजरात में सैकड़ों मामले अस्पृश्यता के हैं लेकिन अदालतों ने उन्हें सजा नहीं दी और अदालतों ने कहा कि ढांढा कहना को बुरी बात नहीं है क्योंकि ढांढा बिरादरी है, चमड़ा कहना कोई बुरी बात नहीं है, चमार कहना कोई बुरी बात नहीं है। इसी को आप छोड़ दीजिए कफल्टा में 12 हरिजन मारे गये वे इस घटना को आज डेढ़ साल हो गया है और सारे लोग बरी हो गये हैं। जो कुछ सोचना चाहिए, इन मामलों में विशेष अदालतों के नियुक्त करना चाहिए। मैं जब यह कहता हूं— आखिर में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पंजाब को हल कर सकते है आसाम को हल कर सकते हैं और सारी चीजों को हल कर सकते हैं लेकिन यह जो सामाजिक संघष बढ़ रहा है सामाजिक नफरत बढ़ रही है, यह जो प्रशासन में राजनीति में पार्टियों में जो विद्वेष बढ़ रहा है इसको रोकने का कोई प्रशासनिक रास्ता आपके पास नहीं है आपके पास इतनी बड़ी फौजी ताकत है आपके पास इतनी परा मिलिटरी फोर्स है, सारी दुनिया की ताकतें हैं लेकिन अगर सामाजिक नेतृत्व देकर इस जहर को खत्म नहीं कर पाएंगे तो इसका कोई प्रशासनिक इलाज आपके पास नहीं है यह मैं आखिर में कहना चाहता हूं और यहां बहुत से शेर कह दिये गये मेरे सम्मानित साथियों ने कहे, मुझे नहीं कहना चाहिए ज्यादातर पुराने कहे थे। नयी बात जो हमारे साथी हैं, उन्होंने

कहीं और उनके शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा :

"हालते इन्सान पर बरहम न हो अहले वतन,
यह कहीं से जिन्दगी भी मांग लेंगे उधार,
दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा जरूर
कि हर हथेली खून से तर और बेकरार है ।"

SHRI V. NARAYANSAMY (Pondi-cherr>) : Mr. Vice -Chairman, Sir we are discussing tin- motion moved by the hon. Minister for Welfare for consideration of the Reports of Committioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes from the year 1974 to 1982. The Fattier of the Nation, Mahatma Gandhi noticed during the fieedc m struggle that the Hari-jans Were being treated by high class society as untouchables and bonded labour. Mahalma Gandhi felt that unless both tile groups were hrougct together, we might not succeed in. our freedom struggle. Therefore wherever he went throughout the country he took along with him H»rijau people to create a feeling in the minds of the high class society that the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are also respectable citizens of this country. That movement created a mom nturo and Harijan community people chose to mingle with the high class society people and we were able to get freedom.

After Mahatma Gandhi, our great leader Jawaharlal Nehru, when he became the Prime Minister, introduced land reform measures educational reforms giving concessions and re-servations and also reservation of employm » opportunities for the Scheduled Caste and. Scheduled Tribes communities and thereby he brought them on par with the high society, our great leader, Smt. Indira Gandhi, devoted her whole life for uplifting the poor and downtrodden, especially the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. She appointed several Commissiors and the reports that we are now discussing are the reports of the Comrnisions appointed during the period of our great leader , Smt. Indira Gandhi. We find from the report that Smt. Indira Gandhi wrote personally Jo all the Chief Ministers of States about the non-implementation of the programmes for the upliftme'it of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes. It has been stated that the problems faced by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are indeed enormous and without their economic emancipation their social position can hardly be improved Therefore on 12th March, 1980, the Prime Minister herself wrote to all the Chief Ministers and Governors of 'States under President's rule, to convey the deep concern of the Government of India abou t the problem; of the Scheduled Castes and the high priority the Government attached to the task of tneir rapid socio-economic development" Thls is mentioned on page 2G of the Report for the year 1981-82. If you want to improve the conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the land reform measures and Lenancy law have to be strictly enforced for the purpose of developing and giving benefit -to such people. The economic and social development, if it is made in strict sense, the community will automatically develop. We have seer, the wages which have-1 ecu paid to the labourers were between the range of Rs. 5 to Rs. 9 for a period of seven years as per the report. The report was submitted in 1982. After that there wss no revision of wages foi the agricultural labourers.

Nearly 81 ter cent of the Scheduled Ca-ie and Scheduled Tribe families are involved in agriculture.

On the question of bonded labour, the reportsays thataboutRs.400 crcreshave beef earmarked for ig8i-82. In that more than 17,000 persons have been rehabilitated. We find thatin Karnataka alone more than 15,000 bonded labourers have been rehabilitated. The rehabilitation of the bonded labourers will in one way definitely improve the livirg conditions of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people.

Especially in my State, Pondicherry, tl«-laud-reform system is working well. The bene-ficiaires are more. The tenancy laws have beer implemented.

One thing, 1 would like to say. About 30 days back we have cyclone in our State and also in Tamil Nadu. The colonics which haw-been earmarked for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and in which the Schr-duled-Caste and the Scheduled-Tribe people have been housed, are in low-laying areas and those areas have been inundated in wa-ter. While surveying die ateas we have found that especially the colonies in which Harijan people have been housed, were flooded with water. While allocating areas for the purpose of bousing, it should be seen that the distiibu-tion is equal. Persons from other castes and the Scheduled Castes should be equally distributed. Therefore, there may not be seclusion in the minds of the Scheduled-Caste people and the Schedule-Tribe people, t>at they have been neglected, either in the urban areas or in the rural areas. Our hon. Prime Minister was pleased to visit our State' immediately after the news that there were heave floods in our State, Pondicherry, and be has allocated more than Rs. 1 crorei, for whit we are very to him.

Further, on the question of reservation of government jobs, if we see the report, from the post of Judicial Officer to the post of Peon the report says, more than 38 departments have not submitted their particulars and that only 26 have responded. To get the report and to give full effect to it, all the departments and iriinistries have not co-operated. It is a very sorry state of affair. The Commission has been appointed to see how the programmes have been implemented, whether th_{3v}

reach the Scheduled-Castes and Scheduled Tribe people. They have not been fully sup" ported by several departments. In the case of educational institutions *we* have also seen that reservations have been kept, very low.

Looking into all these angles, apart J from the recommendations that have ! teen given in this report, my sub- '< mission is that periodically meetings should be held by ministries and departments to review the implementation of the programmes. Secondly, the checks should be made from the district level to the State level with full support and co-operation of the State administration to see whether the benefits meant for the Scheduled-Caste and Scheduled-Tribo people arc reaching them properly or not.

Our Prime Minister has said in 1980 that about 50 per cent of the population were below poverty line. Since then we have succeeded in bringing down the people who are below pover-ty line to the extent of 32 per cent. We are going to bring it down to 5 per cent by 2000 A.D. That being the case, the State Governments and the Central Government should work together to protect the minorities, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, then, we will be able to improve their standards. Then alone we will be doing real justice and would enable them to reap the fruits of our freedom.

श्री अच्छे लाल बाल्मीक (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम शैड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पक्ष के भी और विरोधी पक्ष के लोगों ने भी बड़े विस्तार के साथ शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की समस्याओं पर, उन की कठिनाइयों पर और उनके प्रति हो रहे अन्याय पर प्रकाश डाला है और उनके हल के लिए भी कुछ सुझाव दिए हैं। मैं आप के सामने शेड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स में एक जो बाल्मीक जाति है उस की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

जहां जानवरों के लिए तो यह कानून बना हुआ है कि उन का मालिक उन से कितना काम ले सकता है, उन के ऊपर कितना बर्क डाला जा सकता है, वहीं बाल्मीक समाज जो तमाम देश में सफाई का काम करता है, गांवों में करता है, शहरों में काम करता है और बड़े नगरों में काम करता है उनके लिए कोई कायदा कानून नहीं है, जैसे कि और दूसरे मजदूरों के लिए कानून बनाये गए हैं वैसे कोई कानून नहीं है और आज तक नहीं बनाये गए हैं जिस के कारण यह बाल्मीक जाति आज बहुत ही परेशानी और कठिनाई में है। जैसा कि मैंने आप को बताया कि जानवरों के लिए तो बहुत से कानून हैं। अगर कोई मालिक बीमार जानवर से अधिक कार्य लेता है तो उसका प्रासीक्यूशन हो सकता है, लेकिन सफाई मजदूर एक मनुष्य होते हुए भी अगर उस से अधिक कार्य लिया जाता है या उस के प्रति अन्याय किया जाता है तो उस के मालिक के खिलाफ किसी तरह का प्रासीक्यूशन नहीं हो सकता। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि आज काफी प्रयास करने के बावजूद भी हमारी सरकार के काफी प्रयत्न के बावजूद भी हमारे देश में अस्पृश्यता बनी हुई है। हमारी सरकार चाहती है कि जो अस्पृश्यता फैली हुई है देश में वह समाप्त हो लेकिन इसके बावजूद भी अस्पृश्यता मिटी नहीं है और उस का कारण यह है कि जैसा कि हमारे माननीय सदस्य मलिक साहब ने बताया आज उन में शिक्षा नहीं है। आज जितनी स्कीमें हैं उन को ऊंचा उठाने की अगर वे सारी योजनायें बंद कर दी जायें, और केवल उन को ईमानदारी से शिक्षा दी जाय तो मैं समझता हूं कि यह एक सब से बड़ी समस्या हल हो सकती है। बिना शिक्षा दिए हुए अनुसूचित जातियों में जो भेदभाव की बीमारी है वह मिट नहीं सकती है और उस को मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए जो हमारा शिक्षा विभाग है, जो स्कूल हैं उन में शिक्षा देने के लिए आप को कानून में तरमीम करनी पड़ेगी। अभी तो हम ने देखा है कि

सरकारी स्कूलों में 15 और साढ़े सात फीसदी अछूत और जन जाति के बच्चों के प्रवेश का जो प्राविधान है वह ठीक है लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं उन में कोई अनसूचित जाति का बच्चा शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है और जब उन स्कूलों में वे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो फिर कोई बहुत बड़ा आफिसर बनने का सपना तो उसके दिल और दिमाग में ही रह जाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि चाहे हमारी भारत सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो उसे सब से पहले शिक्षा के ऊपर देखना पड़ेगा। हरिजनों के बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पर्सेंटेज निर्धारित करनी होगी तभी हमारे हरिजन बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे या अच्छे, ऊंचे पदों पर जा सकेंगे।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो शेड्यूल्ड कास्टस भाई हैं जो चमड़े का काम करते हैं, फल बेचने का काम करते हैं, कपड़ा धोने का काम करते हैं या और दूसरे काम करने वाले अनुसूचित भाई हैं उनके साथ तो भेदभाव होता ही है लेकिन आप कल्पना करें जो आदमी, जो मनुष्य, जो व्यक्ति कूड़ा उठाने का काम करता है, पखाना साफ करने का काम करता है उस से कितनी घृणा हमारे देश में लोग करते हैं। आप यह देखें कि कि जो सफाई मजदूर होता है और जो कूड़ा और पखाना इकट्ठा करता है वह इकट्ठा कर के खाद बनाने के लिए काश्तकार को बेच नहीं सकता और कूड़ा, पखाना साफ करने के लिए वह भंगी कहलाता है, सफाई मजदूर कहलाता है, उस से घृणा की जाती है लेकिन वह उसको इकट्ठा कर के खाद बनाने के लिए काश्तकार को नहीं बेच सकता है। जो हमारे नगर निगम हैं, म्यूनिसिपल्टीज हैं उस में यह कानून है कि कूड़ा इकट्ठा करके, पखाना इकट्ठा कर के उन्हें दिया जाए और वह उसको खाद के लिए बेचेंगे और पैसा कमायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह कर दिया जाए कि जो पैसा नगर निगम या म्यूनिसिपल्टीज में इसको बेच कर इकट्ठा हो वह सारा पैसा वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए लगा दिया जाए तो बड़ा कल्याण उस समाज का हो सकता है।

यहां पर लोग कहते हैं कि इनको आई० ए० एस० अफसर बनाओ। कोई बड़ा अफसर बनाओ। मैं तो कहता हूं कि अफसर न भी बनाओ कम से कम कूड़ा साफ करने वाले जो मजदूर हैं, पखाना साफ करने वाले जो सफाई मजदूर हैं उनको खाद बेचने का अधिकार ही दे दीजिए और अगर नहीं देते हैं तो जो कूड़ा या पखाना बेचा जाता है कम से कम उसका पूरा फायदा नहीं देते तो आधा पैसा ही उनके कल्याण के लिए लगाया जाए इनको लाभ दिया जाए। लेकिन कानून यह बना दिया गया है कि कूड़ा पखाना बेचने का मालिक हमारा नगर निगम होगा नगर पालिका होगी।

इसी तरीके से आप मकान की बात ले लें। हमारे भारत सरकार की स्कीम थी कि जो हमारे सफाई मजदूर हैं उनको मकान बनाने के लिए नगर निगम, नगर पालिका पैसा देगी। वह 1950 से लेकर 1963 तक तो स्कीम चली लेकिन 1963 के बाद इस स्कीम को खत्म कर दिया गया। आपने इसके स्थान पर विकास प्राधिकरण बना दिया है। विकास प्राधिकरण का क्या काम है ? वे लोग जमीन की बोली लगाते हैं। जो ज्यादा बोली बोलता है वह आदमी उस जमीन को ले जाता है। कोई भी सफाई कर्मचारी, मजदूर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह बोली बोल सके इसलिए वह जमीन तो खरीद नहीं सकता और जब जमीन नहीं खरीद सकता तो मकान कैसे बनायेगा।

इसी तरह से जो हमारी महिलाएं हैं नगर पालिकाओं में काम करती हैं वे सुबह ही काम पर चली जाती हैं तो यह महिलाएं या तो अपने बच्चों को अपने घर पर ही छोड़ कर चली जाती हैं या जहां वे सफाई करती हैं कूड़ा पखाना साफ करने का काम करती हैं वहीं सड़क पर फुट पाथ पर उनको लिटा देती हैं। इस के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि माननीय मंत्री जी कम से कम जो हमारी सफाई मजदूर के बच्चे हैं, हमारी महिलाएं हैं, सफाई का काम करती हैं उनके लिए

[श्री अच्छ लाल बालमीक]

कोई शिशु गृह या शिशु आश्रम कायम किया जाएं जहां वे अपने बच्चों को सुबह जब जांए तो छोड़ कर चली जाएं और जब शाम को लौटें तो अपने बच्चों को लेती जाएं। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि कूडा और पखाना जो होता है उसमें ऐसी भयानक गैस होती है जैसा आपने देखा है भोपाल में उस गैस से कितने ही लोग मर गये। मैं कहता हूं कि जो रोज यहां पर कूड़ा, पखाना उठाते हैं, जो रात में डाला जाता है अगर सुबह उसको थोड़ा सा हिला कर देखें तो आप देखेंगे कि उसमें से धुंआ निकलेगा। सफाई मजदूर जब उसको साफ करता है तो वह आंखों में लगता है और उसके आंखों की रोशनी भी चली जाती है। यह गैस उसकी नाक, मुंह और सांस के जरिए पेट में चली जाती है और उसको नाना कार की बीमारियां हो जाती हैं।

एक अन्य चीज 'म यह कहना चाहता हूं कि जो दूसरे मजदूर होते हैं उनको सात घंटे या छः घंटे काम करना पड़ता है। सफाई मजदूर और इन मजदूरों में एक बड़ा फर्क है। अन्य मजदूर मशीन से काम लेते हैं जो कि सफाई मजदूर मशीन बनकर काम करता है। इस दृष्टि से इन दोनों में बड़ा अन्तर है। अगर अन्य मजदूर सात घंटे या छः घंटे काम करते हैं या उनके लिए आप सांत घंटे या छः घंटे रखते हैं तो सफाई मजदूर के लिए चार घंटे होने चाहिए। उसका चार घंटे का काम सात घंटे के बराबर होता है। सफाई मजदूर गन्दगी में, कीड़ों में, काम करता है। आप इसका कल्पना कीजिए कि उसके शरीर में कितने गन्दे कीड़े चले जाते होंगे। इन कीड़ों से उसका शरीर नष्ट हो जाता है। सौ साल की जिन्दगी वाला आदमी 50 साल में ही मर जाता है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि सफाई का काम करने वाले शेड्यूल्ड कास्टस क ब.हनेकां भाइयों का जीवन बीमा होना चाहिअ उनका सामूहिक जीवन बीमा होना चाहिएऔर यह बीमे की पालिसी नगर-निगमो और म्युनिसिपिल्टीज को अदा करना चाहिअ। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमार शेडड कास्ट्स भाई अगर चाह तो कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन सफाई मजदूर अगर कोई काम करने के लिए कहता है तो यह जब पता चल जाता है कि यह बाल्मीकि है, भंगी है तो लोगों को करन्ट लग जाता है। वे उसको वापस कर देते हैं। दिल्ली में मैंने एक प्रयास किया कि कुछ बच्चों को स्कूलों में एडमिशन मिल जाये। माननीय मंत्री श्री के० सी० पन्त जी से मैंने इसका जिक्र किया। आज स्थिति यह है कि 5-5 और 10-10 हजार रुपये क्लास 1 और क्लास 2 में एडमिशन के लिए देने पड़ते हैं। ऐसी हालत में भंगी का बच्चा कैसे पढ़ सकता है? जब दो आदमी लड़ते हैं तो कहते हैं कि मारते मारते तुझ को भंगी बना दूंगा। भंगी आज कोई जात नहीं है, बल्कि भंगी वह है जिसके पास कुछ नहीं है। इसलिए आपको भंगी को सब कुछ देना होगा, सरकार को देना होगा उसको शिक्षा देनी होगी मकान देना होगा, नौकरी देनी होगी और तभी इंसान बन सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

SHRI B. KRISHNA MOHAN (Andhra Pradesh) : Mr. Vice-chairman, Sir, I, thank you very much for giving me an opportunity to express a few words an the reports placed before the House. Almost all the Members who spoke from die Treasury Benches and from the other side, have covered die entire ground. w'idiout repeating anything , I will confine Jjinysclf to one or t\\ portant points

These reports which are placed before dii» House for consideration cover the period from 1974 to 1982. Sovhtually we are discussing I the problems of 1974. It creates certain doubts among the Members of the House as to how serious the Government is about the problems of die Scheduled Castes and Scheeduled Tribes, even 1 hougdieGovernmcutis committed to the basic pholsophy of romoving economic disparities and is also implementing several welfare measure to help the lower segments of the society to bring them aborcthepoverty-line. No doubt our dynami Prime Minister after assuming charge of this great country has visited at number of tribal areas in m-.ist of die States to know personally die problems of die tribal diere and has taken immediate decisions to solve the problems of die tribals. We have our 20 point economic programme of the late Prune Minister, Mrs. Indira.Gandhi, and massive Central assistance was given to all die States for the implementation of the various welfare measures to help the lower segment of the society. One most important part of that programme is the implementation of land reforms,

3 provision of house sites to Harijans

and distribution of surplus land to Harijans, Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Sir, Andhra Pradesh is the first State in the country to bring a most revolutionary piece of legislation in 1072 when the present Human Resources Development Minister was the Chief Minister of the State. He brought a most revolutionary piece of legislation. But the landlords there started an agitation in the name of a separate State and he was asked to step down. Subsequently, the Chief Minister brought several amendments to the land Ceiling Act. And the very spirit of the Act was diluted and the very purpose for which the Act was passed was defeated . The Andhra Pradesh Government produced figures, contained in the various reports, to show that so much land was declared surplus, so much land was distributed, and all that. But the whole thing became a mockery. The rich became richer and the poor poorer. Unless the Central Government appoints a committee to monitor and implement the land ceiling law in all the States. I think BO useful purpose will be served by enactment of so many laws. And then, mere distribution of surplus land would not suffice unless the landlords supply the agricultural inputs. Whatever Central assistance is given for providing agricultural inputs is not being fully utilised by the States, as has been revealed by the figures and reports placed before the House.

Secondly, one of the welfare measures is provision of houses and house sites. Enough progress has not been made in many States. Therefor', a sizable central assistance should be made available for houses and house sites to the weaker sections of the society.

In regard to wages to the agricultural labour, there is the Minimum Wages Act but it is not being enforced. Rich land-lords are harassing the poor agricultural labourers. The agricultural labourers are not being paid their wages for what they have done in the agricultural farms.

Then, education is one of the most impor- I tant aspects. The very future of the country depends on education. There is an alarming | dro pout at the primary, prc-primn.ry and elementary school stages: particularly in tribal areas in the Schedulrd Caste and Scheduled. Tribe area the problem is much more alarming Illiteracy among Harijan ladies is wide rpread Unless we take concrete and effective steps for introducing adult education centres in trival areas, providing schools and reading facilities in those areas the problem of drcpouts at the pre-primary, primary and elementary school stages aid that of illiteracy among the women is not going to be solved.

Sir,I would confine myself now to one particular aspect, and that is atrocities on Harijans and Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is a common occurance in many parts of he country. As a person with full knowledge atnd full authority 1 can cite instances in my own State, Andhra Pradesh. In 19P3 after election were over, Peddar in kuppam villager in chittore district the caste people and had burnt down Harijan houses and five Harijan died. A judicial inquiry was constituted. The finding of the judiciary was that the local Tclugu Desam MBA was responsible for the particular incident. But no action was taken by the State Government- This is the sorry state of affairs there. And very recently we have witnessed whathappened in Karamchedu village where the Harijans were chased and killed and the entire Harijan population had fled the village and taken shelter in chirala. The main accused in that particular case was not even booked, simple because the accuse c[1] happened to be relatives of some big guns and higher-upsin Hyderabad. Again in 1983 when Mr. Vijayabbaskara Reddy was the Chief Minister, 30 acres of land wae allotted to Haijuans in Putter village. Thse Harijans were cultivating the land. They were in possession cf the land. They were reaping the harvest of the land. In September 19&5 the present Government had issued a stay order and took hold of the possession of the land along with the crop standing thereon When the Harijans wanted to file cases, the cases were no t registered. In tribal areas in the name of encounters innocent people, were killed particularly in Chintapalli and other areas of Visakhap2tnam district, of course, law and order problem is the concern of the State Government. Even so, since the Constitution has give ccrtainn guarantee to the Scheduled Castes and Scheduled Tribe people, there is a moral obligation, a moral responsibility, on the Central Government to ensure their social security, to ensure to them security of life and security of property.

In the end, while I associate myself with the sentiments expressed by the other Members X would, conclude by saying that unless this Commission is given statutory authority, clothed with certain powers and obligation this report of the Commission would serve no useful purpose.

THE V1CB-CHAIP.MAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU) :Now, Mr. Ghulam. Resoc.l Kar.

SHEI V. GOPAISAKY (Ttmil Nadu) : What happened to the statement to he maele In the Minister about which we were imedi

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU) : He is making it in the Ie,k Sabha now and after that it will be made here. Yes, Mr. Kar. Not here. Yes Mr. Ram Chandra Vikal. I

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत

[श्री रामचन्द्र विकल]

आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्व-पूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया। यह हरिजन आदिवासी समस्या सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, और राजनीति से ऊपर उठकर यह राष्ट्रीय समस्या है। इसी संदर्भ में इस समस्या पर हमें चिन्तन भी करना चाहिये। जहां तक विरोधी दलों का सवाल है मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जो शड्यूल्ड कास्ट्स-शड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर विवाद आज आया है वह कोई विरोधी दलों ने नहीं मांगा था, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमारी तरफ से यह पेश हुई है। यह बात सच है कि इस रिपोर्ट पर बहुत देर तक विचार नहीं हुआ यह शिकायत का विषय है बहुत दिन तक बहस नहीं हुई जो पहले हो जानी चाहिये थी। उस रिपोर्ट को देखने से जैसा कल बहुत से माननीय सदस्यों ने चौधरी राम सेवक जी ने कुछ आंकड़े पेश किये मैंने भी रात को उन रिपोर्टों को देखने की कोशिश की। यह सच्चाई है कि संविधान के मुताबिक संरक्षण जो मिला हुआ है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकी है या इसे काफी नहीं कहा जा सकता है और शिकायत का कारण शायद यह है कि संविधान में संरक्षण के बावजूद भी अगर पूर्ति नहीं हो पाती तो अन्दाजा लगाया जा सकता है कि अगर यह संरक्षण नहीं होता तो क्या दशा होती, तब किसी गरीब को कुछ मिलने वाला नहीं था। इस पर हमको जरूर सोचना चाहिये। कांग्रेस पार्टी जिसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम लिये बगैर मैं नहीं रह सकता, गांधीजी इंदिरा जी, उन्होंने भी हमेशा हरिजन बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्वेशन के सवाल को रखा। उस पर अमल भी हुआ सन् 1958 की घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा ही नान आफिशियल रजोल्यूशन कांग्रेस था सेशन के अन्दर सप्रु हाऊस में, इन्दिरा जी सभापति थीं, मेरा ही प्रस्ताव था, हरिजन बैकवर्ड क्लासेज के रिजर्वेशन पर केन्द्र और राज्य सरकारों को अमल करना चाहिये लेकिन वह अमल नहीं हो रहा है। यू०पी० असेम्बली में मेरे एक सवाल के जवाब में यह आया कि नौकरियां जिस परसेंटेज से बढ़ी हैं उस परसेंटेज से रिजर्वेशन के बावजूद भी उनका परसेंटेज कम हो गया है नौकरियों में तब मुझे मजबूर होकर यह प्रस्ताव लाना पड़ा। उस पर बहुत बहस हुई। कुछ लोग तो कहते थे कि वापिस ले लो जिसमें चौधरी ब्रह्म प्रकाश भी थे जनरल सेक्रेटरी। मैंने प्रस्ताव को वापिस नहीं किया पंडित जवाहर लाल नेहरू सप्रु हाउस में नीचे बैठे थे जबकि इंदिरा जी सभापति थीं। नेहरूजी स्वयं खड़े हुए उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव जहां तक मुमकिन शब्द लगा लो सर्वसम्मति से पास हुआ कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हमेशा ध्यान रहा और बावजूद इसके भी अमल नहीं होता, यह हमारे सोचने की बात है। यह रिपोर्ट तो बहुत मोटी और लम्बी चौड़ी है मगर रेजोल्यूशन उनकी इच्छा से नहीं आया। रिपोर्टों से साबित हुआ गृह मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय दो मंत्रालय ऐसे हैं जो एक तरह से हमारे संरक्षक हैं। हरिजन समाज के बैकवर्ड क्लासेज के जनजातियों की उन्हीं की तरफ से कोई संस्तुति नहीं आई इस कमीशन के सामने यह और भी दुख का विषय है। होम मिनिस्ट्री समाज कल्याण मिनिस्ट्री जिसकी जिम्मेदारी है एक तरह से उस हरिजन समाज और इन लोगों की समस्याओं का समाधान करें। उनके द्वारा कोई संस्तुति नहीं आ सकती इस कमीशन के सामने यह दुख का विषय है। हमारे समाज कल्याण विभाग की मंत्री राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी जी को जैसा कि सबने बधाई दी है मैं भी बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने मंत्री बनते ही इस समस्या का चिन्तन किया और सदन में बिना किसी विरोधी दल के कहने के इस प्रस्ताव को पेश किया। यह उसी का फल है कि आज इस पर गम्भीरता से चिन्तन करते हैं। जहां तक दूसरी पार्टियों का सवाल है जनता पार्टी भी दो ढाई साल के लिए आई लेकिन मैं तो जनता पार्टी को आंधी के आम कहा करता था। उन दिनों सारे देश में कहता था कि तुम तो आंधी के आम हो सस्ते

बिकोगे, बेभाव गिरोगे और बिकोगे । वे तो अपने आप चले गये मगर जैसे और माननीय सदस्यों ने कहा, कलनाथ जी कह रहे थे कि रिजर्वेशन खत्म कराने की बात सोच रहे थे तब जब जनता पार्टी का राज था । फिर इंदिरा जी को बधाई दिये बगैर मैं नहीं रह सकता कि दुबारा 10 साल के लिए हरिजनों तथा जनजातियों के रिजर्वेशन का संशोधन लेकर सदन से पास कराया । ये सब ऐसी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान करना चाहिए । यह राष्ट्रीय प्रश्न है और राजनीति से ऊपर उठा हुआ सवाल है मैं डा० राम मनोहर लोहिया को याद किये बगैर नहीं रह सकता हूं । 67 में जब उत्तर भारत में हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं रही, एस०बी०डी० की गवर्नमेंट बनी तो लोहिया जी मात्र ऐसे लीडर थे जिन्होंने सारे राज्यों में 60 फीसदी राजनीतिक सत्ता हरिजन, बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को दिलवाई । लीडर और भी थे । उसके बाद इन पार्टियों का जिस तरह से बंटवारा हुआ आपको उसकी बहुत जानकारी है लेकिन सारे राज्यों में विशेषकर उत्तर भारत में, 60 फीसदी--डा० लोहिया जी की बदौलत राजनीतिक सत्ता में हरिजन और बैकवर्ड लोगों की साझेदारी दी गयी । यह सत्ता ऐसी चीज है कि इसमें जाने से स्वतः ही उस समाज के लोगों में गौरव बढ़ता है और सरकार में काम अपने आप होने लगते हैं । यह जरूर होना चाहिए । हमारे जो कमीशन बनते हैं चनाव के, उनमें भी हरिजन और इन लोगों को टाप पर चुनाव आदि का चेयरमैन बना दीजिए तब यह समस्या अपने आप हल हो जायेगी और अगर हल न हो तो फिर वे लोग जिम्मेदार होंगे हमने तुम्हारा चेयरमैन बना दिया, तुम नहीं अमल कर पा रहे हो तो हम क्या करें । ऐसा नहीं हो पा रहा है, जरूरी है कि अगर हम रिजर्वेशन का सही फायदा इन जातियों को देना चाहते हैं जो बहुत काल से आर्थिक, सामाजिक सब तरह की यातनाओं के शिकार रहे हैं तो हम चुनाव बोर्डों में, चुनाव के चेयरमैन या राजनीतिक सत्ता में जहां से लोगों पर असर होता है वहां इन लोगों को ले तभी हम समझते हैं कि सच्चाई से इन गरीबों की मदद करेंगे ।

रिजर्वेशन के सवाल पर उपसभाध्यक्ष महोदय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हमारे देश में किस तरह से काम कर रही हैं मुझसे ज्यादा ज्ञान शायद आपको होगा । चाहे गुजरात में रिजर्वेशन का सवाल हो या उस पर आन्दोलन कराया जा रहा हो चाहे कहीं और जगह से कराया जा रहा हो यह सब बहारी ताकतें का षडयंत्र है । फिर भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने अनेक बार कहा है कि रिजवशनं के सवाल को हटाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, कई बार उनके बयान आये हैं और प्रधान मंत्री श्री राजीव जी हमारे गरीबों के बीच में जाकर जनजातियों के बीच में जा करके जिस तरह से चेतना पैदा कर रहे हैं, सरकारी सर्विसेज में या उन लोगों में जो ऐसी दी हुई सहायताओं को पहुंचाना नहीं चाहते हैं..

उप सभाध्यक्ष (श्री संतोष कुमार साहु): आप कल बोलेंगे या आज ही...

श्री राम चन्द्र विकल : ठीक है, कल बोलूंगा ।

STATEMENT BY MINISTER

Gas Leakage at Shriram Foods and Fertilisers Industries Plant in Delhi

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAN TOSH KUMAR SAHU) : Now, I ask Mr Sangma to make his statement.

THE MINISTER OF STATE IN TH!'. DEPARTMENT OF STATES (SHRI P. A. SANGMA) : Sir, I deeply regret to inform the House that today morning at about io.:',e A.M. a leakage of gas occurred from die pre-cints of the factory of Messrs Shriram Foods & Fertilizers Industries Plant located at Shivaji Marg, Delhi. The leakage of liquid oleum resulted from a damage to the outiet pipeline of the oleum storage tank, arising out of the collapse of the supporting structure of the tank. The plant personnel made attempts to neutralise the leakage with the help of line and capious quantities of water. Some of die liquid reacted with the water and formed thick fumes containing steam and possibly gaseous sulphur trioxide which moved easternly direction. The plant personnel y